Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४५वां दिवस [संख्या ३४

शुक्रवार दिनांक ६ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, कृषि, स्वायत्त शासन, सिंचाई, खाद्य, खनिज, चिकित्सा, एवं जन-स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ८१८

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये).

श्री स्वरूपसिंह।

८१९. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) [श्री मानसिंह महार (आमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या लूणी पंचायत समिति क्षेत्र में ट्यूब वैल लगाने की कोई सरकारी योजना है ?

(२) यदि हां, तो किस किस स्थान पर और काम कब शुरू हो रहा है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जिलाधीश ने जोधपुर तहसील के निम्नलिखित स्थानों पर ट्यूब वैल लगाने की सिफारिश की है:—

बिरमी, सतालना, लूणी, सालावास फिटकसानी, गुरा बिस्नोइया।

काम सर्वे के पश्चात् शुरू किया जा सकता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 2

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गांवों का नाम गलत बताया है।

श्री भीमसिंह : हो सकता है। जो नाम मेरे पास आये हैं, मैंने बताये हैं; आपकी जानकारी से उसमें फर्क हो सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कॉमा, मात्रा की काफी गलतियां हैं।

श्री मानसिंह महार : यह सर्वे कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री भीमसिंह : जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : पंचायत समिति मंडोर के गांव भी हैं क्या ?

श्री भीमसिंह : मंडोर खुद के अन्दर है, गांव तो नहीं है।

श्री दुर्गालाल याद्दार (हवा महल, जयपुर) : सर्वे का काम किस स्टेज पर पहुंच चुका है ?

श्री भीमसिंह : सर्वे का ऐसा है कि जो लूनी एरिया के लिये खास तौर से पूछा है तो वहां टेस्ट किया गया, उससे पता लगा कि वहां नीचे सूख गई है और पानी भी खारा आया है। एक राय तो अब यह है कि इसे ड्रॉप किया जाय, पर आवश्यकता को देखते हुए दूसरी राय यह है कि सेन्टर इसका जीओलोजिकल सर्वे करा कर कुछ और एफर्ट्स करे ताकि मीठा पानी का सोता निकल सके। ऐसा अनुमान है कि निकलना चाहिये और हमने इसके लिये भारत सरकार को सुझाव भेजा है। वही यह काम कराती है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : राजस्थान में ऐसी दूसरी जगह भी जीओलोजिकल सर्वे कराया है क्या ?

श्री भीमसिंह : केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल ओर्गनाइजेशन है। वह अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोरेटरी बोरिंग करके देखते हैं और जहां जहां एप्रूव्ड हो जाते हैं वहां के लिये वह कहता है तो अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड फिर वहां का काम हाथ में लेता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस एक्सप्लोरेटरी ऑर्गनाइजेशन ने कई जगह कुए खोदने का काम किया, पर उनको चालू नहीं करते और बन्द करके चले जाते हैं, यह क्यों ?

श्री भीमसिंह : इसमें ऐसा है कि हम सक्सेसफुल वैल उसको मानते हैं जिसमें ८–१० हजार गैलन पानी निकलता हो। तो इस दृष्टि से एक्सपेरीमेन्टल स्टेज में जिसमें इतना पानी निकल आता है उनको तो चालू रखा जाता है, पर जिनमें इतना नहीं आता वे अनसक्सेसफुल होते हैं और उनका पाइप वापिस निकाल कर उसे अबन्डन कर दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : लूणी पंचायत समिति क्षेत्र में एक्सप्लोरेटरी बोरिंग किस बेसिस पर किया है ?

श्री भीमसिंह : इसकी एक प्लान है जोधपुर डिविजन की और उसमें जहां जहां करना है उसकी एक लिस्ट है। वह लिस्ट जरूर हाजिर कर सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही किया है ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उसके परिणाम क्या सन्तोषजनक हैं ?

श्री भीमसिंह : अभी तक मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें ५० टेक-अप किये थे, जिनमें से ३० सक्सैसफुल हुए हैं। बाकी सक्सैसफुल नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें मंडोर में सफल हुआ या नहीं ?

श्री भीमसिंह : यह मैं ऑफ हैण्ड नहीं अर्ज कर सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द।

अलवर नगर परिषद् द्वारा नगली के चौराहे की जमीन का बेचान

८२०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् ने नगली के चौराहे के दक्षिणी पूर्व कोने पर कुछ जमीन पटड़ी के पास की बराबर की जमीन वालों को फिक्स्ड दरों पर बेची है ?

(२) यदि हां, तो यह कितनी जमीन, किसको और किस कीमत पर बेची गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इसी चौराहे के उत्तरी पूर्वी कोने तथा उत्तरी पश्चिमी कोने पर भी इसी प्रकार की जमीन पड़ी हुई है और उसके पड़ोस के मालिकों ने भी नगर परिषद् से यह जमीन फिक्स्ड दरों पर मांगी थी, लेकिन नगर परिषद् ने उन्हें देने से इन्कार कर दिया ?

(४) क्या यह सही है कि नगली के चौराहे पर जमीन की कीमत ३०) रुपये वर्ग गज के करीब है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही है।

(२) श्री कैलाशनाथ भार्गव व श्री छोटूसिंह को उनकी जमीन व सरकारी रेलिंग्ज के बीच २४ फुट की स्ट्रिप्स रु० ३) ३७ पैसे वर्ग गज के हिसाब से बेची गई है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) यह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (४) का जवाब दिया, सही नहीं है। क्या कीमत है फिर आपके हिसाब से ?

श्री दौलतराम सारण : परिषद् ने जो सूचना दी है उसके हिसाब से ६२ में उन स्ट्रिप्स की कीमत १०) वर्ग गज के करीब थी ?

Page No 4

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६२ की नहीं, अभी की पूछ रहा हूं—६५ की।

श्री दौलतराम सारण : इस समय का नहीं है; जिस समय जमीन बेची गई उससे सम्बन्ध है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १०) रु० बतलाया और नगर परिषद् ने किस भाव बेची !

श्री दौलतराम सारण : ३)३७ प्रति वर्ग गज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री छोटूसिंहजी म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसीडेन्ट के छोटे भाई हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यह जो पटरी की जमीन बेची है उसको एक फिक्स्ड रेट पर बेचने का क्या कारण था ? मार्केट रेट पर क्यों नहीं बेची ?

श्री दौलतराम सारण : जिसके घर के सामने या पास में ये स्ट्रिप्स लैंड होती हैं उन्हीं को फिक्स्ड रेट पर बेचा करते हैं क्योंकि दूसरों को दे देते हैं तो झगड़े खड़े होते हैं। इसलिये प्रायः फिक्स्ड रेट पर ही ऐसी जमीनें बेची जाती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यही सही है कि जिस जमीन से यह जमीन संलग्न है उसी जमीन में उसके उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और भी दूसरे रास्ते थे और मेन गेट उस मकान का पश्चिम की तरफ है। यह जमीन उत्तर की तरफ लगती है। तो मकान के सामने तो लगती नहीं जो रुक जाता। बराबर लगती है साइड में। तो इस तरह की तो बहुत सी जमीनें लगती हैं; फिर उसी को यह जमीन देने का निश्चय क्यों किया गया फिक्स्ड रेट पर ? ऑक्शन करते।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार यह जमीन खरीददार की जमीन के सामने पड़ती है जिससे खरीददार का आम सड़क पर निकास है और यह किसी और काम में आने वाली जमीन नहीं है। यह कन्डीशन इसमें है कि यह जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, इस पर कोई मकान नहीं बनेगा। यह खाली रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस नगली के चौराहे पर आगे भी जमीन है, एक कोने में जो म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट के भाई को तो दे दी फिक्सड रेट पर और दूसरे लोगों के सामने भी ऐसी जमीन पड़ी है कैलाश बिहारी लालजी की है; उन्होंने भी इसी तरह उनके सामने पड़ने वाली जमीन को लेने के लिये दर्ख्वास्त दी थी, पर उनको इन्कार कर दिया। तो ऐसी सूरत में उनको भी इन्कार करना था। यह बहुत कीमती जमीन है। आप लोग भी देख सकते हैं, आते जाते रहते हैं, मेन रोड पर है। इसको इस तरह से मन्जूरी दे दी और प्रेसीडेन्ट इस तरह से अपने भाई को दे दे, और सरकार उस पर अपनी स्वीकृति दे दे यह कहां तक उचित है ? क्या आप जानकारी करेंगे कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस मकान का निकास दूसरी तरफ भी था या नहीं था ? अगर किसी तरफ रास्ता न हो तब तो देना जस्टिफाइड माना जा सकता है। पर यह एक साइड में है, मेन रास्ता दूसरी तरफ है। और साइड में इधर भी आप बेचते हैं, उधर भी बेचते हैं। साइड में तो और भी लोगों को बेची गई है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने तो कहा है कि निकलने का और रास्ता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसी बात की जांच करा ली जावे, अध्यक्ष महोदय। अगर नहीं है और तरफ निकलने का रास्ता तब तो मैं भी जस्टिफाइड मानता हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह खरीददार की जमीन के सामने पड़ता है जिससे आम सड़क पर निकास है और वह किसी काम में आने वाली जमीन नहीं थी, सिवाय इसके कि मकान वाले को दे दी जाय और फिर इस पर और कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं बनाया जावे, इस शर्त के साथ यह २४ फीट का स्ट्रिप बेचा गया है।

श्री अध्यक्ष : केवल उधर ही निकास है मकान का, और किधर नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक निकास इधर है, एक उधर है। सब तरफ रोड है। जमीन और भी बेची है इस तरह की। आप मौके पर जाकर देखें, और भी खुली जमीन पड़ी है।

श्री दौलतराम सारण : आप मेरी बात तो सुन लीजिये। यह २४ फीट की स्ट्रिप इस शर्त के साथ बेची गई है कि खरीददार इस पर कोई मकान नहीं बनावेगा।

दूसरा यह आरोप है कि इससे चौराहा छोटा हो जाता है और दूसरों को नहीं दी गई, इनको ही दी गई। तो इस बारे में जो जानकारी परिषद् से सरकार को मिली है उससे मैं कह सकता हूं कि यह गलत है कि उस चौराहे के उत्तर कोने पर जमीन पड़ी है। इसलिये वहां फिक्स्ड रेट पर देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह जमीन रेलिंग स्ट्रिप की जमीन भी नहीं है, पी० डब्लू० डी० ने नगली के चौराहे को नये तरीके से प्लान किया, जिसमें यह एरिया दिया है फ्लेट्स के हिसाब से करके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जाय। फैक्ट्स इसके अन्दर गलत दिये हैं। मौके पर और भी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं दूसरी साइड में और इस जमीन को बेचा गया है जिसकी कि ज्यादा कीमत आ जाती और दूसरे लोगों को नहीं दी। यह अनुचित तौर से लाभ देने की बात है। खास तौर से जब कि श्री छोटूसिंह, एक्स एम० एल० ए० और जो प्रेसीडेन्ट के भाई कहलाते हैं। उनके भाई होने के नाते जमीनें ले जायं और उस स्टेण्डर्ड को कायम रखना चाहते हैं और उसको स्वीकृति दे दें; यह जांच कराइए।

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषद् ने ४–१२–६२ की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है। उसके द्वारा स्वीकृति दी गई है।

Page No 6

(श्री दौलतराम सारण)

इसलिए पक्षपात का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य की कोई नाराजगी हो सकती है। कोई ऐसी आवश्यकता नजर नहीं आती है इस जमीन की हालत को देखते हुए कि उसकी जांच करा लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं और जो फैक्ट्स आपने दिये हैं वे गलत हैं। उसकी जांच करा लेंगे और सदन के सामने रखेंगे।

श्री दौलतराम सारण : आपने जितने फैक्ट्स दिये हैं उनका उत्तर मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत फैक्ट्स हैं। कौने में दूसरी जमीन नहीं है, यह आप कहते हैं और मैं कहता हूं कि जमीन है। आप कहते हैं कि उसमें रास्ता सामने पड़ता था और रुक जाता था और मैंने कहा कि नहीं है....

श्री दौलतराम सारण : मैंने नहीं कहा कि रास्ता रुकता था। मैंने कहा कि उधर से निकलते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी तरफ से निकास है।

श्री दौलतराम सारण : उसमें दो दरवाजे भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं; आप ख्वामख्वाह मेरी बात को गलत कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : औचित्य कितना है ?

श्री दौलतराम सारण : बिल्कुल औचित्य है। जो नगर परिषद् ने जमीन बेची है वह बिल्कुल औचित्य के आधार पर बेची है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपनों को देने में दिलचस्पी रखते हैं, साफ बात यह कहें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : प्रश्न संख्या इसमें तो २२ है लेकिन प्रश्न है ८२२।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द से) जितने जोर से कहते हैं उतना औचित्य नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अपनी हठधर्मी को छिपाने के लिए गलत चीजों को जोर से कह कर सच में परिवर्तन करना चाहते हैं।

प्रश्न संख्या ८२१।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित-कृपया-आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

तहसील सांचोर में सिंचाई की व्यवस्था

८२२. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 7

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(१) क्या यह सच है कि लूनी नदी पर कच्ची मिट्टी के बान्ध बंधने से तहसील सांचोर में काफी फायदा उपज बढ़ाने में पहुंचा है ? अगर हां, तो अन्दाजन कितना फायदा पहुंचा है ?

(२) क्या यह सच है कि गोमी इसरोल की कांकड़ पर एक छोटा मिट्टी का बांध बंधने से सैंकडों मन गेहूं पैदा हो सकता है ? क्या यह भी सच है कि पिछले वर्षों में जब नदी आती थी तो ग्राम रतनपुरा की पूरी सरहद पर लूनी का पानी फिरता था परन्तु इस वर्ष चीतलवाना बांध बंधने से रतनपुरा की पूरी सरहद असिंचित रही और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ? अगर हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या सरकार विस्तृत सर्वे करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक, ताकि भविष्य में रतनपुरा ग्राम की पूरी भूमि सिंचित हो सके ?

(३) क्या यह सच है कि चीतलवाना की सरहद में ठेलिया का कच्चा बांध न बांध कर गोमी इसरोल की कांकड़ पर कच्चा बांध बंधता तो रतनपुरा व रतोड़ा की सरहद में भी पानी फिर जाता और गेहूं पैदा हो सकते थे ? अगर हां, तो अब गोमी-इसरोल रतनपुरा की सरहद पर बन्धा कब तक बंधा दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सच है कि भवातड़ा के पास सूजाखाल नामक स्थान पर एक पक्का बांध बंधवाने की आवश्यकता है जिससे हजारों एकड़ जमीन पर काश्त हो सकती है और उजड़ा हुआ क्षेत्र आबाद हो सकता है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(५) सूजाखाल बांध सरकार द्वारा कब तक बंधा दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, लाभ का मूल्यांकन इस विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

(२) बिना पूरी जांच के यह नहीं कहा जा सकता कि गोमी इसरोल के कांकड़ में एक छोटा मिट्टी का बांध बांधना लाभदायक होगा कि नहीं। चीतलवाना बांध बंधने से पूर्व रतनपुरा ग्राम में सिंचाई होती थी, किन्तु यह सत्य नहीं है कि चीतलवाना के बनने से लाखों का नुकसान हुआ। सरकार इस क्षेत्र में भी बांध बनाने की कार्यवाही कर रही है तथा रतनपुरा ग्राम के पास भी बांध बनाने की संभावना पर जांच की जायेगी।

(३) चीतलवाना का बांध मुख्यतया चीतलवाना ग्राम को बचाने के लिए बनाया गया है तथा इस बांध के स्थान पर गोमी-इसरोल व रतनपुरा की सरहद पर बांध बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इस क्षेत्र में पक्के बांध बांधने की संभावना नहीं है।

(५) सूजाखाल पर एक कच्चा बांध बांधने के लिए सरकार सर्वेक्षण करायेगी। यदि लाभप्रद सिद्ध हुआ तो और बांध बांधने का प्रश्न सर्वेक्षण के पश्चात् होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नुक्सान नहीं तो रतनपुरा में इस साल गेहूं हुआ है ? जहां सारी जमीन सिंचित होती थी वहां एक बीघे में भी काश्त हुई क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, कितने बीघे में काश्त हुई यह जानकारी राजस्व विभाग से मालूम हो सकती है, लेकिन चीतलवाना बांध बनवाने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर बाढ़ के कारण लूनी नदी से काफी नुकसान होता था। एक तरफ यह सवाल आता है कि गांव बह कर चला जाता है, इनको मदद दी जाय। सिर्फ गांव को बचाने के लिए बांध बना था। हमने कोशिश यही की कि रतनपुरा को नुकसान हो। यह जरूर मन्जूर किया है कि थोड़ा सा जरूर प्रभाव पड़ा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह सूचना किस तरह से दे रहे हैं ? कोई गांव के जाने का व बचाने का प्रश्न नहीं था। यह कच्चा बांध उस गांव को बचाने के लिए बनाया गया है। यह प्रश्न नहीं है। उसका ध्येय तो वह था कि बांध बनेगा तो रतनपुरा सिंचित हो जायेगा, लेकिन पानी का निकास है वह बिल्कुल बान्ध के पास में हुआ तो वह स्वीप अवे हो गया। उससे दो मील दूर होता तो सिंचित हो सकता था चाहे पानी को छोड़ दें सारे को। यह मन्शा है। आपने उल्टा समझा है। गांव के बचाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि गांव खतरे में नहीं है। छोटे बांध से क्या गांव बचेगा जब कि बड़ा बांध बन गया है ?

दूसरा सूजाखाल के लिए क्या बताया ? चीतलवाना के पास है। वह काम तो काफी अर्से से चल रहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसके सर्वे के लिए आदेश दिये जा चुके हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सर्वे किस स्टेज पर है; कब तक होगा, क्या हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी हाल में सर्वे के आदेश हुए हैं। उसके बाद इसके बारे में क्या होगा वह बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

पाली जिले के निलम्बित पुलिस कर्मचारी

८२३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पाली जिले में १ मई, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक नीचे लिखे पुलिस कर्मचारियों को कब कब किन किन के द्वारा निलम्बित किया गया व कब कब बहाल किया व कब कब चार्जशीट किया गया :–

(१) एस० एच० ओ०,
(२) हैड कॉन्स्टेबल्स,
(३) कॉन्स्टेबल्स

(२) प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में बताये गये कर्मचारियों में से किन किन के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई व जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई उसका क्या कारण था ?

(३) प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में बताये गये कर्मचारियों में से ऐसे कितने व कौन हैं जो बिना चार्जशीट किये ही बहाल किये गये ?

Page No 9

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) से (३) प्रश्न १ से ३ तक सूचना विवरण पत्र (क) में है, परन्तु मई, १९६२ में कोई निलम्बित नहीं किया गया :

(४) कोई नहीं।

(५) सूचना विवरण पत्र (ख) में है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : इसके साथ जो सूची दी है तो सूची में जो ट्रान्सफर्स करना बताया गया है, उनके आगे जो रीन्ज़स दर्ज हैं नम्बर ८ में तो उसमें आपने लिखा है कि इनके खिलाफ इतनी शिकायतें थीं कि इन्होंने मेकेनिकल की रिपोर्ट बदल दी मुल्जिम के पक्ष में जो कि मोटर एक्सीडेन्ट के मुकदमे में थी जिसमें रामसिंह के नीचे गिरने पर मृत्यु हो गई। उसकी वजह से ट्रान्सफर किया गया। तो ट्रान्सफर तो कर दिया लेकिन इस ट्रान्सफर के बाद में इनके बारे में डी० ई० खोला या नहीं खोली ? कोई इन्क्वायरी की गई ? उनको चार्जशीट दी गई या क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : और भी ऐसे कोई हों तो एक साथ बतला दें ताकि जवाब दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितने हों सब आदमियों के बतला दें।

श्री अध्यक्ष : सब का एक साथ आश्वासन दे दें जांच कराने का।

श्री तेजाराम गहलोत : नम्बर ३, ४, ६ इनके खिलाफ शिकायत थी, उसके बावजूद ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ? उसके बाद कोई इन्क्वायरी नहीं की गई। सूची में यह बतलाया गया है कि सस्पेन्ड कर दिया। उनके खिलाफ ऐसे सीरियस चार्जेज़ थे बदचलनी के, रिश्वत के और फर्जी कार्यवाही करने के उनके बारे में एक रुपया जुर्माना किया है और इस तरह की कार्यवाही की है और उन आदमियों को साल, डेढ़ साल तक सस्पेंड रखा है। तो मेरा निवेदन यह है कि उनके खिलाफ इतने ग्रेव चार्जेज़ थे और इतने समय तक सस्पेंड रखने के बाद मामूली सा पनिशमेंट दिया और किसी की इन्क्वायरी नहीं करते हैं और केवल ट्रान्सफर कर दिया। इससे न तो शिकायत की मन्शा पूरी होती है और न कार्यवाही करने वालों को सजा मिलती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का आश्वासन दें कि जिनके खिलाफ चार्जेज थे उनकी जांच कराकर माकूल सजा देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आपने दो प्रश्न सामने रखे हैं कि जिनके ट्रान्सफर्स हुए हैं तो ट्रान्सफर्स शिकायतों के आधार पर किये गये हैं। आपका यह कहना है कि शिकायतें सामने थीं तो ट्रान्सफर किया गया और उन शिकायतों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : विशेष तौर से जो एक-दो हैं वे काफी गम्भीर प्रतीत होते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पनिशमेंट जो शिकायत की ग्रेविटी थी उसके हिसाब से कम दिया गया है। सारे फैक्ट्स उसके केस

Page No 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पर निर्भर करते हैं कि कम दी गई या ठीक है और क्या सर्कमस्टान्सेज थे उनको देखना पड़ेगा। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं इस सदन में कि आपने जो पोइन्ट्स उठाये हैं वे जस्टीफाइड हैं या नहीं, उनके पनिशमेंट को देख लूंगा और दूसरे ट्रान्सफर्स जो जोन्स में हुए हैं उन पर क्या पनिशमेंट दी गई है; इन दोनों प्रश्नों को देख लूंगा।

प्रश्न संख्या ८२४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिराम घारू।

सफाई मजदूरों की संख्या में वृद्धि के लिए कार्यवाही

८२५. श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार विभिन्न नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की जन-संख्या में वृद्धि के अनुपात से सफाई मजदूरों की संख्या भी बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : नगरपालिकाएं व परिषदें अपनी आवश्यकता व साधनों के अनुसार, सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति से, सफाई कर्मचारी रखती हैं।

श्री हरिराम घारू : जयपुर में जन-संख्या तो, अध्यक्षजी, ज्यादा बढ़ गई है, दो लाख ज्यादा बढ़ गई है। मेहतर और महतरानी सफाई करने वाले उतने ही हैं जिनसे दुगुना काम लिया जाता है। उनको कोई वर्दी समय पर नहीं दी जाती है और सारे राजस्थान में मेहतरों को वेतन समय पर नहीं दिया जाता है। वह रुपये उधार लेकर व्याज देते हैं। न उनको समय पर औजार सफाई करने के देते हैं और सफाई होती है तो वह मैला और कचरा जो उठाते हैं तो उनके कपड़ों पर पड़ जाता है और अंगों पर पड़ जाता है।

श्री दौलतराम सारण : कहां का कह रहे हैं ?

श्री हरिराम घारू : सारे राजस्थान का।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा तो नहीं है।

श्री हरिराम घारू : जयपुर में देखते हैं कि महतरानियों की तनख्वाह ८-९ रुपये है और भत्ता वगैरह मिलाकर २०-२५ मिलते हैं और भत्ता वगैरह मिलाकर कोई ३०-२५ रुपये मिलते हैं, २०-२५ साल से नौकर हैं और अब भी टेम्पोरेरी चल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आपने पूछा है ; क्या सरकार विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर परिषदों की जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात से सफाई मजदूरों की संख्या भी बढ़ाये जाने के

(श्री दौलतराम सारण)

लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मैंने निवेदन किया है कि नगरपालिकाएं अपनी आवश्यकता और आमदनी के हिसाब से, साधनों के हिसाब से कर्मचारी बढ़ाते हैं और राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति ले लेती हैं, उनकी मांग के आधार पर स्वीकृति दे दी जाती है। माननीय सदस्य किसी विशेष नगरपालिका का उल्लेख करें तो जानकारी कर सकता हूं। उनको सफाई के लिये औजार दिये जाते हैं; वील-बैरोज़ वगैरह बड़ी नगरपालिकाओं में काम में लाई जाती हैं, छोटी नगरपालिकाओं में हाथ के औजार काम में लाये जाते हैं, वर्दी दी जाती है गर्मी की, सर्दी की। अलग अलग म्युनिसिपेलिटीज में अलग २ हैं, इसलिये जनरल तौर पर कह देना ठीक नहीं होगा। वैसे हरिजनों को आपने कहा तनख्वाह कम दी जाती है, वर्दी नहीं दी जाती है। तनख्वाह मिलना ठीक समझते हैं उतनी नहीं दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार दी जाती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने कहा कि आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। उन्होंने वेग पूछा तो आपने भी वैसा ही उत्तर दिया, आवश्यकता के अनुसार क्या होता है ?

श्री दौलतराम सारण : आप निश्चित नगरपालिका का पूछते तो बता देता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वे जयपुर का पूछ रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : १५० नगरपालिकाएं हैं सबका डेटा मेरे पास यहां नहीं है। माननीय सदस्य किसी एक का पूछते तो मैं बता देता। आवश्यकता होती है तो स्टाफ बढ़ाते हैं। हरिजनों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि सफाई मजदूर जितने नगरपालिकाओं में रखते हैं वे मिनिमम वेजेज़ एक्ट से कवर होते हैं ? उनको मिनिमम वेजेज़ मिलती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मिलती हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माथुर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक मिलती है ?

श्री दौलतराम सारण : माथुर कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है लेकिन उनको ६०) रु० के लगभग मिलते हैं भत्ता मिलाकर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि मिनिमम वेजेज की तहत रिवाइज़िंग कमेटी ने नयी वेजेज़ तय की हैं उनको एडवाइज़री कमेटी ने एप्रूव कर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कहते हैं कि मिनिमम वेजेज़ के अनुसार मिलती है। अभी आपने उत्तर दिया था वेतन के बारे में मिनिमम वेजेज मिलती हैं। मैं कहता हूं

Page No 12

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सन् ५७ के अनुसार मिनिमम वेजेज़ मिलती हैं लेकिन आज सन् ६५ में भाव कहीं ऊंचे हो गये हैं, दो साल से भाव बहुत बढ़ गये हैं। बढ़े हुए भावों के अनुसार वेतन बढ़ाने की सिफारिश की हुई है लेकिन सरकार उसको मंजूर नहीं करती और दबाये हुए बैठी है और इन लोगों को पुरानी वेजेज़ ही मिल रही हैं।

श्री हरिराम वारू : क्या यह सही है कि सरकार म्युनिसिपेलिटीज़ को सेवा के लिये, स्वास्थ्य के बारे में देती है वे रुपये नहीं देकर जहां पर सफाई की कमी है वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से नौकर रखने चाहिये, नहीं तो बीमारी बढ़ेगी। एक गाड़ी चलाने वाला है आप किसी को भेज कर दिखा लें ढक्कन खोल कर गाड़ी के अन्दर जाता है और फावड़े से खींचता है उसको तनख्वाह बहुत कम मिलती है और न उसको सामान मिलता है न भत्ता। दूसरा यह है हुकुम, जो पाडा चलाने वाले मेहतर हैं उनको पाड़ा के लिये भत्ता सिर्फ २२) रु॰ दिये जाते हैं अलाउन्स के तौर पर लेकिन ५०-६० रुपये तो वे मेहतर पाड़ा को ही खिला देते हैं, फिर वे खुद क्या खायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत स्पष्ट है।

श्री दौलतराम सारण : जन संख्या के अनुपात से सफाई मजदूरों की संख्या में वृद्धि के बारे में पूछा था उसके बारे में मैंने निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस करती कि प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड में जितना वर्क लोड है उतने सफाई कर्मचारी हों, उतने हैं या नहीं इसकी जांच के लिये कोई कमेटी मुकर्रर करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार ने कमेटी मुकर्रर कर दी है। उसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आने पर जनरल तौर पर विचार किया जायगा। अभी फिलहाल, जैसा कि निवेदन किया, अलग अलग नगरपालिकाओं की अलग अलग स्थिति है। कहीं पर सफाई कर्मचारियों की कमी हो सकती है लेकिन नगरपालिका मांग करने में स्वतंत्र है, जैसी वे मांगे करती हैं राज्य सरकार प्रशासनिक स्वीकृति देती है।

श्री हरिराम वारू : जो सरकार ने हमारे सुधार के बारे में कमेटी बनाई उसके लिये धन्यवाद है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इतना सस्ता धन्यवाद दे देते हो तभी तो काम नहीं होता।

श्री हरिराम वारू : करौली में हमारे मुख्य मंत्री, श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने कहा था कि सफाई की ओर ध्यान दिया जाय, कचरा और मैला सिर पर ढोते हैं छोटी-छोटी सड़कों से पहले मेहतरों का सुधार होना चाहिये।

प्रश्न संख्या ८२६

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

रावतभाटा-गांधीसागर सड़क पर गिट्टी डालने का भुगतान

८२७ **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रावतभाटा से गांधीसागर सड़क पर गिट्टी कितने इंच डाली गई है और कितने इंच डालनी चाहिए ?

(२) क्या यह सही है कि इसका भुगतान छः इंच के हिसाब से दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ;

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सड़क पर गिट्टी बिछा कर नाप नहीं लिया जाता। गिट्टी के चट्टे (स्टेक्स) बनाये जाकर नापे जाते हैं। कुल गिट्टी रावतभाटा-गांधीसागर सड़क पर जो चट्टों द्वारा नापी गई उसको तथा सड़क की कुल लम्बाई और चौड़ाई के हिसाब से गिट्टी की गहराई औसतन ६ इंच के लगभग आती है। यह गहराई औसतन ६ इंच ही होती थी।

(२) जी नहीं। गिट्टी का भुगतान चट्टे नाप कर जितनी आई है उतना ही किया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह बात सही नहीं है कि जब ठेकेदार को रोड बनाने के लिये ठेका देते हैं तो मोटाई के अनुसार ही ठेका दिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : गिट्टी के चट्टे के नाप से।

श्री जोधसिंह चौहान : सड़क मजबूत है या नहीं, यह देखने का क्या आधार होता है ?

श्री दौलतराम सारण : गिट्टी के चट्टे के नाप से सड़क पर गिट्टी डाली जाती है उसके अनुसार दिया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह सही है कि गिट्टी कितनी पड़ी है यह देखे बिना ही कीमत दे दी ? ६ इंच मोटी पड़नी थी उतनी पड़ी या नहीं, यह देखे बिना ही पेमेन्ट कर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार आपका कहना सही नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : वह सड़क कब बनी ? गिट्टी कब डाली ?

श्री दौलतराम सारण : यह सड़क बनी थी सन् ६४ में, ६३ में, ६२ में, पुलियें का काम हुआ था, सड़क का काम हुआ, गिट्टी का हुआ, अर्थ वर्क हुआ।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने इतिहास बताया उसके लिये तो धन्यवाद लेकिन क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गिट्टी कम डालने की वजह से वह सड़क टूट गई है ?

श्री दौलतराम सारण : वह सड़क बनी हुई है। कई ठेकेदारों ने बनाई है, अलग

(श्री दौलतराम सारण)

अलग फासले का ठेका दिया गया है और अलग अलग ठेकेदारों ने बनाई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वे पूछ रहे हैं कि यह सड़क टूट गई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि सड़क बनी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बनी हुई थी, टूट गई है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं देख कर नहीं आया हूं, सड़क ६४ में बनी है और ६५ में टूट गई होगी, कहीं गड्ढा पड़ गया होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं वहां जाकर नहीं आया हूं।

श्री जोधसिंह चौहन : आपकी जानकारी के लिये ही तो प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि सड़क टूट गई, गिट्टी कम पड़ी स्पैसिफिकेशन के मुताबिक नहीं पड़ी, गड्ढे पड़ गये हैं, इसके मुताबिक जांच करवा लें।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८२९

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये।

प्रश्न संख्या ८३०

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल मैंटर।

भीम सागर बांध की नहरों में आई भूमि का मुआवजा

८३१. **श्री प्रभुलाल सैन्टर** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला झालावाड़, पंचायत समिति खानपुर में बांध भीमसागर का काम कब शुरू हुआ था ? और इसे कब तक पूरा करने की योजना थी ?

(२) अब कब तक यह बांध पूर्ण हो कर इससे सिंचाई होने लगेगी ?

(३) बांध भीमसागर की नहरों में जिन काश्तकारों की भूमि आई है उनको भूमि का मुआवजा कब तक मिल जावेगा ? अब तक मुआवजा न मिलने का क्या कारण है और अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस बांध का कार्य सन् १९५४ में प्रारम्भ किया गया एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण करने की योजना थी।

(२) इस योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में धन की उपलब्धि के आधार पर पूर्ण करने का प्रावधान है।

Page No 15

(श्री दिनेशराय डांगी)

(३) मुआवजा शीघ्र देने की कार्यवाही की जा रही है। यह राशि रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण अब नहीं दी जा सकी। तखमीने की मान्यता योजना आयोग द्वारा फरवरी सन् ६४ में दी गई है एवं राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित; है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही मुआवजे सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री प्रभुलाल सैन्टर : क्या यह सही है कि असनावर इस बांध के कारण डूब में आया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां, बांध बनेगा तो असनावर जरूर डूब में आयेगा।

श्री प्रभुलाल सैन्टर : जब वहां नहर बन चुकी है करीब २४-२५ मील तो क्या यह सम्भावना नहीं है कि वहां बांध बनेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, पूरी सम्भावना है कि बांध बनेगा, क्योंकि पहले स्टेट के जमाने में १८ लाख की अनुमानित लागत उस बांध की आंकी गई थी। इसके बाद इसकी लागत ७३ लाख हो गई। इस बीच में योजना आयोग से स्वीकृति जब तक नहीं आ सके तब तक उसे रोके रखा। अब स्वीकृति आ गई है तो मुआवजा जल्दी दिया जायगा और काम चौथी योजना के पहले साल में बनेगा।

श्री प्रभुलाल सैन्टर : क्या यह सही है कि असनावर डूब में आने वाला है, लेकिन अभी उसके डेवलपमेंट पर जो मकान बनवा रहे हैं, जो मकानों की मरम्मत करवा रहे हैं तो उसको भी उस मुआवजे में शामिल किया जायगा या नहीं किया जायगा जब यह असनावर डूब में आ जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुआवजा रूल्स के तहत दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : असनावर डूब में आ जायगा लेकिन अभी जो वहां लोग रह रहे हैं वे अपने मकानों की मरम्मत करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं दिया जायेगा ? जो मुआवजा पहिले बन चुका है वह दिया जायगा क्योंकि आप कह चुके हैं कि कोई मकान को बनवायेगा या मरम्मत करवायेगा तो उसको मुआवजे में शामिल नहीं किया जायेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : आप अपनी तरफ से रिपेयरिंग करायेंगे तो कैसे शामिल होगा ?

श्री गोविन्दसिंह : जब असनावर डूब में आने वाला है तो आप उन लोगों को दूसरी जगह क्यों नहीं बसा रहे हैं ? अगर आप उनको दूसरी जगह नहीं बसाना चाहते हैं तो उसका खर्च शामिल किया जायगा या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश की जा रही है, कलेक्टर साहब को लिखा जा रहा है। इसके सम्बन्ध में १९-७-६२ का नोटिफिकेशन है और उसके बाद में कलेक्टर साहबान को लिखा है, जितनी जल्दी मुआवजा

(श्री दिनेशराय डांगी)

देने का सवाल सैटल हो सकता है उतना जल्दी किया जाय। हम कोशिश करेंगे कि जो डूब में आने वाला है उनको जल्दी मुआवजा दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह सही है कि असनावर के लोग दूसरी जगह बसने को तैयार हैं ? यह लिखित में भी दे दिया है। असनावर क्योंकि डूब में आ रहा है इसलिए वहां के लोगों ने लिख कर दे दिया है कि अगर सरकार दूसरी जगह बता दे तो वहां बसने के लिए तैयार हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : हां ! ऐसी सूचना है कि वे बसने को तैयार हैं।

श्री गोविन्दसिंह : जब सरकार को मालूम है कि असनावर डूब में आने वाला है तो वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाने में क्या अड़चन है ?

श्री दिनेशराय डांगी : हमें कोई अड़चन नहीं है। अगर दूसरी जगह वे बसना चाहते हैं तो वे दर्ख्वास्त भेज दें। जो लोग वहां रहते हैं वह अलग अलग आयें कि हम बसने के लिए तैयार हैं तो उनको बसा दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन्हें बसाने से मतलब नहीं है डुबाने से मतलब है।

श्री अध्यक्ष : योजना बनाई है वह देखें, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि डूब में आयेगा तो उनको कहां बसाया जाय और कहां नहीं बसाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति मालूम नहीं होती है बसाने की ?

श्री अध्यक्ष : नीति तो है ; योजना है या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी योजना है पांच-छः साल लगेंगे। आज का आज बांध तो बनेगा नहीं, जब बनेगा तब डूब में आयेगा।

श्री अध्यक्ष : अब योजना बनाते हैं तो उसके बाद कई वर्ष में पूरी होगी।

श्री दिनेशराय डांगी : जल्दी की जायगी।

श्री अध्यक्ष : इसके अन्दर ऐसा करें कि जिससे दिक्कत नहीं आये।

श्री गोविन्दसिंह : ढ्योढ़ी पिटवा दी है कि लोग मकानों का एक्सटेंशन नहीं करायें, रिपेअर नहीं करायें। दूसरी तरफ असनावर डूब में आने वाला है तो वहां के लोगों को किसी दूसरी जगह बसाने की योजना नहीं है। वहां पर तीन-चार हजार की आबादी है, उनको दूसरी जगह बसाना है तो प्लान करना पड़ेगा। अभी नहीं करें तो जब डूब में आयेगा उस वक्त क्या हालत होगी—इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

प्रश्न संख्या ८३२

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

त्रेस्टा तालाब तहसील गंगरार की डूब में आने वाले पुख्ता भैंरूजी का दवरा का मुआवजा

८३३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तालाब त्रेस्टा, तहसील गंगरार में एक पुख्ता भैंरूजी का देवरा डूब में आया है ?

(२) क्या यह सही है कि उसका मुआवजा नियमानुसार नहीं आंका गया है ? यदि हां, तो पहिले कितना आंका गया और बाद में कितना ?

(३) क्या यह भी सही है कि मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला है ?

(४) यह मुआवजा किसे दिया जायेगा और किस आधार पर और मुआवजे की रकम का उपयोग किस प्रकार होगा ?

उप-मन्त्री. सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) इसका मुआवजा नियमानुसार सिर्फ एक ही बार २१८८) रु० का आंका गया था किन्तु ऐतिहासिक महत्ता रखने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार अब दुबारा ३७९८) रु० का बनाया गया ।

(३) जी हां, यह सही है कि मुआवजा अभी तक किसी को नहीं दिया गया है क्योंकि अब जनता के प्रतिनिधि श्री उदयलाल पुरोहित ने उपरोक्त रकम ३,७९८) रु०, लेना स्वीकार कर लिया है और मुआवजे के वेल्युएशन फॉर्म एवार्ड जारी करने हेतु एस. डी. ओ., चित्तौड़गढ़ को भेज दिये गये हैं ।

(४) जनता के प्रतिनिधि श्री उदयलाल पुरोहित को दिया जायगा और यह रकम नया भैंरूजी का मन्दिर निर्माण करने में खर्च होगी ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक स्थान है इसलिए पंचायत के मार्फत मुआवजा मिलना चाहिए ताकि रकम लगा कर लोगों के लिए मन्दिर बन जाय ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिये । आप चाहते हैं कि यह मुआवजा जो है यह पंचायत की मार्फत दिलाया जाय ताकि उस पैसे से वापिस मंदिर बन सके ।

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो वहां की जनता का मन्दिर है । उसका कोई पंडित होगा पुराना और उसने लिख कर दिया होगा, या वह अलग से लिख कर दे तो अलग बात है । वर्ना दूसरे को कैसे दिया जा सकता है ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जनता का मन्दिर होते हुए भी पंचायत के द्वारा रकम मिलनी चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप से खर्च की जा सके।

श्री दिनेशराय डांगी : इस बात की जानकारी किये बिना नहीं कह सकता कि पंचायत को मिले। जिसका क्लेम चल रहा है, वह भैरू जी का मन्दिर बनेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता की तरफ से दर्ख्वास्त पेश करने पर आप पंचायत को रकम दिलवा सकेंगे ?

प्रश्न संख्या ८३४

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री स्वरूपसिंह

श्री मानसिंह महार : प्रश्न संख्या ८३५।

नगरपालिका स्थापित करने का आधार

८३५. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) [श्री मानसिंह महार (आमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका स्थापित करने के लिए कितनी आबादी की आवश्यकता है और यह आबादी कितने कितने फासले पर होनी चाहिए ?

(२) क्या यह सही है कि मंडोर के आसपास का क्षेत्र पुरला, चैनपुरा, मगरा, नयापुरा, नागोरिया, बासनी, बालसमंद बहुत ही समीप बसे हुए हैं और इनकी दूरी परस्पर आधा मील से अधिक नहीं है ?

(३) यदि हां, तो क्या इन आबादी वाले क्षेत्रों को मिला कर सरकार मंडोर में नगरपालिका कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) ८००० या इससे अधिक आबादी पर नगरपालिका स्थापित की जा सकती है। फासला १ मील से अधिक नहीं होना चाहिये।

(२) दूरी सम्बन्धी जानकारी विभाग में प्राप्त नहीं है।

(३) जी नहीं। इन ग्रामों में से ४ ग्राम-मन्डोर, पुरला, चैनपुरा व बासनी नगर परिषद्, जोधपुर में मिला दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

श्री मानसिंह महार : दूरी की आप जांच नहीं कर सकते तो क्या फिर प्रश्न पूछने से फायदा ? आपने कह दिया, दूरी सम्बन्धी जानकारी नहीं है। प्रश्न बहुत स्पष्ठ है, पहले दूरी की जानकारी करनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : हमने पंचायत समिति से सम्पर्क स्थापित किया, बी० डी० ओ० से, कलेक्टर से जानकारी लेने की

Page No 19

(श्री दौलतराम सारण)

कोशिश की लेकिन गांवों की दूरी का ठीक पता नहीं चल सका। जो चार गांव हैं, मन्डोर, पुरला, चैनपुरा व बासनी-इनको नगर परिषद् जोधपुर में मिला दिया गया है पहले ही, इसलिए अलग से नगरपालिका नहीं बनाई जा सकती।

श्री मानसिंह महार : प्रश्न यह है, बाकी चार पांच-गांव रह जाते हैं वह इतने नजदीक हैं कि इनको नगरपालिका में मिला दिया जाय तो जो सड़क वगैरह टूटी हुई है और जनता को परेशानी होती है वह दूर हो सकती है।

श्री दौलतराम सारण : इन गांवों की निश्चित दूरी है वह जोधपुर नगर परिषद् को पता नहीं है। पूछने पर पता लग सकता है कि मिलाने की स्थिति में हैं या नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंडोर के लिए आपने बताया कि नगर परिषद् जोधपुर के अन्दर में हैं। मंडोर में लोग जाते हैं स्नान वगैरह करते हैं और वहां गन्दा पानी पीते है। आपने इस ओर ध्यान दिया कि स्वच्छ पानी रहता है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : नई नगरपालिका बनाने का प्रश्न है। माननीय सदस्य प्रश्न को देखें।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा मतलब यह है कि जोधपुर में इसको इन्टीग्रेट कर दिया गया है और नगरपालिका के द्वारा यह गवर्न किया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर नगरपालिका अपने कर्त्तव्यों के अनुसार कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ८३६।

श्री मानसिंह महार : प्रश्न यह था, खास प्रश्न है इस...

(उप-मंत्री, शिक्षा ने प्रश्न ८३६ का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया)

मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप अपने कान बहरे मत कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : न मुझे सुनाई दे रहा है न दूसरों को।

(उप-मंत्री, शिक्षा प्रश्न ८३६ का उत्तर पढ़ते रहे)

श्री मानसिंह महार : मैं सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन कर रहा हूं। उप-मंत्रीजी के कान बहरे हो गये हैं इसके लिए मुझे दुःख है, लेकिन सवाल यह है....

(उप-मंत्री, शिक्षा प्रश्न ८३६ का उत्तर पढ़ते रहे)

आपको उडा ले गये थे। आपको मालूम है या नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा था, यह नहीं हो सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : किसी चीज की हद होती है !

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ आॅर्डर है और मैं पूछ रहा हूं, मगर फिर भी माननीय मंत्री बोलते जा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : This is no point of Order. आपने आदेश दिया और मैंने उत्तर देना प्रारम्भ किया।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़े से समय के लिये यह आदेश वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह महार : मेरे प्रश्न पूछने का मकसद यह है कि उनको म्युनिसिपैलिटी किस प्रकार से सहूलियतें देगी और सड़कें वगैरह के बारे में उनको सहूलियतें कब तक उपलब्ध होंगी ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो म्युनिसिपैलिटी के देखने का काम है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्राम-पुर) : आपने जो उत्तर दिया वह समझ में आया कि आपने तीन-चार गांवों को म्युनिसिपैलिटी जोधपुर में मिला दिया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाकी के गांवों में आबादी पर्याप्त नहीं है कि वहां पर म्युनिसिपैलिटीज स्थापित हों ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

ग्राम शाहपुरा में डाका

८३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम शाहपुरा, तहसील अलवर में भौंरीलाल महाजन के घर पर ११-१२-६४ को डाका डाला गया था ?

(२) क्या यह सही है कि डाकुओं के पास तलवारें और बन्दूकें थीं और उन्होंने दो औरतों को बुरी तरह मारा-पीटा था ?

(३) क्या यह सही है कि डाका डालने वालों का गिरोह आठ आदमियों का था और उनमें से एक आदमी गिरफ्तार भी हो चुका है ? यदि हां, तो जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम क्या है और वह कौनसी तारीख को गिरफ्तार किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि यह डाकुओं का गिरोह अलवर जिले से बाहर का बताया गया है ?

(५) क्या इस डाके के सम्बन्ध में कोई और गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है ? अगर हां, तो किस कस की ? अगर नहीं, तो पुलिस ने डाकुओं को पकड़ने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

(६) क्या इस डाका डालने में किसी स्थानीय व्यक्ति की भी साजिश पाई गई है ?

Page No 21

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, किन्तु डकैती दिनांक १०-१२-६४ को हुई थी, न कि ११-१२-६४ को।

(२) दो डकैतों के पास बन्दूकें थीं, एक के पास तलवार और शेष पांच के पास लाठियां थीं। डकैतों ने दो औरतों को लाठियों और घूंसों से साधारण मारपीट की जिससे एक के एक साधारण चोट आई और दूसरी के कोई प्रकट रूप में चोट नहीं आई।

(३) जी हां. बन्दी बनाये हुए डकैत का नाम श्री हुकमसिंह पुत्र करकासिंह राय-सिक्ख निवासी सदा का जोड़ा सरदारगढ़ जिला गंगानगर है तथा उसे दिनांक ११-१२-६४ को प्रातः ३॥ बजे बन्दी बनाया गया।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं। अभी तक शेष ७ डाकुओं में से एक भी बन्दी नहीं हो पाया है। यद्यपि सभी सम्भव प्रयास उनको खोजने के लिए किये गये हैं और किये जा रहे हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त कर उनकी तामील के लिए एक उप-निरीक्षक को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है ताकि बन्दी न होने की अवस्था में उनके विरुद्ध धारा ८७ तथा ८८ भा० दं० वि० सं० की कार्यवाही कर उनको उपस्थित होने के लिए बाध्य करें।

(६) जी नहीं। यद्यपि धन्ना चमार के विरुद्ध उसका इस डकैती में हाथ होने का सन्देह प्रकट किया गया है जिसके तथ्यों की जांच की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो डाकू पकड़ा गया है उसने कुछ लोगों के नाम बताये हैं वे लोग कौन कौन हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोगों से मतलब आपका उन व्यक्तियों से है जो डकैती में शरीक थे; संग्रामसिंह, किशनसिंह, उकसनसिंह, पटनसिंह, लक्ष्मणसिंह ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह आखिरी नाम आप जोर से बोले 'लक्ष्मणसिंह' इसका क्या कारण है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके बहाव में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस इन्क्वायरी से आपको पता लगा कि ये गंगानगर से आने वाले लोग अलवर में कहां पर ठहरे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इन्वेस्टीगेशन के दौरान की चीज है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये लोग यहां अलवर में किसी भी स्थानीय व्यक्ति के यहां पर ठहरे या खाना खाया है इस तरह की सूचना आपके पास नहीं आई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह की सूचना नहीं है। चमार धन्ना के विरुद्ध

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सन्देह प्रकट किया गया है जिसकी जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मानिकचन्द सुराणा।

चीनी के भाव

८३७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, व कोटा में पिछले बारह महीनों में चीनी के प्रति किलो भाव क्या क्या रहे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे। इन भावों के आगे यह भी प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें कि उक्त मूल्यों में से प्रति किलो कितना पैसा इक्वीलाइजेशन फन्ड व राउन्डिग ऑफ के नाम से क्रमशः चार्ज किया गया ?

(२) उक्त छः जिले में इक्वीलाइजेशन फन्ड के नाम पर व राउन्डिग के नाम पर वसूल हुई धन-राशि कितनी कितनी है ? इसका व्योरा सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार ने राउन्डिग ऑफ के मद में इकट्ठे किये गये पैसे के आधार पर कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न भागों में चीनी के प्रति किलो भाव एक नहीं थे ? यदि हां, तो इस फर्क का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) जी नहीं। कन्ट्रोल की वस्तुओं की रिटेल प्राइस फिक्स करने के फलस्वरूप आये अन्तर का अनुचित लाभ व्यापारियों को न मिल सके तथा उसका प्रयोग आम जनता के हितार्थ हो, को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्स कोमोडीटीज चैरिटी फण्ड की स्थापना की गई है अतः प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां। चीनी के कोटे का अलॉटमेंट केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक पृथक मिलों का होता है और उन मिलों की दरें भी भिन्न २ होती हैं। रेल भाड़ा भी दूरी के हिसाब से कमी-बेशी होता है, आदि कारणों से ही राज्य के जिलों में भिन्न भिन्न दरें नियुक्त होती हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सूची पेश की है उस सूची के अनुसार बीकानेर में अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में १ रु० ४३ पै० प्रति किलो चार्ज किया है रिटेलर से जबकि १२।३४ और १३)१९ पैसे चैरिटी में एक क्विण्टल पर डाले गये हैं। क्या सरकार इतनी बड़ी रकम चैरिटी फन्ड में डालना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उचित समझती है और जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी स्प्रिट के अनुकूल इसको समझती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने इस प्रकार के प्रश्न पर निवेदन किया था कि भिन्न भिन्न रेट की बोरियां थीं, जिस रेट से बेचीं उसका डिफरेन्स था उसको इस फन्ड में जमा कर दिया। यह व्यवस्था सारे राजस्थान में नहीं है। पूरी जानकारी नहीं होने से इस प्रकार के भावों को भी निश्चित कर दिया गया। इसमें कोई कलेक्टर का मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि जिन मंडियों से चीनी आई उसमें भाव हमारे यहां बीकानेर में बहुत तेज थे। आपने जो लिस्ट दी है उसमें अक्टूबर, नवम्बर को देखिये। थोक मूल्य १३०.६६, १२९.८१ और १२९.७२ में प्रति क्विन्टल शक्कर आई। आपने १.४३ प्रति किलो में वह बेची है। आपने १२.३४ और १३.१९ पैसे चेरिटी फन्ड में डाले हैं। आपने जो लिस्ट दी है उसको आप देखिये। आपने ६ जिलों की कम्पेरेटिव लिस्ट दी है और इतनी बड़ी राशि १२) रु० और १३) रु० इसमें डाली गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी शहर में ऐसा नहीं हुआ है। मंत्री जी क्या यह बतावेंगे कि कोटा और अजमेर में एक पैसा भी चैरिटी फन्ड में नहीं डाला था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे कोटा और अजमेर को छोड़ कर चारों शहरों के कलेक्टर चैरिटी फन्ड में पैसा जमा कराते हैं, यह क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है अजमेर और कोटा में कितनी रकम इस फन्ड में जमा हुई है नहीं लिखी है। दूसरी सूची आपको दी गई है उसमें कोटा के २०२६२९.८३ पै० और अजमेर के ६५,७४४.५६ पैसे बताये गये हैं। इस फन्ड में वह रकम भी जमा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कोटा और अजमेर की आबादी बीकानेर से कम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जरूरी नहीं है कि आबादी के हिसाब से रकम हो। वंट में कितनी शक्कर आती है, कितना खर्चा पड़ता है उस राउन्डिंग अप में....

श्री मानिकचन्द सुराणा : १२) रु० क्विन्टल चैरिटी फन्ड में डालते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसके बारे में कल भी कहा और आज भी यही कहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : इस पर कल पूरी बहस हो गई थी। दो महीनों में ज्यादा आया है जैसा कल आपको बताया। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने अपने प्रश्न के भाग (३) में पूछा है कि क्या सरकार ने राउन्डिंग ऑफ के मद में इकट्ठे किये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नये पैसे के आधार पर कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है ?'

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इसको कम नहीं करेंगे और अभी भी कह रहा हूं कि इस पैसे को इसके काम में नहीं लिया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके लिए सरकार नियम बनाना क्या उचित समझती है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार इसको एक प्रकार का एडीशनल टैक्स नहीं समझती ? राउन्डिंग ऑफ करके अतिरिक्त टैक्स जनता पर रखती है और क्या यह अधिकार कलेक्टर को दिया जा सकता है ? यह अधिकार तो विधान सभा को है। फिर वह वहां पर ज्यादा पैसा कलेक्टर ने किस प्रकार से लिया यह मैं जानना चाहता हूं। चाहे वह पैसा सरकार के खजाने में ही जमा करे। मगर उसको लेने का क्या अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका जवाब माननीय मंत्री को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत से प्रश्न बाकी रह गये है।

श्री भैरोंसिंह।

(१२.०० मध्यान्ह)

बांकली बांध पर खुशहाली कर

८३८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाकली बांध (तहसील पाली व आहोर) का निर्माण कब हुआ था और उसके पश्चात् इसकी कब कब मरम्मत कराई गई और उन पर कितना कितना खर्च हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इस बांध के सम्बन्ध में भूतपूर्व जोधपुर रियासत द्वारा आबयाना वसूल किया जाता था ? यदि हां, तो किस दर से ?

(३) इस बांध से पिछले १० वर्षों से कितने कितने बीघा की सिंचाई हुई है तथा बांध में कितना कितना पानी आया है ?

(४) क्या इस बांध पर खुशहाली कर लागू किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष से किस दर से, किन नियमों के अन्तर्गत ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) बांकली बांध का निर्माण जोधपुर राज्य द्वारा १९०५ में किया गया था। सन् १९५४ में इसका जीर्णोद्धार किया गया जिस पर ९,६५,००० रु० व्यय हुआ।

(२) सूची (अ) संलग्न है।

(३) सूची (ब) संलग्न है।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(४) एक मुश्त जमा कराने पर ४५ रु० प्रति एकड़ व १० किश्तों में जमा कराने पर ४५ रु० प्रति एकड़ की दर से कर राजस्थान विशेष सिंचाई शुल्क अधिनियम, १९५३ के भाग १० के अन्तर्गत लागू किया गया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : बांध को बनाने में किसने पैसा खर्च किया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : बांध के बनाने का लेखा-जोखा हमारे पास नहीं है, यह १९०५ में बना था जब कि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जोधपुर राज्य ने बांध बनाया तो क्या वहां बेटरमेंट लेवी जोधपुर स्टेट के समय में ली जाती थी क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : बेटरमेंट लेवी के नियम १९५९ में लागू किये गये हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह सही है कि जो बांध पुराने बंधे हुए हैं और उसके नीचे जमीनें हैं, उन पर बेटरमेंट लेवी नहीं लग सकती ?

श्री दिनेशराय डांगी : ९,६५,००० रु० बाद में खर्च किया है।

श्री तेजाराम गहलोत : बेटरमेंट लेवी का कितना पैसा वसूल कर लिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कानून में व्यवस्था है कि यदि कोई पुराना बांध बना हुआ है उसमें जो ओरीजिनल बांध था उसके बनाने में जितना पैसा लगा उससे ज्यादा पैसा खर्च किया जाय तो वह बांध नये की तारीफ में आता है।

श्री तेजाराम गहलोत : पुराना खर्चा कितना हुआ, उसका आपके पास हिसाब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि बेटरमेंट लेवी उसमें लगती है, जिसमें पहले जितना रुपया खर्च हुआ उससे ज्यादा पैसा खर्च करके उसकी तरक्की की जाती है। कितना पहले खर्च हुआ कितना बाद में खर्च हुआ कितना इम्प्रूवमेंट पहले से किया उस हिसाब से बेटरमेंट लेवी ली जाती है, इसकी व्यवस्था नियमों में है।

श्री तेजाराम गहलोत : जो पहले से ही नहरें थीं उन पर बेटरमेंट लेवी ली जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सिंचाई पहले से बढ़ी है, उसी एरिया पर बेटरमेंट लेवी लगाई है या दूसरे एरिया पर भी लगाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किन एरियाज पर लगी, किन किन एरियाज पर नहीं लगी, यह मेरे पास इस समय नहीं है। इसी विधान सभा के बनाये हुए कानून में यह व्यवस्था है कि पुराने तालाबों में ज्यादा खर्चा करके पानी की आमद को बढ़ाया जाय, पानी की आमद को असर्टेन किया जाय,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किसानों के लिए क्रॉप की सर्टेन्टी पैदा की जाय, तो नये फैक्ट्स के एडीशन से नया लाभ किसानों को मिला है उसके तहत बेटरमेंट लेवी वसूल की जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सरकार का यह कर्त्तव्य है कि पुराने बांधों की उचित मरम्मत करवाये, फिर यह बेटरमेंट लेवी लगाना कहां तक उचित है? मरम्मत मात्र करा कर कहना कि प्रचुर मात्रा में मरम्मत की गई है, मरम्मत पर पैसा लगाया गया है, यह कह कर बेटरमेंट लेवी किसानों से वसूल करना कतई न्यायसंगत नहीं है। अगर बड़े तालाब बंधवायें और बेटरमेंट लेवी लगायें तो कोई विरोध नहीं कर सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने निवेदन किया कि बहुत ज्यादा धनराशि खर्च करके पुराने छोटे बांध की तरक्की की गई है, नये की तरह बनाया गया है, इसलिए बेटरमेंट लेवी के नियमों के अनुसार बेटरमेंट लेवी वसूल की जा रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह एक ही तालाब के सम्बन्ध में प्रश्न है, पर मैं निवेदन करूं कि जगह जगह यह किया गया है कि पुराने तालाब की मरम्मत नाम मात्र के लिये करवा कर वहां बेटरमेंट लेवी चार्ज की जाती है, यह उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो इस बांध का ओरीजिनल कामाण्डेड एरिया है वह बढ़ा है या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा: बांकली का ओरीजिनल बांध था वह बहुत छोटा बांध था, पहले उसके नीचे एक हजार का रकबा इरिगेशन के कब्जे में था, अब ६००० एकड़ है; बहुत बड़ी तादाद में बांध को नई शक्ल दी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनाज का तस्कर व्यापार

८१८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा स्टेशन तथा सिरोही आउट एजेन्सी पर चने का तस्कर व्यापार होता हुआ पकड़ा गया था?

(२) उपरोक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) दोनों प्रकरणों का चालान कर दिया है। एक न्यायालय में विचाराधीन है, दूसरा न्यायालय में अधिकार क्षेत्र के

(श्री गृह मंत्री)

प्रश्न पर खारिज हो गया जिसकी निगरानी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

हथकड़ी डालने की जांच

८२१. श्री अवणलाल (हिन्डौन-सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर पुलिस द्वारा श्री जोधसिह चौहान, सदस्य विधान सभा के हथकड़ी डाली गई ? यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

(२) क्या यह भी सही है कि हथकड़ी कांड में केवल पुलिस के ही एक सिपाही को नौकरी से हटाया गया है जिसको यह पता भी नहीं था कि उक्त सदस्य जेल में है, और उसको अदालत में पेश करना है ?

(३) क्या यह सही है कि इस केस में पुलिस अधिकारियों को सिपाही को उचित आदेश देकर ही भेजना चाहिये था जिसमें इस प्रकार की गलती नहीं होती ?

(४) क्या सरकार बड़े अधिकारियों को भी इसमें दोषी मानती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(५) क्या सरकार इस मामले की जांच करके संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, श्री जोधसिह को दिनांक २५-११-६४ को धारा १०७-१५१ जा० फो० के इस्तगासे की सुनवाई के लिए उन्हें जेल से न्यायालय में ले जाते समय हथकड़ी लगाई गई थी, जो कुछ मिनट पश्चात् ही उनका विधान सभा का सदस्य होना मालूम होते ही जेल की चारदीवारी में ही निकाल दी गई। कानून की दृष्टि से विधान सभा के सदस्य के पुलिस बन्दी अवस्था में हथकड़ी लगाने पर रोक नहीं है किन्तु प्रशासनिक आदेशों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए पूरा एहतियात बरता जाता है।

(२) जी नहीं। इस सम्बन्ध में संबंधित सिपाही को विभागीय जांच के दौरान निलम्बित कर दिया गया है।

(३) जेल विभाग से पुलिस की गार्ड मंगाते समय इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस विभाग को नहीं दी गई कि पेशी पर किसी विधान सभा के सदस्य को ले जाना है, अतएव पुलिस की गार्ड को इस प्रकार के आदेश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(४) जेल विभाग के द्वारा कोई सूचना न भेजे जाने की दशा में इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये जा सके, अतएव किसी बड़े अधिकारी के जिम्मेवार होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(५) हथकड़ी लगाने वाले सिपाही के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। इस

(श्री गृह मंत्री)

समय अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

राणा प्रतापसागर बांध के पत्थरों का ठेका

८२४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणा प्रतापसागर बांध (रावत-भाटा) में लगने वाले पत्थर का ठेका किस-को किन शर्तों पर दिया गया ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(२) इसमें अब तक कुल कितनी लागत का पत्थर लग चुका है ? क्या जो पत्थर आया है वह शर्तों के अनुसार आया है ?

(३) क्या यह सही है कि पत्थर लेने के पूर्व पत्थर की जांच होती है ? यदि हां, तो क्या किसी खान का पत्थर पहले रिजेक्ट किया गया था और बाद में उसी को लगाने के लिए मंजूर कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस बांध के लिये पत्थर का अलग से कोई ठेका नहीं दिया गया । अतः प्रतिलिपि रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(२) क्योंकि कोई पत्थर विभाग द्वारा रावत भाटा मुख्य बांध के लिए अलग से नहीं लिया गया है, इस कारण उसकी लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(३) जी हां । पत्थर काम में लेने के पहले उसकी जांच की जाती है । जांच में खराब पाये पत्थर काम पर नहीं लगाये गये ।

८२६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कलेक्टर, बीकानेर ने दिसम्बर, ६४ में बीकानेर की जनता का राशन (गेहूं) २।। किलो प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह से घटा कर १।। किलो प्रति व्यक्ति कर दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि संसोपा बीकानेर व बीकानेर की जनता ने इसके विरुद्ध आम सभाएं करके अपना असंतोष प्रगट किया और २।। किलो राशन की मांग की ?

(३) क्या संसोपा, बीकानेर ने २५ दिसम्बर, ६४ तक राज्य सरकार द्वारा ढाई किलो गेहूं प्रति व्यक्ति की घोषणा न करने पर आन्दोलन शुरू करने का एलान किया था ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त तारीख से पूर्व, कलेक्टर, बीकानेर को राज्य सरकार ने दो किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह करने के आदेश दे दिये थे व कलेक्टर ने तदनुसार घोषणा कर दी थी ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(५) क्या यह सही है कि ता० ४-५ जनवरी, ६५ को कलेक्टर बीकानेर ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के पुनः मनमाने तौर पर डेढ़ किलो राशन प्रति व्यक्ति देना शुरू कर दिया जिसके विरोध में ता० ७ जनवरी, ६५ से संसोपा ने बीकानेर में अनशन व आन्दोलन प्रारम्भ किया ?

(६) क्या यह सही है कि ता० ७ जनवरी, ६५ को भूख हड़ताल शुरू करने के पहले संसोपा ने कलेक्टर. बीकानेर को ता० ६ जनवरी को एक पत्र के द्वारा अपनी मांगें सूचित कीं ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(७) क्या राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष संसोपा बीकानेर ने ता० १० जनवरी, ६५ को विशाल जुलूस के द्वारा प्रदर्शन करके अपनी मांगों का समर्थन किया? मुख्य सचिव ने संसोपा के प्रतिनिधि मण्डल को क्या क्या आश्वासन दिये ? उक्त आश्वासनों में से कौन २ से आश्वासन पूरे हो चुके हैं ?

(८) क्या कलेक्टर बीकानेर द्वारा राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध ता० ५ जनवरी, ६५ से डेढ़ किलो प्रति व्यक्ति राशन दिये जाने के कारण राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही आज तक की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(९) क्या यह सही है कि २५ दिसम्बर, ६४ के करीब डेढ़ किलो राशन से किया २ किलो राशन मुख्य मंत्री के आदेश से किया गया था ? यदि हां, तो कलेक्टर, बीकानेर द्वारा उक्त हुक्म की अवहेलना के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) स्टोक पोज़ीशन को ध्यान में रखते हुए, एवं जनता में व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से समय समय पर कमी-बेसी की जाती रही है।

(६) जी, हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(७) जी, हां। उस समय मुख्य सचिव महोदय ने बीकानेर के लिए आयातित गेहूं का कोटा बढ़ाने हेतु अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करने के आश्वासन दिये थे। उक्त आश्वासन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बीकानेर की स्थिति को देखते हुए २६५ टन आयातित गेहूं का कोटा और अधिक दिया गया। फरवरी में जनवरी के मुकाबले में २३५ टन और अधिक दिया गया।

(८) स्थिति प्रश्न के भाग ५ में स्पष्ट कर दी गई है, अतः प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(श्री खाद्य मंत्री)

(६) जिलाधीश बीकानेर ने १।। किलो के बजाय २ किलो गेहूँ देना प्रारम्भ किया था। माह दिसम्बर में बीकानेर जिले को केवल ८०५ टन आयातित गेहूं ही प्राप्त हुआ था। जबकि उनकी मांग २,००० टन गेहूँ की थी। अतः गेहूं के वितरण को सुचारू रूप से सब जनता को प्राप्त हो सके। उन्होंने पुनः २ किलो के बजाय १।। किलो प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह गेहूँ देना आरम्भ किया था। इस सम्बन्ध में जिलाधीश प्राप्त कोटे के अनुसार ही गेहूं का वितरण करवाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

कुओं की खुदाई में निकलने वाली मिट्टी

८२८. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शम्भुपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ मांगरोल में कुओं की खुदाई करने से पीली तथा लाल मिट्टी निकलती है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रकार कुओं से निकलने वाली मिट्टी इधर उधर लाने ले जाने नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। जहां इस खनिज के भंडार हैं वहां कुआ खोदने पर यह खनिज निकलती है। क्योंकि इस खनिज का स्वामित्व सरकार का है, प्रधान खनिज रियायत नियम, १९६० के अन्तर्गत खनिज विभाग से स्वीकृति लिये बिना तथा अधिकार शुल्क दिये बिना कोई भी इस खनिज को इधर उधर ला व ले जा नहीं सकता।

भंडार तालाब के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

८२९. श्री नाथूराम (बागीडौरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील गढ़ी में स्थित भंडार तालाब कब बनाया गया और उस पर कितनी धन-राशि खर्च हुई है ? उस तालाब से कितनी भूमि सिंचित होती है ? अगर नहीं होती है तो क्या कारण है ?

(२) इस तालाब के निर्माण के सम्बन्ध में कितने परिवारों की भूमि ली गई है ? क्या उन परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है ? अगर नहीं दिया गया है, तो क्या कारण है ?

(३) क्या गत वर्ष इस तालाब के बारे में मंत्री महोदय को प्रार्थना-पत्र पेश होने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उदयपुर को कोई आदेश दिया गया था ? अगर हां, तो उस आदेश का पालन हुआ या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(श्री सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

इम्पोर्टेड गेहूँ का कोटा

८३०. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर शहर, प्रथम) : क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार का इम्पोर्टेड गेंहूं का कोटा कम कर दिया है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े बड़े शहरों में इम्पोर्टेड गेंहूं का कोटा राज्य सरकार द्वारा भी कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर अजमेर, कोटा व उदयपुर का कितना था, और अब कितना है ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा व अजमेर को इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा जोधपुर से दुगने से भी अधिक नियत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि कोटा जिला खाद्यान्न उत्पादन केन्द्र है और जोधपुर खाद्यान उपभोक्ता केन्द्र है ?

उत्तर

(१) जी हां। भारत सरकार ने राजस्थान का इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा माह नवम्बर, १९६४ से पहले की तुलना में कम कर दिया है। माह जुलाई, ६४ से अक्टूबर ६४ तक लगभग ५०,००० टन अलॉट किया जाता रहा। नवम्बर, ६४ से मार्च, ६५ तक क्रमशः ३०,०००; २०,०००, १५,००० १५,००० एवं १०,००० टन अलॉट किया गया है।

(२) जी हां, वांच्छित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं। किसी भी जिले के लिए आयातित गेहूँ का कोटा नियत नहीं है। अलॉटमेंट किसी जिले की परिस्थितियों तथा स्टॉक पोजीशन का ध्यान रख कर किया जाता है।

(४) जी हां। किन्तु हर प्रकार के खाद्यान्न के लिए नहीं। कोटा जिला गेहूं चणा का उत्पादन केन्द्र है तो जोधपुर बाजरे का उत्पादन केन्द्र है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम साहबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

८३२. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम साहबा, तहसील तारानगर, जिला चूरू के निवासियों

Page No 32

(श्री रावतराम)

ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये दस हजार रुपये नकद सरकार को दिये थे ? यदि हां, तो यह रकम सरकार को कब मिली ?

(२) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? यह कार्य कब शुरू हो जायेगा और स्टाफ कब तक पहुंच जायगा ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २-३-१९६४ को

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहबाक उसके सब-सेन्टर क्रमशः चाबास, बियाना व राजपुरा को स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक ३१-३-६५ को दी जा चुकी है। पंचायत समिति द्वारा भवन एवं कर्मचारियों के लिए आवास-गृह प्राप्त होते ही स्टाफ की नियुक्ति की जा सकेगी।

नगरपालिका नदबई को सहायता

८३४. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका नदबई द्वारा गृह कर कब से लगाया गया है ?

(२) सरकार नगरपालिका नदबई को कुल कितनी सहायता इस वर्ष देने का इरादा रखती है ?

(३) नगरपालिकाओं की सहायता की राशि क्या नगरपालिका की आमदनी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है ?

उत्तर

(१) गृह-कर दिनांक १-१०-६२ से लगाया गया है। उसी तारीख से वसूल किया जावेगा।

(२) वर्ष १९६४-६५ में २,९८९) रुपये की राशि सहायता के रूप में दी गई है।

(३) जी नहीं। सन् १९६१ की जन-संख्या के आधार पर ५० पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी जाती है।

(१२.९ म. प.)

उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं

(सदन की मेज पर रखना)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना सं० एफ० ७ (१८३) इर्रीग।६२, दिनांक १९ अक्टूबर, १९६४ जिसके द्वारा नियोग्य भूतपूर्व सैनिकों तथा प्रतिरक्षा विभाग के कृत कर्मचारी वर्ग के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि का आवंटन) नियम, १९६२ में नया नियम ११, जोड़ा गया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) अधिसूचना संख्या एफ० ४ (४) ख । कोल । ६४, दिनांक २१—१२—१६६४ जिसके द्वारा राजस्थान कॉलोनाइजेशन (टेम्पोरेरी कल्टीवेशन लीजेज) कन्डीशन्स, १६५५ में संशोधन किये गये हैं ।

(३) अधिसूचना संख्या एफ० ७ (२८) इरीगे । ६४, दिनांक २५—११—१६६४ जिसके द्वारा उन परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई है जिस पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, १६५४ के प्रावधान लागू होंगे ।

(४) अधिसूचना संख्या एफ० ७ (१०८) इरीगे । ६०, दिनांक २ दिसम्बर, १६६४ जिसके द्वारा उन क्षेत्रों की अनुसूची प्रकाशित की गई है, जिन पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, १६५४ के प्रावधान लागू होंगे ।

(१२. ८ म. प.)

वामपंथी साम्यवादी नेताओं की नजर बंदी विषयक ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जो वामपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता नजरबन्द किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे पता लगा है यद्यपि सरकार की ओर से निश्चित सूचना आज दी जायगी, २३ ऐसे नेता जो वामपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित कहे जाते हैं, उनको डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत नजरबन्द किया गया है । जहां तक मेरी जानकारी है उन लोगों को इस बात की कि उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं, कोई भी सूचना विशेष आरोपों की उन लोगों को नहीं बताई गई है । यहां भी अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस पर एक प्रश्न किया गया था उसमें सरकार ने यह बात तो कही कि हमारे पास कुछ उनके खिलाफ आरोप हैं और फिर साथ में यह बात भी कही कि यह अखिल भारतीय नीति का सवाल है और केन्द्रीय गृह मंत्री नंदाजी ने जो वक्तव्य दिया है उसी आधार पर ये लोग गिरफ्तार किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, जो भी आधार केन्द्रीय गृह मंत्री श्री नंदाजी ने इस सम्बन्ध में उन नेताओं के अरेस्ट के बारे में बताया है उसमें ऐसी बात उन्होंने कही है जिसमें कि उस पार्टी के उन नेताओं की किन्हीं सिद्धान्तों के बारे में राजनैतिक सीमाएं हैं पार्टी की उस बात को लेकर कहा है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह गलत है, राजस्थान सरकार की तरफ से यह बात नहीं कहीं He is discussing the central Ministers here.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके से कोई स्पेसिफिक चार्जेज उन नेताओं के जिनको गिरफ्तार किया गया है, पर नहीं लगाये गये । जहां तक केन्द्रीय गृह मंत्रीजी का सवाल है उन्होंने चीन से सम्ब-

Page No 34

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

न्धित होने की या हथियार बन्द विद्रोह करने की बात, इस तरह की बातें अपने भाषण में कही हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या कोई दस्तावेजी सुबूत आपके पास है तो यह बताया कि चीन के आवासों में इस प्रकार की बात किंचित लेफ्ट काम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से कही गई।

जो बात जुबानी इस तरह से कही जाती है, जिसके अन्दर कोई दस्तावेज सरकार ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो कोई आदमी पास मौजूद हो और जुबानी बात इस तरह की कही हो, उसको इस बात का सुबूत नहीं माना जा सकता। लेफ्ट कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी राजनैतिक विचारधारा है, उनसे हमारा भी काफी मतभेद है। मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन एक राजनैतिक पार्टी के रूप में अपने विचारों को जनता के सामने रखना, आजादी जो कॉन्स्टीट्यूशन के जरिये उनको मिली हुई है उसका उपयोग करना ये, जो उसके फन्डामेंटल अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन के जरिये मिले हुए हैं डेमोक्रेटिक अधिकार हैं वे उनको मिलने चाहिये। जिस प्रकार के भी आरोप केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने लगाये उस तरीके के आरोप एक जनरल नेचर के हैं जो कि उस पार्टी के सिद्धान्त और उसूलों से सम्बन्ध रखने वाले हैं उसको लेकर राजस्थान सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): On a point of Order, Sir, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कॉल अटेन्शन नोटिस आपका है। मुझको जो दिया गया है उसमें सात पोइन्ट्स हैं। और उसी पर मेरा स्टेटमेंट है। इस सदन के आसन के द्वारा यह व्यवस्था रही है कि कॉल अटेन्शन नोटिसेज हैं वे विदिन दी स्कोप ऑफ दी क्वेश्चन होने चाहिये। ऐसी स्थिति में सारी भारतीय पॉलिसी को लेकर जो विवाद कर रहे हैं मेरा यह प्रश्न है कि he should confine to it and he can only place his points.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कॉल अटेन्शन नोटिस दिया है उसमें इस बात को स्पेसिफिकली सबसे पहले रेफर किया है कि इस प्रकार नजरबन्द रखना यह उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है जो भी पोइन्ट्स मैं रेफर कर रहा हूं उनकी ओर पहले ही कॉल अटेन्शन नोटिस में ध्यान दिलाया गया है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार के आरोप केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने लगाये हैं चाहे वह हथियार बन्द क्रान्ति करने की बात हो, चाहे वह चाइना एम्बेसी में किसी तरह की बात करने की हो वह किन्हीं स्पेसिफिक नेताओं, जो ऑल इन्डिया लेवल के नेता हैं, उनके बारे में कहा है, जो एम्बेसी में बात करने का कहा है वह भी किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में कहा है। लेकिन राजस्थान में जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है या केन्द्रीय गृह मंत्री नन्दाजी ने लोक सभा में स्टेटमेंट दिया उसका सम्बन्ध राजस्थान में जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है उनसे नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार के पास ऐसे सबूत हों कोई भी पार्टी अपने देश के साथ गद्दारी करे, अपने देश के हितों के खिलाफ किसी दूसरे देश के साथ साठ गांठ करे, उनके साथ सख्ती का वर्ताव हो, उनके ऊपर मुकदमें चलाये जायं और वे वास्तव में दोषी पाये जायं तो उनको सजा मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई सरकार एक राजनैतिक स्थिति का फायदा उठा कर लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कुठाराघात करने की कोशिश करे, जनता के सामने उन तथ्यों को रखने में हिचकिचाहट करे, बार बार घोषणा करने के बावजूद भी कि हम उन फैक्ट्स को सामने रखेंगे व्हाइट पेपर के रूप में रखेंगे, इस बात को कहने के उपरान्त भी ये तथ्य हैं, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्री नन्दाजी जिस व्हाइट पेपर का कितने ही दिन से ढोल पीट रहे थे, उसको वे हाउस में नहीं रख सके। अगर केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के पास कोई तथ्य हों, राजस्थान सरकार ने उन लोगों को जिन बुनियादों पर गिरफ्तार किया था वे जैसा अपने बयान में, माननीय उप-मंत्रीजी ने कहा था, हमारे पास अपने कुछ तथ्य है उनके खिलाफ आरोप हैं जिनकी बुनियाद पर हमने गिरफ्तार किया था। अगर उनके पास और कोई तथ्य हैं जो केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने नहीं कहे हैं और राजस्थान के अपने अलग हैं तो उन तथ्यों को और आरोपों को मंत्रीजी बतायें, उन लोगों को दें और तथ्य हैं तो अदालत में मुकदमा चलायें और उनको साबित किया जाय। दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दीजिये, उनके बारे में और सही साबित हों तो उन लोगों को सजा मिले उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। हम भी आपका समर्थन करेंगे यदि आपके पास तथ्य हों और आप उनके खिलाफ मुकदमे चलायें और सही साबित होने पर सजा दें, लेकिन बिना तथ्यों के ही एक राजनैतिक स्थिति का फायदा उठाने की दृष्टि से आज किसी एक पार्टी के लोगों को नजरबन्द कर दिया, कल दूसरी पार्टी के लोगो को, तीसरे और चौथे दिन तीसरी और चौथी पार्टी के लोगों को नजरबन्द किया जा सकता है और इस प्रकार आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनको हनन करने की कोशिश करें इससे हमारी डेमोक्रेसी को ही भारी खतरा उसमें पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी बोम्बे हाई कोर्ट ने दो डिटेन्यूज को रिहा भी किया है। सरकार कोई तथ्य बता नहीं सकी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन सा केस है ? कल जो पेपर में पढ़ा वही ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह इन्फोर्मेशन आपके लिए व्हाइट पेपर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया था कि इस तरीके से गिरफ्तार करना इन लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन चूंकि इस समय एमर्जेन्सी है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एमर्जेन्सी में मौलिक अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में यह सुप्रीम कोर्ट कोई रेमेडी नहीं दे सकती। इसलिये इसमें यह सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने में मजबूर है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार वास्तव में डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहती है तो इस वजह से एमर्जेन्सी को बढ़ा कर उसमें लोगों का राजनैतिक तरीके से दमन करने की कोशिश करें, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करें तो यह उचित नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को गिरफ्तार किया, सरकार ने स्पष्ट विरोधी होने का नारा दिया, सरकार ने चैलेन्ज भी किया, जनता को मौका दिया कि ऐसे लोगों के बारे में जनता अपनी राय जाहिर करेगी कि राष्ट्रद्रोही हैं या नहीं। केरल के चुनाव हुए। केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने साफ तौर से कहा, लोगों ने कहा कि सरकार ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है उन लोगों को तो जनता ने अपनी स्पष्ट राय जाहिर की है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is discussing the Central Home Minister here.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो ३६ लोग नजरबन्द थे वे चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो उनमें से २६ लोगों को जनता ने कामयाब बना कर भेजा और उस डिटेन्यू को जिसको आप राष्ट्रद्रोही कहते हैं उसने आपके मुख्य मंत्री शंकर को हजारों वोटों से हराया। यदि आप जनता में विश्वास करते हैं, जनता के वर्डिक्ट को मानते हैं तो आपको यह स्वीकार करना चाहिये कि जनता का हृदय उनको राष्ट्रद्रोही नहीं मानता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि अव्वल तो आप एक ओटोनोमस गवर्नमेंट हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में आपके पास कोई ठोस तथ्य होने चाहिये और उस बुनियाद पर ही गिरफ्तारी होनी चाहिये।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

और फिर यदि डेमोक्रेटिक तरीके से राइट देना चाहते हैं तो मुकदमा चलायें और सही साबित हों तो आप उनको सजा दे सकते हैं, रख सकते हैं। आप एक ही टैस्ट केस चलायें तो आपको पता लग जावेगा कि आप सही हैं या वे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को डिटेन किया हुआ है और जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, एक हुकूमत का एक विरोधियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिये उस प्रकार का सरकार उन राजनैतिक लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रही है। जबरदस्ती उन लोगों को एम्बेरेस करने की कोशिश की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रश्न के द्वारा एक केस भी सरकार के नोटिस में लाया हूं कि चैनसिंह थानेदार जो पाली जिले में १९-३-६५ को कुछ लोग जो नजरबन्द थे उनकी फेमिलीज़ के लिये आर्थिक सहायता देना चाहते थे और उनके लिए कुछ चन्दा इकट्ठा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रहे थे तो उन लोगों को उसने मारा पीटा और पकड़ा और कहा कि तुम इन लोगों की फेमिलीज़ के लिये चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि आप लोगों को नज़र-बन्द करते हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलाते नहीं और नजरबन्द करके रखते हैं तो क्या आप उनकी फेमिलीज़ को भूखों मारना चाहते हैं। आप यह भी नहीं चाहते कि उनकी फेमि-लीज़ के साथ भी कोई सहानुभूति दिखाये। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में, मुझे सूचना मिली है, प्रीतमसिंह भारती पता नहीं सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है या नहीं या वे कहां हैं, लेकिन उनके भाइयों, उनके पिता आदि की जमीन-जाय-दाद, बैल-बछड़ों को, सबको कुर्क कर लिये जब कि वे सब उनसे अलग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां तक हालत हुई है कि जो इस तरीके से राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं सरकार ने उनके पास अभद्रता का व्यवहार किया है। उन लोगों को दो बार भूख हड़तालें जेल में करनी पड़ीं।

तब जाकर सरकार ने कुछसुविधाये देने की बात की है। अब भी अध्यक्ष महोदय, उनको दूर दूर जिलों में फेंका हुआ है, फैमिली मेम्बर्स उनसे मुलाकात करना चाहें उनसे इन्टरव्यू लेना चाहें तो किराये के कारण वे नहीं मिल सकते। गंगानगर वालों को उदय-पुर में और पाली वालों को बीकानेर में और सीकर वालों को बीकानेर में इस तरीके से कहीं का कहीं फेंका हुआ है। आखिर आपको राजनैतिक विरोधियों से डील करने का भी स्टेन्डर्ड कायम रखना चाहिये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): राजनैतिक विरोधी नहीं, देशद्रोही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप साबित करें, चुप क्यों बैठे हैं? आपके पास सुबूत हो तो अदालत में उन पर मुकदमा चलाइये और मुकदमा चला कर साबित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनकी फेमिलीज़ को किसी भी तरह का फेमिली अलॉउन्स नहीं दिया जाता। उनकी फेमि-लीज़ की बुरी हालत है पहले ही उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका पार्टी वेजेज पर गुजारा चलता है। उनका काम बन्द होने से उनके साधन बन्द हो गये, दूसरी तरफ जब लोग उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन लोगों को सरकार की पुलिस द्वारा पीटा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां उन लोगों को अपने अपने जिलों से दूर रखा गया है वहां उनके साथ साधारण कैदी से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। मैंने अपना अखबार जारी कराया वह अखबार हरिरामजी को कभी पहुंचा ही नहीं, बीच के अन्दर ही रख लिये जाते हैं। लिटरेचर उनको चन्द्रकान्ता सन्तति पढ़ने को दी जाती है। उनको पोलिटीकल फूड मिले, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को इस तरह की चीजें पढ़ने को मिले जिससे उनका राजनैतिक ज्ञान बढ़े।

जेल सुधार कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, जेल सुधार का तगमा लगाये हुए हमारे जेल मंत्री महोदय बैठे हैं। जेल के अन्दर इस तरह का व्यवहार राजनैतिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कैदियों के साथ होता है जो अनुचित है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं; आपके पास इन लोगों के खिलाफ साफ आरोप हों तो उन पर अदालत में मुकदमा चलाइये और उनको डिफेन्स पुट करने का मौका दें। अगर वे दोषी पाये जायं तो उनको सजा दें। यह नहीं करते हैं तो इन दी मीन टाइम इनको सब सुविधायें दी जायं। जेलों में आप सेन्टर में एक जगह उनको रख लीजिये, उनको जिले में रखिये ताकि उनकी फैमिलीज़ उनसे मुलाकात करना चाहें तो कर सकें या उनकी फैमिलीज़ को मुलाकात करने के लिये किराया दीजिये ताकि वे वहां पर जाकर उनसे मिल सके। अनुचित तरीके से दूर फेंक कर उनकी फेमिलीज़ को साधारण सुविधा से जो आप वंचित करना चाहते हैं यह उचित नहीं है।

चैनसिंह थानेदार ने जो व्यवहार किया है उसके लिये उसको सजा मिलनी चाहिये अगर जांच के बाद वास्तविक तथ्य पाये जायं चन्दा करने की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है तो मैं यह भी कहूंगा कि उनको फेमिली अलाउन्स दें उन तमाम केसेज़ को रिव्यू करें। कई आदमियों को ऐसों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका उनसे सम्बन्ध नहीं है। मोहन पूनमिया जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं उनको गिरफ्तार किया है उनकी सिम्पेथी में नेशनल बॉल बियरिंग फेक्टरी में मजदूरों ने हड़ताल करने की कोशिश की जिन मजदूरों ने दिलचस्पी दिखाई उन लोगों को उठा कर रख दिया गया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मोहन पूनमिया लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह पहले भी कहा है उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं जैसी कि मुझे सूचना मिली है वे ऐसा कहते हैं कि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको सब केसेज़ को रिव्यू करना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी पार्टी ने आपकी कॉन्फ्रेन्स में लेफ्ट कम्युनिस्ट करार दिया है, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेफ्ट कम्युनिस्ट अपने आपको मानते होंगे। दो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी एक तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपकी इन दोनों पार्टियों में चाइना इश्यू पर क्या मतभेद है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी आप और सब इस बात को जानते हैं जहां तक मैं समझता हूं इस बात को हमारी पार्टी के नेताओं ने और हमने भी बार बार कहा है। आप कान खोल कर सुन लें हम यह समझते हैं इन्टर्नेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट आइडियोलोजिकल क्वेश्चन पर मतभेद है जैसे पीस एन्ड वार पीसफुल को एग्ज़िस्टेन्स, एड टू अनडेवलप्ड कन्ट्रीज़, पीसफुल ट्रान्ज़ीशन टू सोशियलिज़म, इन्टीग्रीटी ऑफ दी कॉम्युनिस्ट इन्टरनेशनल मूवमेंट इस बारे में कम्युनिस्ट पार्टियों में मतभेद है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें एक ग्रुप को चाइना की कॉम्युनिस्ट पार्टी लीड करती है, दूसरी को युनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया लीड करता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चाइना के क्लेम के बारे में इन्डिया की टेरीटरी के क्लेम के बारे में आपकी पार्टी में लेफ्ट और राइट कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में मतभेद है कि नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है हमने बार बार इस बात को कहा है कि चाइना का मेक-मोहन लाइन को क्रॉस करना इन्डिया पर एग्रेशन था। मैं जानता हूं उनकी पार्टी के सेक्रेटरी नम्बूद्रीपाद ने अभी जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है, उनके नेता भी बार बार कहते रहे हैं इसलिये इस बात को जो बार बार कहते हैं उस बारे में हमने स्थिति साफ कर दी है; इसलिये इस बारे में कोई गुंजाइश नहीं रहती।

श्री मथुरादास माथुर : आप दोनों एक हो गये हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम एक हुए या नहीं हुये हैं यह हमारा अपना काम है। डिफरेन्सेज होते हैं, डिफरेंसेज हो सकते हैं और किन्हीं मामलों में एक भी हो सकते हैं किन्हीं में दूसरे लोगों को भी साथ में ले सकते हैं। जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है इन्डिया में डेमोक्रेसी के सवाल पर न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने बल्कि अन्य पार्टियों ने भी इस बात का समर्थन किया है केरल में जो आपने अन-डेमोक्रेटिक रुख अपनाया, उसके लिये न सिर्फ कॉम्युनिस्टों ने बल्कि अन्य पार्टियों ने भी उसका विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक जानकारी माननीय सदस्य से करना चाहता हूं। यह बात तो सही है कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर मुकदमा चलाया जावे और उन पर जो चार्जेज़ हैं उनको पब्लिक में लाया जाय। माननीय सदस्य ने जिन लोगों की वकालत की है, जो लैफ्ट कम्युनिस्ट हैं, क्या उनके ऊपर उनकी पार्टी ने यह चार्ज नहीं लगाया कि वे चाइना एग्रेशन को कन्डेम नहीं करते हैं ? क्या उन पर इस बात का चार्ज नहीं है, तेनाली में लेफ्ट कम्युनिस्टों ने माओत्सेतुंग और चाऊ एन लाई का चित्र लगाया था। आपकी पार्टी ने इन दोनों विषयों में लैफ्ट कॉम्युनिस्ट पार्टी को कन्डेम नहीं किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : और भी जो बोलना चाहें, बोल लें; सबका जवाब दे दूंगा।

जहां तक तेनाली में माओत्सेतुंग की फोटो लगाने की बात थी उनको हमारी पार्टी ने सही नहीं माना है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है उसके बारे में हमारी पार्टी ने उनको इस बात पर क्या कन्डेम किया है कि चाइना ने एग्रेशन नहीं की ? इस बात को वे कहते हैं सो बात नहीं है, पर इस बात पर जरूर मतभेद था; वे लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि नेगो-शियेशन्स के जरिये इस बात को तय किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाना चाहिये। हम भी नेगोशियेशन्स के जरिये ही बात को तय कराने के पक्ष में हैं। हम भी, युद्ध को न भड़काया जाय; यह मानते हैं और भारत सरकार की भी इसी प्रकार की नीति है। यह बात अलग है कि कुछ और लोग युद्ध को भड़काने की कोशिश करते हैं।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आइडियोलोजिकल क्वेश्चन का सवाल है इस सरकार ने भी कोई उस पार्टी को बैन नहीं किया इसलिये कि सरकार मानती है और सही मानती है कि राजनैतिक विचाराधारा का प्रचार करने का उनको अधिकार होना चाहिये और वे कर रहे हैं और इसलिये इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

उसमें वे अपना स्टेण्ड रक्खें, उनको अधिकार है, हम अपना स्टेन्ड रखें, हमें अधिकारी है। पर इन्टरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट पर, किन्हीं क्वेश्चनों पर जहां दुनिया की और कम्यूनिस्ट पार्टियां भी चाइनीज पार्टी से एग्री करती हैं कि इम्पीरियलिज़म के साथ दूसरी तरीके का व्यवहार होना चाहिये और हम दूसरे तरीके से समझते हैं और लेफ्ट कम्युनिस्ट आइडियोलोजिकल क्वेश्चनों पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा एग्री करते इस बुनियाद पर आप यह कहें कि चूंकि हमारा चाइना से बोर्डर पर झगड़ा है, चीन ने हमारी जमीन को दबा रखा है तो इन्टरनेशनल क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चनों पर सहमत नहीं हैं। खुद हमारी सरकार ने, जिसकी चीन से लड़ाई है, उसको यू. एन. ओ. में एडमिट कराने के लिये पक्ष में वोट दिया है तो फिर यह तो उसी तरह की बात है जिसको कि आप इक्वेट करते हैं और एक राजनैतिक फायदा उठाने की बात है। सही दृष्टिकोण नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने खुद ने बता दिया कि आपको तो रूस की चिन्ता है, दूसरों को चीन की है, हिन्दुस्तान की फिक्र आपको तो है नहीं। हमको है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहगरर) : अध्यक्ष महोदय, बजाय मुख्य मंत्री जी के फूलचन्दजी को आज्ञा दी जावे कि वे उत्तर दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि इसमें केवल एक संक्षेप में स्टेटमेंट दूं जहां तक कि राजस्थान में इन लोगों को नजरबन्द किया गया है लेकिन मुझे अफसोस....

श्री भैरोंसिंह : यह ऐसा बड़ा इश्यू है, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नहीं हो सकती, फिर कभी आप कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिस तरह से चर्चा हुई है....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस तरह कोई बहस नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी ध्यानाकर्षण कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यों नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस कॉल अटेन्शन नोटिस के साथ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जनतन्त्र और उसके साथ साथ अपने विचारों के लिये प्रचार करने का पूरा पूरा अधिकार वाली, और साथ साथ लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी को भी इन्डाइरेक्टली सपोर्ट करने वाली बात यहां पर बहुत सी कहीं। मुझे सुन कर दरअसल इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कैसे इन सारी बातों को कहा गया, जब कि उनकी खुद की पार्टी के अन्दर, दोनों अलग नहीं हो गये थे साफ तौर से उस वक्त, मतभेद थे और वे मतभेद सबके सामने थे स्पष्ट रूप से।

आइडियोलोजिकल तरीके से भी यह सबको मालूम है जो कम्युनिस्ट पार्टी में कैम्प हैं, एक को रूस की आईडियोलोजी को लेकर उसके द्वारा आगे प्रेरित किया जाता है और दूसरा कैम्प चाइना की आइडियोलोजी के द्वारा प्रेरित किया जाता है और गाइड किया जाता है। तो इसके अन्दर, मैं समझता हूं, कोई मतभेद जैसी बात नहीं है।

लगता ऐसा है कि माननीय सदस्य जो लोग डिटेन्शन में उनकी हमदर्दी की बात करके शायद लेफ्टिस्ट पार्टी के लोगों की हमदर्दी को अपनी तरफ मोड़ने के लिये या उनकी हमदर्दी प्राप्त करने के लिये इस बात को ज्यादा उठाते हैं।

श्री रामनन्द अग्रवाल : तो फिर तो उनको जल्दी छोड़ देना चाहिये ताकि हमारी एकता न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस बात को भी उठाते हैं तो ऐतराज नहीं कि दूसरी तरफ जो हैं तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिये किया जावे। पर लेफ्टिस्ट के बारे में राइटिस्ट कम्युनिस्टों को जहां तक हम समझ कर चल रहे थे वे उनसे और उनके सपोर्टरों से भिन्न हैं, ऐसा मान-कर चल रहे थे।

माननीय अध्यक्षजी, जिस वक्त चीन का आक्रमण हुआ, उसके बाद सबको अच्छी तरह मालूम है, तिब्बत के पास के बोर्डर पर और दूसरी जगह लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों के द्वारा शैल स्थापित किये गये जिनसे चीन वाले हिन्दुस्तान में आगे बढ़ कर आवें तो स्वागत की उनकी तैयारियां की जावें।

कलकत्ता कॉन्फ्रेन्स में जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने किया-क्या माननीय सदस्य उससे इन्कार करना चाहते हैं? क्या, इस बात को भी हम नहीं जानते कि दूसरी जगह भी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : तथ्य रक्खें तो हमें भी पता चले। संशय में क्यों रहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो रुख है, उस पार्टी का रुख देश में जो रहा है सब जानते हैं। हिन्दुस्तान में जो भी पार्टी हिन्दुस्तान की आजादी के अन्दर हिन्दुस्तान की सीमाओं की इन्टीग्रिटी के अन्दर, उसकी स्वतन्त्रता के अन्दर विश्वास रख कर चलती हैं, जो संविधान में स्वतन्त्रता दी है उसका उपयोग करने का उसको पूरा अधिकार है। पर देश को अगर कोई दूसरे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को सौंपना चाहता है और देश की आजादी को खतरा पहुंचाना चाहता है तो मैं समझता हूं कि उसकी हमने सुरक्षा की। और उनके बारे में अधिकारों की बात करके चलना देश की आजादी को खतरे में डालना होगा। इसलिये देश में पार्लियामेंट ने इस विशेष अधिकार को एग्ज़ीक्यूटिव को दिया कि जब इस प्रकार के सर्कमस्टन्सेज हों तो उनमें इस प्रकार की कार्यवाही की जावे।

देश में आज जो खतरा मौजूद है और हम सब जानते हैं कि हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान के द्वारा एक प्रकार की स्थिति बनाई हुई है; मैं समझता हूं, उस स्थिति में इन बातों को उठा कर और जिस पर्टीकूलर रीज़न पर उनको नजरबन्द किया गया है उस पर कहने का अर्थ यह होगा कि इस प्रकार की एक्टीविटीज़ करने वालों का हम इन-डाइरेक्टली समर्थन करते हैं। जब कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत यह है कि देश में आज ऐसे मामलों में एक आवाज हों और इन एक्टीविटीज़ में इन्वोल्व्ड होने वालों को किसी प्रकार का समर्थन न मिले, सब तरफ से उनको कन्डेम किया जाय।

जहां तक राजस्थान के अन्दर नजरबन्द करने की स्थिति है, भारत सुरक्षा नियमों के नियम ३० (१) (ख) के अन्तर्गत राजस्थान में २४ सक्रिय वाम पन्थी साम्यवादी तथा उनके अनुयायी नजरबन्द किये गये हैं। इनमें से प्रत्येक की गतिविधियों के बारे में सम्बन्धित जिलाधीश ने पूरी पूरी छानबीन की और उनके द्वारा प्रत्येक के बारे में इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि भारत की सुरक्षा, जन-साधारण की रक्षा और कानून व व्यवस्था के हित में उनको नजरबन्द करना नितान्त आवश्यक है, उन्होंने इन व्यक्तियों की नजरबंदी के आदेश जारी किये। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की नजरबन्दी के बारे में पुनरावलोकन सत्ता (रिव्यूइंग ऑथोरिटी) ने, जो कि भारत सुरक्षा नियमों के नियम ३० का (४) (क) के अन्तर्गत गठित की गई है, विचार कर लिया है और प्रत्येक बन्दी के बारे में पुनरावलोकन सत्ता ने राय प्रकट की है कि सम्बन्धित जिलाधीश ने इन व्यक्तियों को बन्दी करने के जो आदेश जारी किये हैं, न्यायसंगत हैं और तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा इन सभी बन्दियों को नजरबन्द किये जाने के आदेशों की पुष्टि की गई है। वैसे तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को स्पष्ट ही है कि वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों ने राष्ट्र विरोधी कार्य किये हैं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह-मंत्री ने एक व्यक्तव्य १८ फरवरी, १९६५ को संसद के पटल पर भी रक्खा है, जिसमें वामपन्थी साम्यवादियों की जो गतिविधियां हुई हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थान में जो जो व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं उनकी प्रत्येक की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की पूरी छानबीन करके भारत की सुरक्षा, जन-साधारण की रक्षा और कानून व व्यवस्था के हित में ही बन्दी किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। भारत सुरक्षा नियम, १९६२ के अन्तर्गत जो व्यक्ति बन्दी किये जाते हैं उनके मौलिक अधिकारों की वैधता स्थगित हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाती है और उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दियों के साथ असाधारण राजपत्र भाग ४ ग दिनांक २८-१२-६२ में प्रकाशित, दी राजस्थान कन्डीशन्स आफ डिटेन्शन (डिफेन्स ऑफ इण्डिया) ऑर्डर, १९६२ के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है । इन नजरबन्दियों को पारिवारिक भत्ते दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पुलिस ने कभी भी किसी नजरबन्द वामपक्षी साम्यवादी के कुटुम्बियों के पोषण के लिये चन्दा एकत्रित करते नहीं रोका, न किसी की इस सम्बन्ध में मारपीट ही की गई और न गिरफ्तार किया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ट्रान्समीटर वाली बात के लिए कहा था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर कोई बहस नहीं होगी और न स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं केवल एक सिद्धान्त की बात जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह समय नहीं है सिद्धान्त की बात के लिए । फिर कभी समय आयेगा तो इसके लिए मौका दिया जायेगा । इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके बारे में चर्चा आगे न उठायें । इस विषय पर दो बार चर्चा हो चुकी है । अभी भी इसका स्पष्टीकरण इसलिए किया गया कि कई माननीय सदस्य चाहते थे कि इस पर स्पष्टीकरण हो । हमारे नियमों में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि इस पर बहस नहीं की जाये । आज वैसे भी बहुत से कार्य इस सदन के अन्दर विचार करने के लिए हैं । इसलिए इस पर चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि राज्य सरकार और भारत सरकार...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के चार्ज लगाये जायें तो उसको सीनेट के द्वारा पास करवाया जाता है ।....

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम अपना स्थान तो ग्रहण करेंगे, लेकिन इस देश में जनतंत्र की हत्या हो जायेगी तो इस देश में आप एक भी नजर नहीं आयेंगे।....

श्री फूलचन्द जैन : इस देश में एक भी राष्ट्र-विरोधी व्यक्ति को नहीं रहने देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें राष्ट्र विरोधी कौन है, जिसने देश की २२ हजार एकड़ जमीन को चीन को दे दिया और उसने आज भी कब्जा कर रखा है और उनसे आप ले नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने पहले ही कहा है इस पर बहस नहीं की जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : You people are the greatest traitors of the country. आपने इतनी जमीन पर चीनियों का कब्जा करा रखा है और आपका इन्टेन्शन उस गई हुई जमीन को वापिस करने का नहीं है......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप कृष्ण मेनन को तो गिरफ्तार करते नहीं हैं जिसकी वजह से आज भारत के इतने बड़े भाग पर चीनियों ने कब्जा कर रखा है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सब बातों का पूरी तरह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि उनको विभिन्न जेलों में अपने जिलों से दूर फेंक रखा है जहां कि उनके रिश्तेदार उनसे मिल नहीं सकें और उनके ऊपर किराये का भार डालने के लिए आपने उनको बन्द कर रखा है; न उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप ही बताया है। केवल यह कहा है कि हमने जानकारी कर ली है। आखिर यह तो बतायें कि वह जो ऑल इन्डिया की लेवल पर जो चार्जेज़ हैं वही हैं या और विशेस तरीके के चार्जेज़ हैं। जैसी आप चर्चा करते हैं उन्होंने कोई सैल मुकर्रर कर रखा था; तो राजस्थान का कोई बोर्डर चीन से लगता नहीं है। इसलिए सैल वाली बात तो हो नहीं सकती। जो घिसीपिटी बात नन्दा जी कहते हैं उसी के तहत आप यह करना चाहते हैं या अपने यहां वालों के खिलाफ कोई विशेष चार्जेज हैं, यह आप स्पष्ट उत्तर तो दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आपको बोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 45

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : सदन की जो कार्यवाही है उसके नियमानुसार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उनको कार्यवाही में न लाया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह का रवैया अख्तियार करती है, न सरकार उनके ऊपर केस चलाने के लिए तैयार है और न उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ अदालत में मुकदमे चलायें और उनको सुनने का मौका दें। लेकिन इस तरीके से न आरोप लगाने के लिए तैयार है, न केस चलाने के लिए तैयार हैं और इस तरह से उन लोगों को बन्द करें-यह तो जनतंत्र का गला घोटना है। कल उनको किया है, हमको आज करेंगे और तीसरे दिन किसी और को करेंगे। इस तरीके की धोंस सरकार दिखाने की कोशिश करती है जैसे जो बोलेगा उसी को गिरफ्तार कर लेंगे; तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ऐसे डी० आई० आर० की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : On a point of order, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बाद जो कुछ कहा गया है यह सब एक्सपन्ज किया जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसकी प्रोटेस्ट में हम वाक-आउट करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था।

(सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल व योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा सदन से बहिगमन)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अब तो मुख्य मंत्री जी से यही कहना है कि इनको भी घाटगेट पहुंचा दें; तो बहुत अच्छा हो। इनकी मिली-जुली भगत है।

(१२.५० म. प.)

प्राक्कलन समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति का सभापति पशुपालन विभाग से सम्बन्धित समिति के १७ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान सीमा में पाकिस्तानी ट्रान्समीटर्स के कार्य करने विषयक मुख्य मंत्री महोदय का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सीमा में ट्रान्समीटर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें।

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 46

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ट्रान्समीटर के सम्बन्ध में राजस्थान में ऑपरेट करते हैं, इस प्रकार की बात इस सदन में कही गई और पार्लियामेंट में भी इस प्रकार की चर्चा आई थी। इस बारे में बाड़मेर जिले से हमारे पास समाचार जब मिले कि इस प्रकार की अफवाह वहां पर चलती है, शायद कोई ट्रान्समीटर वहां पर काम करता है-राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के द्वारा वहां पर सभी जगह छानबीन करवाई गई और मैं यही सूचना देना चाहता हूं कि वहां पर कोई भी ट्रान्समीटर किसी भी जगह फंक्शन नहीं करता है। यही मुझे जानकारी देनी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लोकसभा में बाड़मेर के लिए नहीं कहा, पूरे राजस्थान के लिए कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं सब जगह की बात कहता हूं। जो समाचार आया था उसके आधार पर जांच की थी और कहीं कोई ट्रान्समीटर वर्क नहीं कर रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या आपने इस प्रकार की जांच की कि कुछ खबरें राजस्थान की इमीजियेटली पाकिस्तान के रेडियो द्वारा घोषित की गई तो आखिर में इस प्रकार की खबरें कैसे जाती हैं, इसका आधार आपने कोई पाया क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(१२.५३ म. प.)

अशासकीय सदस्य कार्य

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि आज गैर सरकारी कार्य के लिए दिन निर्धारित किया गया है। हमारे सामने ३ संकल्प हैं और एक विधेयक है जिनके ऊपर आज चर्चा करनी है। अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो इस विधेयक पर पहले विचार कर लिया जाये और बाद में जो समय बचेगा वह जो एक या दो संकल्प हैं उनमें आपस में बांट दिया जायेगा।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, रिज़ोल्यूशन पहले दिया था वह लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६५

(विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री चौसरसिंह बाबेल।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) "नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) "नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष कन्ट्रोवर्सी नहीं है और यह एक इस प्रकार का संशोधन है जो कि भारत वर्ष के विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले ४ करोड़ पुष्टमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित है; जिसका ४०० वर्ष पुराना इतिहास है एक रस्म है; एक रिवाज है और मैं समझता हूं कि उनकी धार्मिक मर्यादा है और उसी को अक्षुण्य रखने के लिए इस प्रकार का संशोधन रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार की मन्शा है और सन् ५९ में जो संशोधन लाया गया था उस संशोधन में भी यही स्पष्ट था कि इसकी मर्यादा अक्षुण्य रहे और उसमें किसी प्रकार का सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। जहां तक संविधान का प्रश्न है उससे भी यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार धर्म-निरपेक्ष है। तो सारी मन्शा को ध्यान में रखते हुए सन् ५९ में एक प्रकार का संशोधन लाया गया वह हाई कोर्ट तक गया और सर्वोच्च न्यायालय तक गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जो उनको एक ऑब्जर्वेशन था वरिष्ट न्यायालय का, उसके बाद में यह संशोधन लाना बहुत ही आवश्यक है। इसमें मुख्य तथा ३ प्रकार के प्रावधान हैं....

श्री अध्यक्ष : उनको पढ़िये नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं बहुत संक्षेप में इतना ही कह सकता हूं कि इसको पारित किया जाये और सरकार की भी यही मन्शा है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मै समझता हूं कि आप अपने भाषण में सरकार की मन्शा को जोड़ कर नहीं चलें तो ज्यादा अच्छा हो। सरकार को बारबार बीच में न लायें।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में अपने तरीके से ही कहें।

श्री विजयसिंह झाला : जो धर्म निरपेक्षता है उसके विपरीत नहीं है। मेरे कहने का मतलब इसके बारे में नहीं है। बहुत ही संक्षेप में यह कहूंगा कि इसको पारित किया जाये या और कोई प्रस्ताव हो तो मुझको उसके बारे में भी कोई एतराज नहीं होगा।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बंगू) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे, यह मेरा प्रस्ताव

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

है । इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि भारत एक धर्मप्रधान देश है जिसमें ४ करोड़ के लगभग व्यक्ति वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं और वे नाथद्वारा मन्दिर व महन्तश्री के प्रति श्रद्धा रखते हैं । यह वियधेक हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही लाया गया है; तो इस सिलसिले में सरकार के पास भी सैकड़ों तार भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, इस विधेयक को, जो कि संशोधन के लिए सदन के अन्दर पेश हो रहा है, स्वीकार किया जाये और सरकार ने भी धर्म की रक्षा के लिए हमारे संविधान में यह रखा है कि किसी धर्म को कोई आघात नहीं पहुंचाया जायगा; उस दृष्टि से सरकार ने धार्मिक संस्थाओं के लिए बोर्ड बनाया और ट्रस्ट्स कायम किये और इसी तरह से राजस्थान में बोर्ड कायम हुआ है । मेरा निवेदन यह है कि इसके अध्यक्ष के पद के लिए महाराज श्री का रहना जरूरी है क्योंकि सदियों से उनका और मन्दिर का एक ही सम्बन्ध रहा है और सेवा पूजा के लिए आज भी वैष्णव धर्म के मुताबिक महाराज श्री की आज्ञा से कार्य नहीं हो तो वह मान्य नहीं होता है । तो दूसरे व्यक्ति जो इसमें सदस्य बनाये जा रहे हैं उनके लिए इसमें सुझाव दिया गया है कि वे लोक सभा के सदस्य होने चाहिए । तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि लोक सभा में आज वैष्णव समाज के मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यह जनतंत्र की परम्परा है कि कल इस समाज के मानने वाले लोक सभा में सदस्य कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो ऐसा इसमें प्रावधान आना चाहिए कि महाराज श्री की सलाह से सदस्य लिया जाये या वे लिस्ट दें क्योंकि महाराज श्री का बहुत पीढ़ियों से इस मन्दिर से सम्बन्ध है । तो मेरा अर्ज करना यही है कि महाराज श्री का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही सदस्य बनाने के लिए इसमें प्रावधान रखें ताकि ठीक भावना लोगों की बनी रहे । इसलिए मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं । यही मेरा निवेदन है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं । जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चोधरी ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को ३ माह के लिए जनता में जनमत जानने के लिए प्रसारित किये जाये । प्रस्तावक महोदय ने जो बात कही मैं उनसे एक बात स्पष्ट कराना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि दूसरा कोई भी प्रस्ताव आयेगा उसको स्वीकार करेंगे, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये और इस प्रस्ताव को वे मान लें ।

इस पक्ष में दो सीधी सी बातें हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सब तरह के ठेकों को समाप्त किया जा रहा है । सरकार ने अलग अलग कानून बना कर सारे आर्थिक

(श्री मोतीलाल चौधरी)

और राजनैतिक ठेकों को समाप्त किया, लेकिन इन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों चीजों को अलग अलग नहीं छोड़ सकते। धर्म राजनीति की कड़ी है और मैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान् इसको मानते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से या विधान के दृष्टिकोण से हम धर्म निरपेक्ष जरूर हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी चीज का मिसयूज करे, लेकिन उसके द्वारा कोई ठेका कमा ले यह उचित नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : केवल विधेयक पर बोलें और अपने प्रस्ताव पर सीमित रहें।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसलिए मेरा खास पाइन्ट यह है कि जो प्रस्तावक महोदय ने रखा है कि जो तिलकायत जी महाराज हैं उनको ही रखा जाये, जो पीढ़ी दर पीढ़ियों से आ रहे हैं, ऐसी भावना है उनकी। उस दृष्टिकोण से मैं यह चाहता हूं कि इसके अन्दर जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इसमें सम्प्रदाय को जानने वाले व्यक्ति कोई भी हैड हों इसमें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जो कि आम तौर से होती है। मैं इस दृष्टिकोण से चलता हूं कि इस मामले में जनता जान ले क्योंकि इसमें कई तरह की गल्तियां हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन इतना है, दूसरी जनता जो उस सम्प्रदाय की नहीं है वह भी जान ले कि यह मन्दिर क्या है। कम से कम राजस्थान की जनता तो जान ले कि इसमें किस तरह से क्या होता है। मेरी भी मन बन जाये कि यह इच्छा धर्म है इसको एडॉप्ट कर लूं। इसलिए मेरा मतलब यह है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए और जो सम्प्रदाय काम कर रहा है वह जनता के सामने रखे कि यह धर्म कैसा है। इस में जनता का मत आ जाये तो अच्छा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नाथद्वारा को लेकर, इसके महाराज श्री को लेकर कई बार हाउस में बातें आती हैं और इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये तो जनता को भी मालूम पड़े कि यह क्या है। मेरे ख्याल से प्रस्तावक महोदय इसको मान लेंगे क्योंकि शुरू में उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रस्ताव आये उसको वह मान लेंगे। तो इसको राजस्थान में भी कम से कम जनता को जानने दो, उनको भी ज्ञान मिलता है कि नाथद्वारा सम्प्रदाय क्या है। मेरा इतना ही निवेदन है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं यह समझता हूं कि इस एक्ट में वादविवाद की कोई विशेष गुंजाइश नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं उनको इस एक्ट के अन्दर लाया जाना था किन्तु अभी तक वह नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से ठीक समझे उस रूप से शीघ्रातिशीघ्र जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वे इस एक्ट में उन निर्णयों की इच्छा और मन्शा इस एक्ट के अन्दर लायें। जहां तक मन्दिर की चल और अचल सम्पत्ति का सम्बन्ध है मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल से टेम्पल बोर्ड उस सम्बन्ध में व्यवस्था करे तो कोई आपत्ति का विषय नहीं हो सकता। किन्तु उसके साथ ही साथ यह भी मैं आवश्यक समझता हूं कि धर्म गुरुओं की मर्यादा रखी जाये और उनको उचित स्थान दिया जाये, यह भी एक राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर टेम्पल बोर्ड की अध्यक्षता गोस्वामीजी को दी जायेगी तो एक वैधानिक अध्यक्ष के रूप में वे बैठ सकते हैं और प्रतिष्ठित पद वे सुशोभित कर सकते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय होगा उसके अनुसार ही जो सर्वमान्य होगा उस तरह से व्यवस्था चलेगी किन्तु उसके साथ ही साथ सरकार का, मैं यह समझता हूं, पुनीत कर्त्तव्य है कि धार्मिक भावनाओं का वह संरक्षण करे। याने टेम्पल बोर्ड के जो सदस्य हों वह पुष्टि मार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के होने चाहिए। यदि पुष्ट मार्गी वैष्णवी वे नहीं होंगे तो तरह तरह की बातें होंगी जिसके द्वारा लाखों और करोड़ों पुष्टमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी हैं उनकी धार्मिक भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचेगी।

(१.०० म. प.)

टेम्पल बोर्ड के विषय में पुष्टिमार्गी हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे एम० पी० हों, एम० पी० नहीं हो, यह तो सरकार के ऊपर ही मैं निर्णय छोड़ना चाहता हूं कि अगर गोस्वामी वहां का कोई नाबालिग हो तो उनके प्रतिनिधि उस टेम्पल बोर्ड के अन्दर सम्मिलित कर लिये जायं। तो टेम्पल बोर्ड की व्यवस्था जो समय समय पर राज्य के द्वारा निर्मित हुई है उसकी मैं विशेष आलोचना नहीं करना चाहता। सरकार को केवल यही निवेदन करूंगा कि उसकी इच्छा को कार्य रूप में परिणत करे।

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, वहां ठाकुर जी की सेवा, पूजा और पुजारी आदि की व्यवस्था हो मैं समझता हूं सम्पूर्ण अधिकार, यह उचित है, गोस्वामीजी महाराज को ही दिया जाय। गोस्वामीजी महाराज वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार ठाकुरजी के अविभाज्य अंग हैं और ठाकुरजी की भावना मात्र के लिए अगर पूजा और तुलसी की माला हो तो एक छोटी झारी भी पर्याप्त है। उनको आभूषण वगैरह की व्यवस्था विशेष कोई मेरे ख्याल में चाहिए नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। युग की भी यही मांग है कि सादगी के साथ उनकी पूजा हो, लेकिन पूजा-पद्धति जो कुछ भी निर्मित है वह गोस्वामी बालक की इच्छा के अनुसार उनके निरीक्षण के अन्दर हो तो अति उत्तम होगा।

मैं समझता हूं कि अब प्राचीन ऐतिहासिक श्री नाथद्वारा का मन्दिर है। यह हमारे देश में किस स्थिति के अन्दर राजस्थान में आया। श्रीनाथजी का प्रादुर्भाव किशनगढ़ में हुआ, देवगढ़ में हुआ, उसके बाद गुजरात में भी वे पधारे, डूंगरपुर में भी पधारे और उसके बाद आज नाथद्वारा में स्थित हैं। लाखों, हजारों मेरे ख्याल से करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं और गोस्वामीजी महाराज, तिलकायतजी महाराज एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। कुछ साधारण समस्याओं के अन्दर मैं समझता हूं कि उनके अधिकार अक्षुण्ण रखने चाहिए। बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों की धार्मिक भाव-

Page No 51

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नाओं के ऊपर कोई भी ठेस न पहुंचे, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए। कोई भी ऐसा असाधारण समय आ सकता है कि कोई धार्मिक गुरु पदच्युत हो और वे अपने सद्मार्ग को छोड़ें तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उस सम्बन्ध में वह कड़े से कड़ा कदम ले, लेकिन साधारणतया मंदिर के सेवा-पूजा, गोस्वामीजी महाराज की इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाना भी सरकार का कर्त्तव्य है। यह सम्प्रदाय बल्लभ सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महान् महत्त्व आत्म-समर्पण का है, डॉक्ट्रिन ऑफ सरेन्डर का है जो कि कृष्ण की अमर वाणी के अन्दर, गीता के अन्दर स्थिति है—

सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरण व्रजः।
अहं त्वामं सर्व पापेभ्योः मोक्षयिस्यामी मा शुचः ॥

तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यही निवेदन करना है कि मन्दिर की सेवा, पूजा और प्रतिष्ठा की व्यवस्था आप गोस्वामी बालक को सौंपे। इसके अतिरिक्त आपको जो कुछ भी करना है मन्दिर की सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह आप करें; मैं विशेष उसके अन्दर समालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप टैम्पल बोर्ड भी स्थापित करें तो कम से कम मन्दिर का जो कुछ पद है उसके संरक्षण की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ऐसा न हो कि कहीं आप भला करना चाहें उससे भी बदतर स्थिति उत्पन्न हो और मन्दिर की आर्थिक हानि हो। तो मुझे विशेष निवेदन करना है। हमारे विशाल देश में धर्म-निरपेक्षता की भावना को लेकर मेरे ख्याल में सरकार चल रही है, तो जो हमारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए, हमारे समाज को संगठित करने के लिए, धर्म की आवश्यकता है, धर्म-गुरुओं की आवश्यकता है। अगर धर्मभावना हमारे यहां रहेगी तो समाज का उत्थान होगा। अगर धर्म की अवहेलना होगी तो मेरे ख्याल में समाज में भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा, समाज विश्रंखलित होगा। और, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य टोंक से आये हैं उन्होंने जो विचार व्यक्त किये और जो माननीय सदस्य नाथद्वारा से आये हैं उनके विचारों से मैं समन्वयता प्रकट करते हुए भी सरकार से इतना निवेदन करूंगा कि अब इसके अन्दर विशेष देरी न करें और इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाय।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नाथद्वार टैम्पल के सम्बन्ध में एक एमेंडिंग बिल प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में उन्होंने यह विचार व्यक्त किये हैं कि यह बिल लगभग विवादरहित है; परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसा उनका सोचना उचित नहीं है। जो इस बिल के पीछे भावना है, जिस सिद्धान्त को मान कर यह बिल लाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उस सिद्धान्त, उस भावना से सहमत नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि इस बिल के पीछे यह भावना है कि इस सिद्धान्त को हमारे देश ने स्वीकार कर लिया है और यह इस बुनियाद पर कि हम इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं इसलिए किसी भी धर्म के अनुयायी इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं, इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहते हैं कि उस धर्म को किन्हीं मामलात में राज्य सरकार को हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए और ठोस रूप में जो उनकी यह मान्यता है कि अभी तक जो रिलीजिअस फन्क्शन्स यह टैम्पल बोर्ड करता है या रिलीजिअस फन्क्शन्स करने वाले कर्म-चारियों को यह टैम्पल बोर्ड नियुक्त करता है वह इस धर्म के अनुयायी के अनुसार केवल श्री तिलकायतजी, गोस्वामीजी का ही अधिकार होना चाहिए और वह जिसको नियुक्त करें वहीं इस सारे कार्य को कर सकता है। इस सिद्धान्त को वह स्वीकार करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने देश में धर्म निरपक्ष राज्य कायम करना चाहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि हम यह स्वीकार करें कि किसी भी सम्प्रदाय, किसी भी धर्म की हर बातों की व्यवस्था के बारे में जो भी मान्यताएं हैं उनको हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। यदि इस प्रकार की मान्यताएं स्वीकार कर लें, अध्यक्ष महोदय, तो हमको अपने देश को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जायगा। हमको सती-प्रथा को वापिस लागू करना पड़ेगा, हमको चाइल्ड मेरिज को वापिस लागू करना पड़ेगा। एक स्त्री के कई पुरुष हों और एक पुरुष के कई स्त्रियां हों-ऐसी भी कई धर्मों की मान्यताएं हैं और वे उसको इतनी ही गूढ़ता से स्वीकार करते हैं जिस तरह से कि मेरे दोस्त अपने सम्प्रदाय में श्री गोस्वामीजी द्वारा रिलीजिअस डिस्पेन्से-शन या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा दिया जाय–इसको स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार का ही यह प्रश्न नहीं है। हम अपने सारे देश में इस प्रकार के सिद्धान्त को, धर्म-निरपेक्षता के कारण हम अपनी सरकार को इस तरीके से पंगु बना देंगे तो हम अपने देश में जो एक नई समाज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, समाजवाद के ऊपर समाज व्यवस्था जो हम कायम करना चाहते हैं उसको दरअसल में हम इन्कार करते हैं। फिर तो हर बात में धर्म के नाम पर समाज का विकास करना मुश्किल हो जायगा। हर फंक्शन पर्टिकुलर व्यक्ति ही करे, रिलिजिअस फंक्शन करने का अधिकारी पर्टिकुलर व्यक्ति ही होना चाहिये या उसके द्वारा नियुक्त आदमी ही करे तो इसका मतलब यह है कि पुरानी मान्यता को ही कायम रखना चाहते है। यह मान्यता पुरानी है। पुराने जमाने में जब सामन्तवाद था उस समय समाज में भी, राज्य में भी और धर्म में भी सामन्तवाद ने अपनी राय के अनुरूप व्यवस्था कायम की, लेकिन आज जब हम सामन्तवाद की जड़ उखाड़ रहे हैं और डेमोक्रेटिक राज्य कायम करना चाहते

Page No 53

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं तो उस समय सामन्तवाद के अवशेष कायम रहें-यह डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां केवल जागीरदारी सिस्टम खत्म करने से या खातेदारी हकूक किसानों को जमीन पर देने से ही यह माना जाता है कि सामन्तवाद को खत्म कर दिया, यह सही नहीं होगा। सामन्तवाद हमारे विचारों में घुसा हुआ है, हमारी मोरेलिटी में, हमारी व्यवस्था में और जड़ जड़ में घुसा हुआ है। हम अपनी पत्नियों के साथ जो व्यवहार करते है, बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उन पर अपना फासिस्ट राज्य स्थापित रखना चाहते है, वह हम सब में सामन्ती मनोवृत्ति का द्योतक है। यदि हम वास्तव में सामन्तवाद को समाप्त करके समाजवाद को कायम करना चाहते है तो यह नोट करके चलिये कि सामन्तवाद को जड़-मूल से समाप्त करना होगा। इस सम्प्रदाय को मानने वालों का जो मौलिक सिद्धान्त है मैं उसको नहीं मानता, वे मानते होंगे तो उनकी मान्यता उनको मुबारक, उन पर वे चलें, मुझे गिला नहीं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो समाजवादी समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसके टकराव में यह नहीं आने दिया जा सकता। इसलिये धर्म निरपेक्षता इस हद तक ही नहीं होनी चाहिये जिस हद तक राज्य जिस तरीके की व्यवस्था समाज में कायम करना चाहती है—उसमें हस्तक्षेप हो तो उसके टकराव में नहीं आवे। अध्यक्ष महोदय, सिख सम्प्रदाय में मान्यता अलग अलग थी, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाई है और तमाम रिलीजियस और इकोनामिक फंक्शन्स को उन्होंने उसी तरह से ढालने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि इस सम्प्रदाय को ही नहीं और सम्प्रदायों में भी जहां डिक्टेटरशिप चलती है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से एकाधिकार चल रहा है, जहां व्यक्ति विशेष को अधिकार दिये हैं उनको डेमोक्रेटिक किया जाय, जिस तरीके से समाजवाद लाना चाहते हैं उस तरीके से इसको ढाला जाय।

मैं, अध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं इस बिल के उद्देश्य से सहमत नहीं हूं, इसके विरोध में हूं लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस बारे में मोतीलालजी ने अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय; मैं मानता हूं, यह ठीक है, जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय। आम लोगों की राय आयगी तब सदन का मत जानने का मौका मिलेगा इसलिये चौसरसिंह जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं और मोतीलालजी के द्वारा जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सन् ६२ से जब से मैं मेम्बर बन कर आया हूं तब से बराबर देख रहा हूं कि नाथद्वारा की जरूर आम चर्चा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास साक्षी है चाहे यूरोप में देख लीजिये चाहे इंडिया में देख लीजिये, चाहे वर्ल्ड को ले लीजिये इतिहास ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जहां

(श्री अब्दुलजब्बार)

जहां राज्य का हस्तक्षेप हुआ है वहां पर सर्वनाश हुआ है। इंगलैंड में क्वीन मेरी ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट्स के मामले में हस्तक्षेप किया लेकिन वह मामला हल नहीं हुआ, हिन्दुस्तान में अकबर ने दीन इलाही चलाने की कोशिश की उसमें वह कामयाब नहीं हुआ, वह चाहता था कि वह धर्म दुनियां के कोने कोने में फैल जाय लेकिन मंशा कामयाब नहीं हुई। जहां जहां भी धर्म के मामले में राज्य का हस्तक्षेप हुआ वहा वहां सर्वनाश हुआ। अब सवाल आता है कि मैं क्यों इस बात को सुनूं और बर्दाश्त करूं कि सरकार राज्य चलाये या धर्म स्थानों में हस्तक्षेप करे। यह दरगाह है, इस पर राज्य का अधिकार, यह मन्दिर है इस पर अधिकार, यह पूजा है उस पर अधिकार। समझ में नहीं आता आप एक तरफ कहते हैं कि धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दूसरी तरफ राज्य कहता है कि फलां काम में तिलकायतजी का हाथ न रहे। यह शर्म के साथ कहना चाहता हूं। जिस मन्दिर को मानने वालों द्वारा व्यवस्था करने के नाम पर बोर्ड का गठन किया गया उसके बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, उसने हालत क्या कर दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हस्तक्षेप ने आया धर्म को भ्रष्ट किया, आया धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई, आया नाथद्वारा टेम्पल की वस्तुओं की हिफाजत की या उसको नेश्तनाबूत करने में सहायता पहुँचाई ? मैं दो चीजें इस बारे में बताना चाहूंगा।

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के द्वारा लकड़ी का ठेका ८,८८०) रु० में दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, उसमें से कुल तीन हजार और कुछ रुपयों का हुआ आप चाहें तो उसकी जांच करवा लें। मैं माननीय सदस्यों के सामने एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। भगवान के पहिनने की कान की बाली थी जिसका वजन २ आने भर था सोने के तोल से लेकिन बाद में उसका वजन २ रत्ती ही रह जाता है। मजाक की बात देखिये वह बाली भी कम हो गई। भगवान को बाली पहनाई जाती थी उसका सोना घिस गया या क्या हुआ ? केवल २ रत्ती वजन रह जाता है २ आने से।

अध्यक्ष महोदय, टेम्पल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके घर पर गाय है, चेयरमैन नहीं, मैनेजर हैं उनके घर पर गाय पहुंचाई गई दूध पीने के लिये, लीजिये दूध पीजिये। यह गाय कौनसी है ? गोशाला की ! जहां की गायों का दूध निकाल कर दूध और घी मन्दिर की पूजा के लिये काम में लाया जाता है उस गोशाला की गाय मैनेजर के घर पर पहुंचाई जाती है। वह गाय मर जाती है तो कीमत किस तरह से पूरी की जाती है, ग्वालों के २५) रु० इन्क्रीज कर दिये जाते हैं। इस तरह की खुली चीजें हैं। क्या यह धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाना नहीं है। इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। क्या कारण है तिलकायत जी से टेम्पल को लेकर इस प्रकार के बोर्ड का गठन करने का ? मेरी खुली धारणा है कि जो जो व्यक्ति जो जो वर्ग दिल से धर्म को मानने वाले हैं उनके धार्मिक स्थानों की व्यवस्था के लिये यह काम उन्हीं पर छोड़ना चाहिये ताकि वे सही काम कर

(श्री अब्दुल जब्बार)

सकें। बार बार उनके होते हुए राज्य सरकार हस्तक्षेप करने की क्यों कोशिश करती है, क्यों इसके धार्मिक हितों पर ठेस पहुंचाती है। आज पारसी, सिख, इस्लाम और अन्य मजहब हैं लेकिन उनके यहां फंड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उन्होंने स्कॉलरशिप्स चला रखी है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार चलाने वालों के ही दिल और दिमाग होते हैं, वे भी उन्हीं के वर्ग में से जन्म लेकर आते हैं। यदि टेम्पल में फंड ज्यादा इकट्ठा होता है तो कॉलेज खोल सकते हैं, किताबें खरीद कर गरीब विद्यार्थियों को दे सकते हैं, स्कोलरशिप दे सकते है। इसका मतलब यह नहीं है कि रसोई घर का इन्तजाम करें और घाटा पड़ जाय। बाजार से सामान आवे और उसके बावजूद भी सामान आया या नहीं उसका पता नहीं, प्रसाद बंटता है उसका पता नहीं, किस किस को बांट रहे हैं ? जैसे सरकार के प्रतिनिधि अपनी जेब से ही बांट रहे हों–इधर उधर जाते हैं।। मैं खुले शब्दों में चुनौती देता हूं कि आप इस बात को न भूलें कि हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रीय वैश्य, और शूद्र वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। क्षात्रिय का काम रक्षा करने का है वह किसी भी समय में क्यों न हो पैत्रिक रूप से दिमाग में पैदा होता है`। ब्राह्मण उस जमाने से पढ़ाने का काम करता चला आ रहा है।

आज भी शिक्षक हम उन्हें मानते हैं। आज भी शपथ की प्रथा है, जो हाई कोर्ट के जजेज को शपथ ग्रहण करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को शपथ ग्रहण करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर शपथ ग्रहण करवा दे। ऐसी बात नहीं है और यह चीज आती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूजा करने का तरीका है, और जो पुजापे की व्यवस्था मन्दिरों में है, तो मन्दिरों की डिग्निटी मेन्टेन करने के लिए जो कुछ भी ढंग उन्होंने तय कर रखा है और जो भी धार्मिक परम्परा है, जो भी रिवाज चला आ रहा है–उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके तिलकायतजी को पूरी तरह से व्यवस्था करने का मौका दें। जिस प्रकार की व्यवस्था चलती है उसमें यदि नुकसान हो जाय तो वह नुकसान उनको होगा, सरकार के खजाने से क्या जायगा? इसमें सरकार को क्यों परेशानी होती है ? मैं चाहता हूं कि आप उनको प्रोटेक्शन दें। मेरा दावा है कि आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार को फैला रखा है और जो धार्मिक स्थान है उनको आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नाजायज फायदा उठाने की बात कह रहे हैं। यह बात जब आपके सामने आये कि धार्मिक संस्थाओं के फंड से कितना पैसा दिया गया, तो उसमें से किसी गरीब को पैसा नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उस फंड में से उनको आप पैसा दीजिये। जो गरीबों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए पैसा दीजिये। जो गरीब चपरासी और सिपाही हैं, उनको आप सैलेरी क्या देते हैं, उनको पचास–साठ रुपये तनख्वाह देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती, गर्भवती औरतों को घी खाने को नहीं मिलता। उन लोगों को आप इस फंड से पैसा दीजिये। आप अभी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों की भावनाओं को खराब करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री अब्दुलजब्बार)

हूं कि आपने जो गलती कर ली है इस गलती को आप ठीक कर लें। मैं चाहता हूं कि आप ठीक तरह से प्रजातन्त्र में धार्मिक भावनाओं को पनपाने की कोशिश करें। क्योंकि इस देश में इस प्रकार की परम्परा रही है, इतिहास इसका साक्षी रहा है कि जब भी किसी सरकार ने धार्मिक संस्थाओं को हाथ में लिया, उनकी बागडोर को अपने हाथ में लिया, धार्मिक संस्थानों का इन्तजाम करने के लिए पैर आगे बढ़ाया, या उनके काम में हस्तक्षेप किया–तो मेरा दावा है, मेरी मान्यता है और मेरा तजुर्बा है कि वहां धर्म खत्म हुआ है, धर्म से आस्था समाप्त हुई है, मानवता खत्म हुई है और बर्बरता कायम हुई है। मैं इस चीज को मानता हूं और इतिहास की बिना पर आपसे निवेदन करता हूं कि नाथद्वारा के....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अब राज्य को खत्म करने की बात को खत्म करें।

श्री अब्दुलजब्बार : जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब इस पर अधिक चर्चा न हो क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा करने का बहुत थोड़ा समय रहता है।

जो प्रस्ताव इस विधेयक पर श्री चौसरसिंह बाबेल ने प्रस्तुत किया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे। क्योंकि अधिवेशन एक सप्ताह बाद तक चलने की सम्भावना नहीं है इसलिए अगले सत्र में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ऐसा इसको मान कर चलें।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : मैं सहमत हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक दूसरा प्रश्न और है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों की सूची माननीय सदस्यों को बाद में बता दी जावेगी।

अब संकल्प पर विचार होगा। पहला संकल्प माननीय सदस्या का है। वे अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(१.१४ म० प०)

राजस्थान में हस्तकला उद्योग-
को बढ़ावा देने सम्बन्धी
अशासकीय संकल्प

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं कि सदन की राय है कि हस्तकला उद्योग

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा और अधिक सक्रिय कदम उठाये जायें ।

श्री अध्यक्ष : ठीक साहब, कृषि मन्त्री को एक वक्तव्य देना है । मैं निवेदन करता हूं कि वे संक्षेप में बतला दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीनों का टाइम मुकर्रर किया है । तीनों के प्रस्तावक बोल लें, उनके समर्थक समर्थन कर लें और सरकार उनका जवाब दे दे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : पिछली बार एक ही बिल पर इतना समय लग गया था ।

श्री अध्यक्ष : दो संकल्प पर आधा आधा समय रखा जायगा । तीसरे संकल्प के लिए समय होगा तो उसको भी रखा जा सकेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी आज्ञा हो तो इनका संकल्प और मेरा संकल्प साथ साथ ले लें ।

श्री अध्यक्ष : आप सहमत हों तो उसमें....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसा नहीं होना चाहिए । विषय अलग अलग हैं ।

(१. २०. म. प.)

राजस्थान में गेहूं के भावों विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल सदन के समक्ष गेहूं की मेग्ज़िमम कीमतों के बारे में निवेदन किया था । मैंने कल राजस्थान को दो हिस्सों में अलग अलग जिलों के नाम गिना कर विभाजन के दृष्टिकोण से आपके सामने सारी बातों को रखा था । उनमें जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान में हैं उनकी संख्या १५ है, उनमें गेहूं के भाव, जो तीन दर्जों में गेहूं को बांटा था, की मेग्ज़िमम प्राइस में थोड़ा परिवर्तन किया है । जहां मैंने लाल, बाज्या और काठा के सम्बन्ध में ५२ पैसे किलो का भाव आपसे निवेदन किया था उसके बजाय अब ५३ पैसे किलो समझें और सफेद, दर्रा और गज्जर के सम्बन्ध में ५६ नये पैसे किलो के बजाय अब ५७ नये पैसे प्रति किलो के हिसाब से समझें । तीसरे दर्जे में कोई चेंज नहीं की है । और जो दूसरे डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट के बारे में भाव बताये थे उसमें ५७ नये पैसे प्रति किलो लाल, बाज्या और काठा के बताये थे उसके बजाय अब ५८ नये पैसे प्रति किलो समझें और सफेद, दर्रा और गज्जर के लिय ६१ नये पैसे प्रति किलो का भाव बताया था अब उसके बजाय ६२ नये पैसे प्रति किलो आप समझें । जो तीसरी क्वालिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है । वह वैसी की वैसी है ।

एक माननीय सदस्य : यह किस आधार पर क्या बदला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गल्ती रह गई थी इसलिए भूल सुधार किया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : भूल सुधार किसे कहते हैं जब कि उसका ज्यादा पैसा देना पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे भाई ! गल्ती रह गई थी। और क्या होगा, फांसी देंगे क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो सकती है भूल । इसके लिए धन्यवाद कि भूल ठीक कर ली ।

राजस्थान में हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प (पूर्व क्रम से)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया वह यह है कि हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा और अधिक सक्रिय कदम उठाये जायें । अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की सांस्कृतिक परम्परायें हैं....

श्री भैरोंसिंह : आज आप राजस्थानी में बोलिये ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): पहनावा राजस्थानी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप राजस्थानी हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थानी भाषा का प्रचार करती हैं, राजस्थान की हस्तकला का प्रश्न उठाती हैं लेकिन राजस्थानी पहनावा नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरी मर्जी की बात है. मैं हिन्दी में बोलूं या राजस्थानी में ।

श्री भैरोंसिंह : मर्जी की बात नहीं है । जब राजस्थानी का प्रचार करती हैं और राजस्थान की हस्तकला का प्रश्न उठाती हैं तो राजस्थानी में बोलें.।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपको इस राय के लिए धन्यवाद !

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परायें हैं उनके प्रति हमारे हृदय में गर्व है । हमारे राजस्थान का उच्च कोटि का साहित्य रहा है, उच्च कोटि का लिट्रेचर प्राप्त होता है और राजस्थान का अपना कल्चर है । और इनके अनुरूप ही हमारे यहां का हस्तकला उद्योग और हैण्डी-क्राफ्ट है । राजस्थान के हस्तकला उद्योग ने और हैण्डी क्राफ्ट ने हमारे राज्य को गौरव प्रदान किया है । जो कला मर्मज्ञ हैं, जो इस बात को समझने वाले हैं—चाहे वे इस देश के व्यक्ति हों और चाहे वे विदेश के हों—उन्होंने राजस्थान के हस्तकला उद्योग की भूरी भूरी प्रशंसा की है । और आज ही नहीं, कई साल पहले से विदेशों के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में—लन्दन में हुई प्रदर्शनी, पेरिस में हुई प्रदर्शनी और वियाना में हुई प्रदर्शनी, और अभी अभी न्यूयार्क में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में राजस्थान की हस्तकला उद्योग ने इनाम पाये हैं । इसके

Page No 59

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

अलावा विदेशों के म्यूजियम में आज भी राजस्थान के हस्तकला के नमूने सजे हुए है। जो विदेशी विद्वान् हैं और विदेशी कला मर्मज्ञ हैं उन्होंने राजस्थान के हस्तकला की बहुत प्रशंसा की है। भारत में जो एक आर्ट क्रिटिक बम्बई से निकलता है उसने एक विशेषांक राजस्थान के हस्तकला उद्योग को लेकर निकाला है। और राजस्थान के हस्त-कला उद्योग के बारे में डॉक्टर मुल्कराज ने

(१. ३५. म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

बहुत ही सुन्दर शब्दों में प्रशंसा की है। आज हमारे देश के अन्दर राजस्थान हस्तकला के क्षेत्र में एक विशिष्ट राज्य है, हस्तकला की उच्चता, उत्कृष्टता और कुशलता की दृष्टि से। और यह राजस्थान की कई पीढ़ियों के सतत् परिश्रम और साधना के द्वारा उपलब्धि की गई है। आज के उन्नत हस्तकला के पीछे राजस्थान की कई पीढ़ियों को कई सदियों तक साधना करनी पड़ी है-यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा, कि हमारे यहां के आर्ट को, कल्चर को और हस्तकला उद्योग को हमारे यहां के राजाओं ने, लोगों ने और शासकों ने और जागीरदारों ने बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन दिया है, वे उसके बहुत बड़े पेटर्न रहे हैं। यह उस समय के राज्याश्रय का ही परिणाम है कि यह कला उस समय पनपी और आगे बढ़ी। अगर राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हस्त-कला उद्योग को पनपाने के लिए, इसका प्रसार करने के लिए और इसको सिखाने के लिए यहां के आदमी जनता में प्रचार करने के लिए दूर दूर गये। दूर दूर से हमारे यहां के लोगों को कारीगरी सिखाने के लिये कारीगरों को बुलाया गये। केवल भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों को बुलाया। वे कारीगर अपनी अद्भुत कलाओं को लेकर फ्रांस, बिलोचिस्तान, बेबी-लोन आदि नगरों से आये और यहां पर उन कलाओं को लोगों को सिखलाई। आज हम हमारे यहां की सारी कलाओं के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि इन कलाओं को बतलाने वाले पेरिस, समरकन्द आदि देशों से आये थे। सभापति महोदय, उनको उस समय की सरकार ने कई तरह की सहूलियतें दीं और उनको मकानात भी दिये और इनाम भी दिये। उनको मौकों मौकों पर इनाम इकराम दिये जाते रहे और उनको जागीर, मकान आदि देकर उनको प्रोत्साहित किया और उनके उत्साह को बढ़ाते रहे। इसलिये हमारे यहां पर यह चीज फूली फली और आज हमारे यहां पर लाइन चली आ रही है। अगर हम अपनी कलाओं को गिनना चाहें तो उन्हें अंगुलियों पर नहीं गिना जा सकता। वे इतनी अधिक मात्रा में है कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। हमारे यहां हस्तकला उद्योग, जयपुर शहर में और जयपुर शहर के आस पास के गांवों में बहुत हैं और ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांवों में कि जिनको लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। उनके इतने नाम हैं कि मैं आपको गिना नहीं पाऊंगी। यों तो हमारे यहां की कलाएं इतनी अधिक हैं लेकिन जो खास खास हमारे राजस्थान की

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कलाए हैं उन पर मैं एक सरसरी नजर से प्रकाश डालना चाहती हूं।

जयपुर में आपको सभी को मालूम ही है कि पीतल की खुदाई और मीनाकारी का काम बहुत प्रसिद्ध है। महाराजा रामसिंहजी के राज्य में बनारस से इस कला को सिखाने के लिये कारीगरों को बुलाया गया था और यह कला लोगों को सिखलाई गई थी। यह कला ७५ वर्ष पुरानी कला है। मैं यह आपसे कहना चाहती हूं कि मीनाकारी और पीतल की कारीगरी यहां पर इतनी पनपी कि आज बनारस की कारीगरी भी इसके सामने कुछ न रही।

इसी तरह से हमारे यहां पर चन्दन का उद्योग है जिससे हजारों कारीगरों को रोटी रोजी मिलती है। जयपुर और जयपुर के आस पास के छोटे मोटे गांवों में वे लोग बराबर काम करते हैं और चन्दन पर खुदाई करते हैं। इसी तरह से हमारे यहां पर पोटरी भी बहुत प्रसिद्ध है। पोटरी की एक विख्यात् कला है जिसको समरकन्द से कारीगरों को बुला कर सिखाया गया था। इस कला के एक जानकार व्यक्ति ने इसके लिए कहा है कि it is the most peculiar pottery of the world.

इसमें जो विशेषता और खूबी है वह जयपुर की पोटरी में ही है।

यहां पर लाख की चूड़ियां ही नहीं बल्कि और भी लाख की कई प्रकार की चीजें बनती हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर बन्धेज का काम भी बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार हमारे यहां पर मूर्ति कला भी प्रसिद्ध है। आज हमारे यहां पर देश के किसी भी कोने में अगर कोई मन्दिर बनता है तो मूर्ति जयपुर से जाती है। यह इसलिये कि यहां पर मूर्ति कला बहुत प्रसिद्ध है और इसके साथ साथ कुदरत ने भी हमें साथ दिया है कि हमारे यहां पर मकराने की खानें उत्तमोत्तम है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे यहां पर छपाई का काम भी सांगानेर, आमेर, शाहपुरा आदि स्थानों पर बहुत होता अच्छा हैं और बन्धेज का काम भी बहुत होता है जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसको खरीदने के लिये बाहर के विदेशी लोग बहुत लालायित रहते हैं। जब प्रिन्स ऑफ वेल्स अभी यहां पर आये थे तो विशेष तौर से उन्होंने टर्बन्स को पसन्द किया। इसके अलावा इसकी मांग संसार के कोने कोने से है।

इसके अलावा आज इस मोडर्न युग में जब कि सारी चीजें मशीनरी से बनती है, रत्नों की कटाई के लिये रत्न हमारे यहां पर आते हैं और यहां पर उनकी कटाई और पालिश की जाती है। यहां जयपुर के कारीगर उन रत्नों को सादा सादा औजारों को काम में लेते हुए काटते हैं और पोलिश करते हैं। मगर उनके रत्नों के काटने के एन्गल्स इस प्रकार के हैं कि उसका मुकाबला मशीनों से नहीं हो सकता और आधुनिक मशीनरी के बावजूद भी लाखों और करोड़ों की कीमत के रत्न यहां पर आते हैं और कट कर और पोलिश होकर चले जाते हैं। यहां के कारीगर जो रत्नों की कटाई का काम करते हैं, वे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बहुत गरीब और मोहताज हैं मगर फिर भी वे लोग बड़े ईमानदार हैं और लाखों रुपयों का माल जौहरी लोग उन्हें वैसे ही बिना किसी जमानत के दे देते हैं और बगैर किसी लिखा-पढ़ी के दे देते हैं। लेकिन आज तक कभी भी कोई बेईमानी की बात नहीं हुई। यह पुश्तैनी कारीगर हैं और वे इस काम को पीढ़ियों से करते आ रहे हैं।

इसके अलावा सांगानेर, सवाईमाधोपुर में कागज और बढ़िया छपाई होती है इसी तरह हमारे यहां की कोटा की बढ़िया मलमल प्रसिद्ध है और दिन ब दिन आकर्षण बढ़ता जा रहा है। एक नहीं अनेकों ऐसी चीजें हैं जिन्हें अंगुलियों पर गिनाया नहीं जा सकता है।

हमारी चित्र कला संसार में बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे यहाँ राजस्थान की राजपूत शैली के चित्र हजारों की कीमत में जाते हैं। इसमें उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ की शैली है वह भी सारे संसार में मानी हुई है और इसके सामने संसार में और कोई पुल नहीं पहुंच पाया है। मगर आज जो हमारे यहां की कलाएं हैं जिनको उनके बाप दादों ने वसियत की है। सभापति महोदय, पुरानी कलाओं की जो लोग जानकारी रखते हैं वे इन कलाओं को संवार कर बड़े प्रेम से रखते हैं, मगर बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि अनेक कारीगर हैं जो मरते जा रहे हैं, कई मर चुके हैं और कई कब्र में पैर लटकाये हुए हैं और कई लोगों का नामोनिशान नहीं मिलता है। इस प्रकार की हमारी कारीगरी जो काफी तादाद में नष्ट हो गई है और नष्ट होती जा रही है. उसकी एक छोटी सी तस्वीर मैंने सदन के सामने रखी है।

सभापति महोदय, जयपुर में तीन कलाएं प्रसिद्ध हैं जो पर्शिया से आई हुई हैं। एक तो एमकोर्स्ड वर्क है यह बिल्कुल गायब हो चुका है। कुछ समय पहले इसके काम करने वाले थे मगर आज इसके जानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। दूसरा ओवरले ऑफ शीट सिल्वर, वह भी बिलकुल गायब हो चुकी है। शायद एक-आध बुड्ढा इस आर्ट को जानता हो तो जानता होगा। मुमकिन है उसने अपने किसी लड़के को यह कला बताई हो। तीसरी कला है तारकशी इनले ऑफ वायर। यह इतनी सुन्दर और इतनी अनूठी कला थी कि वह कला आज से ५० वर्ष पहले जितने सम्पन्न व्यक्ति थे अपने घरों में रखते थे और गौरव का अनुभव करते थे। ये सारी की सारी चीजें आज गायब हो गई। किस लिये गायब हो गई ? आज ये सारी पेट्रोनेज के अभाव में गायब हो गई। इसलिये कि लोगों ने और सरकार ने इसको देखा नहीं और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसको जीवित रखना चाहिये या नहीं इसलिये मैं यह निवेदन करूंगी कि इसकी तरफ अभी भी ध्यान दिया जाए और हो सकता है अभी भी कोई बुड्ढा इस कला का जानने वाला हो तो अब भी वक्त है उससे इन कलाओं को जीवित रखा जाए। या किसी के बेटे-पोते के पास हो तो इसको देखा जावे। यह जयपुर शहर का ही प्रश्न नहीं है। मैं कहूंगी कि हमारे यहां डूंगरपुर के परेवा पत्थर का उद्योग, डूंगरपुर में जो पत्थर निकलता है

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

वह काला पत्थर है उसकी मूर्तियां बनती है और वही काले रंग का पत्थर जिसका प्रसिद्ध सोमनाथ का मन्दिर बनाया गया था, आज भी लोग इसमें काम करने वाले हैं; लेकिन उनकी सांस सूखी जा रही है।

वहां के कारीगर अपने बेटों को यह शिक्षा देते हैं कि बेटा तांगा चला लेना पर इस आर्ट को मत सीखना, नहीं तो भूखों मरोगे। इस प्रकार की स्थिति वहां हो रही है। डूंगरपुर की पत्थर की बतखें बड़ी मशहूर होती हैं, वे बतखें पत्थर की होती हैं पर पानी पर तैरती हैं। डूंगरपुर की पत्थर की बतखों के बारे में मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था, तीन बतखें हमारे एम्पोरियम में भी आई थीं। आज इस आर्ट की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। आज उन कलाकारों को राज्य की ओर से प्रश्रय दिया जाना अत्यन्त आश्वयक है।

अब मैं प्रतापगढ़ की मीनाकारी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं। प्रतापगढ़ की मीनाकारी बहुत प्रसिद्ध है, आप कहेंगे कि मीनाकारी तो और और जगहों पर भी होती है। मैं यह निवेदन करूं कि और सब जगह तो मीनाकारी दूसरी वस्तुओं पर होती है, पर प्रतापगढ़ में एक कारीगर का परिवार था जो कांच पर सोने की मीनाकारी का काम करता था। कांच पर सोने की मीनाकार का काम प्रतापगढ़ के सिवा और कहीं नहीं होता, राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान में भी कहीं नहीं होता। यह एक यूनिक आर्ट था। इस आर्ट का एक कारीगर दिल्ली के दरबार में पर्शिया से आया था, उस वक्त के प्रतापगढ़ के दरबार ने एक आदमी को प्रतापगढ़ से देहली उस कारीगर के पास भेज कर यह आर्ट सिखाया था। मैंने सरकार के सामने यह प्रश्न रखा था कि वह कारीगर बुड्ढा आदमी है, किसी नवयुवक को उस कारीगर के पास भेज कर यह आर्ट सिखाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये, नहीं तो यह आर्ट समाप्त हो जायगा।

हमारे पड़ौसी अलवर में कुछ कारीगर ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी कागजी पोटेरी बनाते थे। कुछ कारीगर ऐसे थे जो मिट्टी की इतनी पतली और हल्की पोटेरी बनाते थे जो कागजी पोटेरी कहलाती थी, आज भी कागजी पोटेरी बनती है। इस उद्योग के रिवाइवल की आवश्यकता है। क्यों नहीं हमारे उद्योग विभाग का ध्यान इस उद्योग की तरफ जाता ? मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूं कि सरकार इस उद्योग के रिवाइवल की तरफ ध्यान दे।

हमारे बीकानेर में सुनहरी पोटेरी का काम होता था, वह आज केवल अजायबघर की चीज रह गई है। बीकानेर की सुनहरी सुराहियां बड़ी सुन्दर और मशहूर होती थीं।

बीकानेर की लोइयां बड़ी सुन्दर, मुलायम और मशहूर होती थीं। इस उद्योग को यदि आज राज्य की ओर से प्रश्रय दिया जाता तो बीकानेर की लोइयां और भी अधिक मुलायम, सुन्दर और आर्ट से भरी होतीं, पर उसकी ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जयपुर की ज्वेलरी के सम्बन्ध मे मैं निवेदन करूं. जयपुर में ज्वेलेरी का काम, कुंदन का काम बहुत बढ़िया होता है, लाहौर से आज से ५०० वर्ष पूर्व कुंदन के कारीगरों को कुंदन की कारीगरी का काम सीखने के लिये यहां बुलाया गया था। आज देश के कोने कोने से अच्छे कुंदन के काम के लिये लोग यहां जयपुर में आते हैं। आज हमारे यहां की जयपुर की कुन्दन की ज्वेलरी देख कर बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों की औरतों के मुंह में पानी आ जाता है। पर आज इस आर्ट की भी हत्या होने वाली है। आज कारीगर मौजूद हैं पर गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट चला है उसके कारण इस आर्ट की हत्या होने वाली है।

इस तरह हमारे यहां के आर्ट गायब हो गये हैं, गायब होते जा रहे हैं या जो अच्छी हालत में चल रहे हैं उन्हें संरक्षण, प्रोत्साहन, गाइडेंस सरकार की ओर से मिलना चाहिये, आधुनिक मांग के अनुसार इनको कैसे बदला जा सकता है, इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से गाइडेंस मिलना अत्यावश्यक है।

कई उद्योग ऐसे हैं जिनको संरक्षण की, प्रश्रय की आवश्यकता है। हमारे यहां जयपुर में पीतल का उद्योग बड़ा प्रसिद्ध उद्योग है, लाखों की कीमत का पीतल का उत्पादन यहां जयपुर में होता है, लाखों का पीतल का सामान यहां तैयार होकर बाहर जाता है। इसे सरकार की ओर से जिस प्रकार का उचित संरक्षण मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, सरकार की ओर से इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी दो-चार मिसालें माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा उप-मंत्रीजी को बताना चाहती हूं। जयपुर में पीतल का काम बहुत नफीस और ऊंचे दर्जे का होता है; बहुत बड़ी तादाद में पीतल का सामान यहां से एक्सपोर्ट होता है, सालाना करीब १४–१५ लाख की कीमत के पीतल के सामान का उत्पादन यहां होता है, पर आज उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत रा मेटिरियल की है। इतनी बड़ी तादाद में यहां पीतल का सामान तैयार होता है पर किसी प्रकार का रा मेटिरियल कारीगरों को नहीं दिया जाता। उप मंत्रीजी शायद उत्तर में कहेंगे कि रोलर मिल को सीधा का सीधा कोटा दे देते हैं। पहले रॉ मेटिरियल बाजार से दूकानदार खरीदते थे और ८ आना किलो के हिसाब से रोलर मिल को देते थे, अब सरकार ने यह कर दिया है कि डेढ़ रुपया पर-किलो लिया जाय, एक किलो पर पहले से एक रुपया बढ़ा दिया है। पीतल की जितनी चीजें बनती हैं सब चद्दर से या शीट्स से नहीं बनतीं, लेम्प्स चद्दर की बनती हैं, सिगरेट केस आदि छोटी मोटी चीजें चद्दर की बनती हैं, पर हमारे जयपुर में बनने वाले पीतल के खिलौने पीतल से ढाले जाते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो हमारे यहां जयपुर में खिलौने बनते हैं, जो ढाले जाते हैं, उनके बनाने वाले कारीगरों को रॉ मेटिरियल दिया जाता है या नहीं दिया जाता।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(कुछ क्षण विराम)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : तो मैं यह निवेदन करूंगी कि जयपुर में चार पांच लाख रुपया सालाना के पीतल के खिलौने बनते हैं। यह आर्ट का कायदा है कि जो विशेष स्थान पर बढ़िया चीजें बनती हैं वे उसी स्थान पर बनती हैं। कई चीजें मुरादाबाद में अच्छी बनती हैं कई चीजें जयपुर में बहुत अच्छी बनती हैं। यदि मुरादाबाद वाले चाहें कि जयपुर की बढ़िया चीजें उनको नहीं पोसा सकतीं और यदि जयपुर वाले चाहे मुरादाबाद में बनने वाली बढ़िया चीजें वे बना लें तो उनको वे नहीं पोसा सकतीं। हमारे यहां के कारीगरों का हाथ एनामेल खिलौना पर जमा हुआ है...

श्री सभापति : समय का भी ध्यान रखिये; संशोधन भी हैं और साहबान भी बोलेंगे, समर्थन में भी बोलेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने रिज़ोल्यूशन दिया है तो मैं तो उस पर बोल लूं।

श्री सभापति : मुझे आपत्ति नहीं है। आप ही बोल लें सारे समय में। यदि आप चाहती हैं कि आपके संकल्प का और कोई संशोधन नहीं रखें तो आप ही बोल लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : रिज़ोल्यूशन ही यदि पूरा नहीं रख पाऊंगी तो संशोधन क्यों होंगे ?

श्री सभापति : आपको लगभग ३५ मिनट हो गये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : खैर, मैं चेष्टा करूंगी।

चन्दन के खिलौने यहां बनते हैं पर चन्दन यहां नहीं होता, चन्दन मैसूर स्टेट से आता है। यहां के पंसारी मैसूर जाते हैं....

एक माननीय सदस्य : कोटा-उदयपुर में चन्दन होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कोटा उदयपुर में घटिया क्वालिटी का होता है। जयपुर के पंसारी मैसूर जाकर नीलाम की बोली लगा कर चन्दन खरीदते हैं, चार रुपये किलो के भाव से उन्हें चन्दन मिलता है, उसके लिये यहां के कारीगरों को १२ रुपया प्रति किलो देना पड़ता है। चार पांच रुपया किलो के हिसाब से मैसूर राज्य वहां के कारीगरों को चन्दन देता है। तो हमारी सरकार को चाहिये कि मैसूर सरकार से बात करे और ठीक कीमत पर कारीगरों को चन्दन दिलाये। एक मजेदार बात मैं बताऊं मैसूर से चन्दन यहां आता है पर चन्दन की बनी बहुत सी चीजें यहां से बन कर मैसूर जाती हैं। इसलिये राजस्थान सरकार मैसूर सरकार से बात करे और यहां के कारीगरों को चन्दन दिलाने की कोशिश करे।

सांगानेर की छपाई आज विलुप्त होती जा रही है। विदेशी लोग यहां की छपाई का कपड़ा पहिनते हैं, पर हमारे यहां के छपाई का काम करने वाले लोगों को पक्के रंग नहीं मिल रहे हैं, कच्चे-पक्के जो भी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

रंग उनको मिल जाते हैं उन्हीं से छपाई कर के भेज देते हैं और कच्चे रंग होने से बाहर के मार्केट में सांगानेर की छपाई के कपड़े की रेपुटेशन घट गई है। पिछले दो वर्षों से सांगानेर की छींट का एक्सपोर्ट कम हो गया है।

उप मन्त्रीजी कह सकते हैं कि कोआॅप-रेटिव सोसाइटीज को कोटा देते हैं, पर कोआॅपरेटिव सोसाईटीज बोगस हैं, कच्चे रंग होते हैं, यह रंग केवल सांगानेर की छपाई में ही काम नहीं आते छपाई के अलग अलग कारखाने जयपुर में जम चुके हैं। दिल्ली की एग्जीबिशन में १५०० साड़ियां यहां से छाप कर भेजी गई, यहां की छपाई ने बाहर के लोगों को बड़ा आकर्षित किया।

हमारे यहां की चूंदड़ी मशहूर है पर आज उसकी भी यही हालत है। २०-३० साल पहले जिन्होंने चूंदड़ी के साफे और चूंदड़ियों को काम में लिया वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहां की चूंदड़ियां कितनी पक्की होती थीं, पर आज चूंदड़ियों का रंग कच्चा है, धोने की तो बात दूर रही पसीने से ही रंग हल्का हो जाता है।

इसके लिये उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि पक्का रंग मंगाने का कष्ट करें। पहले चुन्दड़ियों को रंगने का जो रंग था वह ३०) पौंड मिलता था वह आज ३५०) पौंड मिलता है।

यही समस्या हाथी दांत की है। इसके लिये सबसे बड़ा सेन्टर पाली है। उसके बाद इसके लिये दूसरे सेन्टर आते हैं। भारत सरकार ने आज्ञा निकाली है, यहां के एक्स-पोर्ट के बारे में। भारत सरकार क्यों निर्यात कर रही है? राजस्थान सरकार को चाहिये।

दूसरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि क्या आपने आज तक इस बात की जांच की है कि आज कितने लोग किस उद्योग में हैं, कितने लोगों को रोजी मिल रही है, कितना माल पैदा होता है और कितना राज्य में खपता है और कितना बाहर जाता है।

सभापति महोदय, मेरे पास बहुत कुछ कहने को है फिर भी समय की कमी के कारण मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की चेष्टा करूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीजें यहां होती हैं आप उनको संरक्षण दें, उनको गाइडेन्स दें, और जो उनके सामने समस्यायें आती हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें। मैं यह नहीं कहती कि इस पर सरकार ने कोई सोचा ही न हो। सरकार ने सोचा है और कई कदम उठाये हैं और पिछले वर्षों में कई उद्योग पनपे हैं इसमें कोई शक की गुन्जाइश नहीं है। नयी नयी डिजाइन्स और सुन्दर सुन्दर सामग्री आयी और एक्सपोर्ट भी बहुत हुई। काफी लोकप्रिय भी हुई। सांगानेरी छींट है वह काफी लोकप्रिय हुई। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूं। लेकिन बहुत कुछ काम करना बाकी है। यह भी निवेदन करूंगी कि सरकार ने कार्पोरेशन बनाया। इसके आने के बाद बहुत कुछ फायदा हुआ। पहले मैं देखा करती थी कि

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मिर्जा इस्माइल रोड़ पर जो एम्पोरियम है वह सुनसान पड़ा रहता था। आज टूरिस्ट्स आते हैं और उनसे भरा पड़ा रहता है। पहले १।। लाख की आमदनी होती थी और आज ६ लाख की आमदनी होती है। जिस ढंग से यह इस समय काम कर रहा है उसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। इसमें सन्देह नहीं है।

जहां तक एम्पोरियम और यहां के कारीगरों का सम्बन्ध है बीच के बिचौलियों को समाप्त कर दिया है। अभी मार्च का विशेषांक निकाला गया। राजस्थान की इस कारीगरी के सम्बन्ध में सुन्दर और सुरुचि-पूर्ण सामग्री है। इस विशेषांक के निकालने से बाहर के लोगों के इन्ट्रेस्ट के बारे में पता लगेगा।

सभापति महोदय, यह एक व्यवसायिक संस्था है। इसकी अपनी लिमिट्स होती हैं। यह अपने भले और नफे के काम को देख कर चलती है। हम चाहते हैं कि प्रमोशनल एक्टीविटीज़ और वह आपका उद्योग विभाग ही कर सकता है। हमें उन प्रमोशनल एक्टीविटीज़ में यह देखना है कि नयी डिजाइन दी जाय, नये रंग दिये जायं, कारीगरों को नयी प्रेरणा दी जाय, उनको प्रोत्साहन दिया जाय यह काम उद्योग विभाग का है। उद्योग विभाग को पूरा काम करना है। आप कहेंगे कि हमने डिजाइन सुन्दर सुन्दर बना रखी हैं, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल बना रखे हैं, कारपेट बनाने का कारखाना खोल रखा है। सिद्धान्त रूप में यह कर रखा है। वे चलते हैं। लेकिन उनका आउटपुट क्या है यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं। जिस आउटपुट की दृष्टि से सोच कर इसको लिया गया हाथ में वह पूरा हुआ? जो आपकी मंशा और मकसद था वह पूरा कर रहे हैं? तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मंशा पूरी नहीं हो रही है। उन पर राज्य का लाखों रुपया लग रहा है वह सारा का सारा अपव्यय हो रहा है। यदि सरकार खोलती ही नहीं तो संतोष की बात होती। सरकार उनको खोलती है और उन पर लाखों रुपया जिस प्रकार से खर्च हो रहा है उससे दुख होता है। आउट पुट होना चाहिये।

पहले मैं क्राफ्ट्स को ही लेना चाहती हूं जो हमारे गवर्नमेन्ट होस्टल के सामने है। आज उसकी क्या दशा हो रही है? मैं उस पर क्या प्रकाश डालूं। उप-मंत्रीजी स्वयम् अपने विभाग की बातें अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने फैसला कर लिया था कि इसको बन्द कर दिया जाय, लेकिन प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि सुचारु रूप से चलाया जाय। एक लाख रुपया खर्च होता है। ६ विभाग चलते हैं। २ में केवल १६ विद्यार्थी हैं। और में कुछ नहीं। प्रिन्सिपल क्वालिफाइड महिला है इस आर्ट की। लेकिन वह मोर्डन आर्ट की जानकार है। यह ट्रेडीशनल आर्ट है। किस चीज का नया दृष्टिकोण रखा और क्या नयी डिजाइन दी?

आज से ३० साल पहले इस क्राफ्ट्स स्कूल की क्या स्थिति थी, यह जयपुर वालों से छिपी हुई नहीं है। जो बाहर का विदेशी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत) (२. म. प.)

अतिथि आतः वह पहले इस आर्ट्स स्कूल को देखने जाता था । यहां के चित्र आदि बाहर भेजे जाते थे। आज यह दशा हो रही है कि कारीगर थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। वे काम सोच कर कुछ नहीं कर पाते। कोई पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसी तरह आमेर रोड पर कार्पेट सिखाने की इन्स्टीट्यूशन खोल दी। उसकी स्थिति क्या है ? वह भी उप-मंत्री बता दें तो अच्छा है। वहां पर क्या काम सिखाया जाता है ? सीख कर लड़कों ने क्या किया ? कोई विद्यालय खोला है वाहर गया है नौकरी की है ? इसका कोई रिकॉर्ड तो सरकार के पास होगा। हमारी जानकारी में तो इतना ही है कि यहां से जो लड़के निकलते हैं वे साइकिलों के पंक्चर ठीक करते हैं। एक कार्पेट जैसा बड़ा व्यवसाय। कहते हैं कारीगर नहीं हैं। पूरी की पूरी शिक्षण संस्था है तो फिर कारीगर क्यों नहीं है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि बीकानेर और अजमेर की जेल में वे गलीचे बनते थे कि जो बाहर विदेशों में भेजे जाते थे। बीकानेर के गलीचों की युरोप में मांग थी। बढ़िया किस्म की ऊन लगायी जाती थी। जब आपने शिक्षण संस्था चला रखी है तो फिर आपको कारीगर क्यों नहीं मिल रहे हैं। आप सोचते हैं कि लाखों रुपया खर्च कर रहे है तो आखिर इसका उपयोग क्या ?

इन सारी बातों को देखते हुए सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। इन कामों को करने के लिए आज कारीगर उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

सब से पहला मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी शिक्षण संस्थायें है आर्ट्स की या क्राफ्ट्स की इनको सुचारू रूप से चलाया जाय, इनको सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाय और इनके सिलेबस में सुधार किया जाय। जहां विद्यार्थियों को स्कोलरशिप्स कम मिलती हैं वहां स्कालरशिप ज्यादा दी जाय। सब से बड़ी समस्या जो मेरी नजरों में है वह यह है कि जो पढ़कर के या काम सीख करके निकलते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। हमारे यहां पर जिस तरह का काम सिखाया जाता है उससे न उसको पूरा काम आता है और न उसे मान्यता ही मिलती है। इसकी मैं आपके सामने नजीरें दूंगी। अपने यहां जो आर्ट्स स्कूल चल रहा है, यहां पर तीन चार साल का कोर्स है यहां से जो छात्र निकलते हैं उनको आगे मान्यता नहीं मिलती है। पांच साल के कोर्स को समाप्त करने के बाद भी उसको हायर सैकन्डरी के बराबर मान्यता देते हैं। पहले जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स और बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स; इन तीनों का समान दर्जा था। यहां के निकले हुए विद्यार्थी कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिन्सीपल तक बन सकते थे। गोपाल कलकत्ता आर्ट स्कूल, लाहोर के प्रोफेसर बने। आज हमारे सामने यह नतीजा है कि पांच साल का पूरा कोर्स करने के बाद भी राजस्थान के कॉलेजों में नौकरी नहीं मिलती। ये शिक्षण संस्थायें ठीक ढंग से चलें। पांच साल के कोर्स को आप एम० ए० तक की मान्यता दें। तीन साल का जो सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं उनको बी० ए० की मान्यता दें।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

दूसरा सुझाव मैं यह रखना चाहती हूं कि हमारे यहां जो स्टाफ रखा गया है वह टैक्निकल नहीं, इस लाइन को जाननेवाले एक्सपर्ट नहीं, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिये। आपकी जानकारी के लिये कहना चाहती हूं कि बम्बई में रीजनल डेवलपमेंट डिज़ाइन सेन्टर का हैड ऑफिस है ये चारों राज्य मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इनको नये नये डिज़ाइन देता है। नये नये डेवलपमेंट्स दे आइडिया दे वे यहां पर बारबार आ नहीं सकते, इसलिए उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। केवल कागजी घोड़े न दौड़ाये जांय इसकी तरफ पर्सनल अटेन्शन दिया जाय।

दूसरा उप-मंत्री महोदय आपके विभाग में जो रेड टेपिज़्म है उसको दूर किया जाय। वैसे तो हमारे राजस्थान के सब विभागों में रेड टेपिज़्म कम ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, लेकिन यह आपका विभाग व्यवसायी विभाग है। इसमें, रेड टेपिज़्म से काम नहीं चल सकता : मैं किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत करना नहीं चाहती। आप विभाग के इस प्रोसीजर को बदलें, एक राजकाजी विभाग की तरह न चलाकर व्यवसायिक दृष्टिकोण से चलावें। यहां क्विक डिस्पोजल होना चाहिए व्यापारियों की यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि तीन-चार महीने तक फेरी लगाने पर भी हमारा काम नहीं होता। आप अपने विभाग के इस रेड टेपीज़्म को हटाइये।

सभापति महोदय, उप-मंत्री, महोदय बातें कर रहे हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इनको तो सभापति महोदय, बेन्च पर खड़ा कर दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): मैं माननीय सदस्या की बातें बराबर ध्यान से सुन रहा हूं और नोट भी कर रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप यह बतलाइये कि मेरा अन्तिम सुझाव क्या था ?

श्री चन्दनमल वैद : आपका आखिरी सुझाव यह था कि विभाग से रेड टेपिज़्म को खत्म किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इनको बेंच पर खड़ा कर दिया जाय स्टुडेन्ट लाइफ में भी यही आदत थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, हमें इस काम के लिए डिज़ाइन दे सके इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर की नियुक्ति करनी चाहिये केवल कागजों पर नहीं, तनख्वाह जितनी मिलती है, क्या वह उतना काम भी करता है या नहीं, यह बराबर ध्यान रखना चाहिये। उसको जिम्मेदारी दी जाय और उसका कर्त्तव्य होना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट के कस्बों और गावों में जाकर देखे कि किस प्रकार के हेन्डीक्राफ्ट्स हैं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार के सुधार की संभावना है, नये डिजाइन दिलाये जांय ताकि उस लाइन में काम करने वालों को वहां ले आया जाय, कारीगरों से उनको मिलाया जाय, इसलिये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मैं कहना चाहती हूं कि डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिये आती है कि हमारे यहां का हस्तकला उद्योग गांवों में बेकार पड़ा है, वहां कारीगर ऐसे हैं जो इस बारे में बहुत वाकफियत रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अपने गांव में जो उद्योग हैं उनके बारे में क्या जानकारी की, आपने उसके लिये क्या किया और वहां किस प्रकार की जरूरत है। किस प्रकार से उनको बाजार में लाया जा सकता है क्या यह कभी विभाग ने सोचा है ?

डूंगरपुर में पारेवा पत्थर की जो मूर्तियां बनती हैं जो बम्बई के बाजारों में जाती है, वहां के कारीगर काफी सुन्दर कारीगरी करते हैं क्या कभी आपने सर्वे किया है ?

हमारे यहां की किसान औरतें जो अपने कपड़ों पर कसीदाकारी करती हैं, उसको आप यूरोप भेजिये, मोडर्न रूप देकर बाजार में भेजिये, उसमें कुछ डिज़ाइन के चेन्ज करने की आवश्यकता हो तो वह कीजिये।

(२. ०५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चूंदड़ी उदयपुर की बाजार में बड़ी भारी मांग है। बस्सी के आस-पास के गांव में जो कठपुतलियां बनाते हैं अजीब ढंग की हैं, पिक्यूलियर स्टाइल की होती है; कभी आपने उसको बाजार में लाने की कोशिश की ? उन कारीगरों को बढ़ावा देने के लिये आपने कोई कदम उठाया है ?

जैसलमेरी प्रिन्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिये आपने क्या किया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्दनमल वैद : अभी इन्हें काफी बोलना है, बोलने दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं इसके साथ साथ दो-तीन सुझाव और देना चाहती हूं। आज तक जो हमारे यहां से हैन्डी क्राफ्ट्स बाहर जाता था उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। पिछले साल से हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इसके ऊपर भी पर्चेज़ टैक्स लगा दिया। ये काम करने वाले नॉन रजिस्टर्ड कारीगर हैं, अतः इन पर परचेज टैक्स लगा दिया। ये इतने बड़े कारीगर नहीं हैं इनमें से ९९ प्रतिशत कारीगर ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। सब के ऊपर टैक्स लगा है। भारत सरकार का नियम है कि बाहर एक्सपोर्ट होने वाले माल पर किसी प्रकार का पर्चेज़ टैक्स न लगाया जाय। इस बारे में व्यापारियों ने आवेदन पत्र भी दिये। कमिश्नर साहब यह सोचते हैं कि यह अनुचित टैक्स है; वाकई में वाजिब नहीं है इसको हटा दिया जाना चाहिये। आपको चाहिये कि इन लोगों को सहूलियतें दें, उसके विपरीत यह हो रहा है; एक्सपोर्ट होने वाले माल पर पर्चेज़ टैक्स लगा दिया गया है।

Page No 70

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां राजस्थानी चित्रकला और मूर्तिकला की बहुत बड़ी मांग है, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन हमारे यहां नियम है कि सौ साल पुराने चित्र बाहर नहीं भेज सकते इसलिये स्मगलिंग होकर बाहर जाते हैं। अगर आप यह चाहते हों कि इन चित्रों का स्मगलिंग न हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनकी कॉपियां करा लें जो हमारी पुरानी मूर्तियां होती हैं उनकी फोटो कॉपी करवा कर बाहर भेजी जाय। हमारे नाथद्वारा, जयपुर यहां पर मूर्तियों के काफी पुराने कारीगर हैं इनसे फोरेन एक्सचेन्ज उपार्जन व अर्जन करना चाहिये।

साथ में यह भी निवेदन करूंगी कि अभी हमारे यहां एक्सपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड बनने वाला है और इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें जिनको भी रक्खें राजनैतिक आधार पर न रक्खें। आप इसमें उनको रक्खें जो शुद्ध रूप से इसके पूरे पूरे जानकार हों।

इसके साथ यह भी निवेदन करूंगी कि एक्सपोर्ट के लिये एक जोइन्ट डाइरेक्टर भी अलग होने चाहियें जो इसी काम को पूरी तरह से देखे क्योंकि यह अपने आप में काफी बड़ा काम है जो महीने में, बीस दिन दिल्ली रहेगा लाइसेन्स वगैरह जल्दी कराने में। एक्सपोर्ट डाइरेक्टर के अलग से होने की यों भी आवश्यकता है कि वह यह भी देखे कि कौन देश किस तरह का माल पसन्द करता है, हम उसको वह माल किस तरह दे सकते हैं, कितना जल्दी और कितनी तादाद में दे सकते हैं और उसको लगातार देने की स्थिति किस तरह बन सकती है यह भी वह देख सके। जैसे मैं निवेदन करूं कि अभी राजस्थान से मोरपंखी के पंख भेजे गये। पर दिल्ली में जाने पर इस पर रोक लगा दी गई यह कह कर कि यह राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख बाहर नहीं जाने दिये जा सकते। तो इस पर उनका यह ख्याल था कि ये पंखे मोर को मार कर लाये जाते हैं। इसलिये इन्कार किया। पर ऐसे मौकों पर हमारे आदमी का फर्ज है कि वह यह बतावे कि इसमें ऐसी बात नहीं है और वह आगे वालों का भ्रम दूर करे कि मोर को मार कर पंख नहीं लाये जाते। ये तो अपने आप गिरते हैं और उनको इकट्ठा करके भेजा जाता है। इसके लिये मोर कभी नहीं मारे जाते। आज राजस्थान में मोर सबसे ज्यादा हैं। इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। तो इस प्रकार की अनेक छोटी-मोटी बातें हैं जिनको टैकल करना एक्सपोर्ट के हित में बहुत ज्यादा है और बहुत जरूरी हैं। इन सब बातों को पूरा करने के लिये हमें पूरा आदमी इस पर रखना होगा। इनका काम होगा कि वे हमारे इन कारीगरों को नई दशा, नई प्रेरणा और नई नई डिजाइन भी दें। इससे हजारों लाखों की आमदनी हो सकती है।

मैं इसकी भी एक छोटी सी नजीर रख दूं। हमारे यहां से डाई की चीजें जाती हैं, साड़ियां वगैरह जाती हैं। पर उनका जाना कम हो रहा है। अब इसका क्या कारण है, यह उनको पता लगाना होगा। मैं बताऊं इसी सिलसिले में एक फ्रेंच महिला से जानकारी मिली। वह यहां आई थी। उसने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कहा कि हम इसको तो पसन्द करते हैं परन्तु इसकी डिजाइन जो लाल, हरी, पीली होती है वह नहीं चलती हमारे यहां। यह डाई वर्क है। इसको स्कार्फ में काम भले ही ले लें लाल, नीला रंग और हरा, पर इसका बैकग्राउन्ड में आप चॉकलेटी कलर दे दें और छोटी बूंटी के बजाय बड़ी डाल दी तो इसकी काफी खपत हो सकती है। तो हमें उन देशों की अभिरुचि को भी बराबर ध्यान में रखना होगा और काम भी करने वाला कोई होना चाहिये जो कारीगरों को इस बारे की जानकारी भी देता रहे। अभी अभी एक व्यापारी ने इसी के अनुरूप डिजाइन निकाली और भेज दी तो काफी मांग आई उसकी और अभी परसों के दिन ही ४ हजार स्कार्फ भेजे गये। तो यह मैंने नमूने के तौर पर अर्ज किया। आज इन बारीक बातों की तरफ उद्योग विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिये।

साथ साथ यह भी अर्ज करूंगी कि हमारे इस निगम को हमें इतना सशक्त बनाना चाहिये कि एक्सपोर्ट का काम हाथ में लेने के साथ ही लोगों को इसके लिये इन्सेन्टिव भी दे। विदेशी मुद्रा भी और रॉ-मैटीरियल भी इससे प्राप्त होगा। जो माल बाहर भेजा जाता है उसके मुकाबले में रॉ-मैटीरियल मिलता है। ब्रास मैटीरियल के एक्सपोर्ट पर पचास परसेन्ट कॉपर और जिंक का कोटा मिलता है। वुड कार्विंग पर १४ परसेन्ट दूसरे दूसरे कलर और डाइज मिलते हैं। कार्विंग सेट पर १५ परसेन्ट स्टेनलेस स्टील मिलता है। आईवरी भेजते हैं तो ५० परसेन्ट रा-मैटीरियल आइवरी का मिलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राज्य के मन्त्रीगण हस्तकला के विशेषज्ञ हैं और उनमें से आज कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं ?

श्री फूलचन्द्र जैन (सुजानगढ़) : सब बैठे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल एक ही मन्त्री यहां हैं, जबकि दूसरे मन्त्री भी हस्तकला के विशेषज्ञ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि हस्तकला में नहीं जानते जो मन्त्री यहां उपस्थित हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री, उद्योग) : हरकतों पर मुस्करा रहे हैं जो हमारी बैन्चेज पर आकर दूसरी हरकतें कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप अनुचित हरकतें कर रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसलिये अब मैं अपना स्थान लेना चाहती हूं क्योंकि मेरे पास करप्शन पर बोलने को हैं, पर समय नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि सेशन में कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव आते हैं पर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उनकी बात को सुनने के लिये कोई मन्त्री उपस्थित नहीं रहते। यह बड़े खेद की बात है। सरकारी काम के वक्त वे बैठते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं पूरे ध्यान से बातें सुनते हैं। काम करते हैं। पर अफसोस है कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस के समय एक भी मन्त्री उपस्थित नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि वे दिलचस्पी से इनको नहीं सुनना चाहते।

पार्लियामेंट में भी जिस वक्त प्रधान मंत्री कुछ समय के लिये बाहर चले गये थे तो स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि मंत्री महोदयों को ज्यादा समय तक बाहर रहना उचित नहीं होता। तो आपकी इस बारे में यहां भी व्यवस्था होनी चाहिये। केवल डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं जिनके हाथ में कुछ भी करना-धरना नहीं है। वे कैबिनेट में यहां सुने गये मुद्दे नहीं रख सकते न उस पर मंत्री स्तर पर निर्णय में हिस्सा ले सकते हैं। तो इससे क्या लाभ ?

श्री फूलचन्द जैन : विरोधी पक्ष के अनेकों सदस्य ट्रेजरी बेंचों पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कहना ठीक नहीं। उपमंत्रीजी बैठे हैं वे हस्तकला के बड़े विशेषज्ञ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और जो भावना व्यक्त की गई है वह आदरणीय है। वास्तव में इधर के पक्ष से या उधर के पक्ष से कोई भी बात कही जाय, माननीय सदस्य या मंत्री कहें उन सब का उतना ही महत्व है जितना किसी मंत्री का या अन्य सदस्य का। इसलिये उचित है कि जब कोई भी सदस्य या मंत्री कोई बात सदन में कहे तो सभी माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित रहकर उनकी बात सुनें तो ऐसा भी सिद्धान्त होना चाहिये। पर वह सम्भव नहीं होता है। कभी किसी को कभी किसी माननीय सदस्य को या मंत्री को काम हो जाता है।

अब प्रश्न यह रहता है कि कितने मंत्री यहां उपस्थित हों, कितने सदस्य इस पक्ष या उस पक्ष के यहां उपस्थित हों यह तो सदन स्वयं सोच सकता है।

(श्री मथुरादास माथुर, विधि मंत्री, के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आ गये साहब, हस्तकला के और विशेषज्ञ आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस आसन से कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं कि जहां तक हो सके कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो उसके कथन की भी उतनी ही अहमियत रखते हुए सभी माननीय सदस्य उसी प्रकार से उसका वरतन करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माथुर साहब पधारे हैं, एक बार और रिपीट कर दें उस उपदेश को तो अच्छा रहे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, हम तो २४ घंटे माननीय

(श्री मथुरादास माथुर)

सदस्यों के साथ रहना चाहते हैं। हमें कोई काम नहीं है। जो कुछ काम करना चाहते हैं आप ही का काम होता है वह। घर पर नहीं गये हैं। आप ही के काम के सिलसिले में जाते हैं आते हैं। इस प्रस्ताव के या अगले प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन्डस्ट्री मिनिस्टर को तो यहां रहना ही चाहिये था। उनके हाथ में क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : उनके हाथ में सब कुछ है। अपने डिप्टी मिनिस्टर को बहुत अधिकार दे रखे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप से तो वे सेटिस्फाइड नहीं हैं आपस में ही स्तीफे देते फिरते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे हस्तकला के विशेषज्ञ हमें कैसे सेटिस्फाई करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन प्रस्ताव हैं। अभी पहले पर उनको तो अपना भाषण पूरा करने दीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे तो पूरा कर चुकीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हो गया?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हो गया। डिस्टरबेन्स हो गया तो मैंने समाप्त कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पूर्व कि आगे की कार्यवाही चले, आप (श्री मथुरादास माथुर) कुछ कहना चाहते हैं?

(२. १२ म. प.)

सदन की कार्यवाही विषयक कार्य-क्रम सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आपकी आज्ञा से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठकें आगामी मंगलवार, बुधवार दिनांक १३ व १४ को भी रक्खी जावें और उन बैठकों में निम्न कार्य किया जावे :

१३ अप्रेल, १९६५ को राज की खाद्य समस्या पर विचार।

१४ अप्रेल, ६५ को राजस्थान सेल्स टैक्स सशोधन विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार तथा उसका पारण।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'Noes' have it, Sir. ना पक्ष जीता। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपके नेता से और सभी पार्टियों के नेताओं से पूछ कर यह

(श्री मथुरादास माथुर)

तय किया गया है। आप विरोध करते हैं अब यही आपकी पार्टी का डिसिप्लिन है? दो तो हैं आप। रामानन्दजी मौजूद थे इसमें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल रही है उससे संतोष नहीं है। पिछले १॥-२ महीने से सदन बराबर चल रहा है और सारे सैटरडेज भी बराबर चलता रहा है और बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है।...

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में तो लीडर्स की, सब की, बात हो चुकी है और सब की राय से तय हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस करूंगा कि अब तक हमने सब ने यहां छुट्टियों के दिन भी बैठ कर काम किया है। आप सदन को और आगे बढ़ाइये। १७, १८ तारीख को आप बढ़ा लें और उन दिनों कार्य करें। सारे तो सैटरडेज़ हमारे काट दिये उसके उपरान्त भी और छुट्टी भी काट दी। आप १७, १८ को बढ़ाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि १३ और १४ तारीख को सदन की बैठक रखने का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाये। मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव तारीख १३ और १४ को सदन की बैठकें रखने का, जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार किया जाये।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ना पक्ष जीता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए प्रेस करना चाहता हूं कि नेता महोदय आपस में बैठ कर तय कर लेते हैं और आम सदस्यों की कन्वीनियेन्स का ध्यान नहीं रखते।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ऐसे नेता को हटा दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समझता हूं कि नेता को हटाने की बात नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव १३ और १४ तारीख को सदन की कार्यवाही चलाने के विषय में आया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(२. २५ म. प.)

राजस्थान में हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प
(पूर्व क्रम से)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं समर्थन में।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पहले संशोधन आये हैं वे होंगे।

(प्रस्तुत संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): संकल्प में प्रयुक्त शब्द 'कदम' तथा 'उठाये' के बीच शब्द 'शीघ्रातिशीघ्र' निविष्ट किये जायें।

(२) श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): संकल्प में प्रयुक्त शब्द 'अधिक' के स्थान पर 'शीघ्र' रखा जाय।

(३) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): संकल्प में प्रयुक्त शब्द 'द्वारा' व 'और' के बीच शब्द 'इस दिशा में की नई कार्यवाही का विवेचन करते हुए' निविष्ट किये जायं।

(४) श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): संकल्प के अन्त में शब्द 'तथा इसके लिये अधिक धन राशि बजट में रखी जाय।' जोड़े जाएं।]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: फिर समय का अभाव है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है इसके बारे में।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज़। आप बैठिये। मैं निवेदन कर दूं कि यहां पहले इस विषय का संशोधन आ जाये फिर उस पर बहस होगी।

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि वे अपना भाषण थोड़ा संक्षिप्त रखें।

श्री मुरलीधर व्यास: पोइन्ट ऑफ आॅर्डर सर, संशोधन बाद में आते हैं पहले संकल्प पर जनरल विचार होता है। इसलिए व्यवस्था का सवाल है आपका।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह कोई बिल थोड़े ही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था दी जा चुकी है।

(विराम)

श्री जोधसिंह चौहान।

श्री जोधसिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प रखा है उसमें मैंने संशोधन पेश किया है कि उसमें 'अधिक सक्रिय' के स्थान पर 'शीघ्र' शब्द को रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर जब कि ४४ करोड़ व्यक्ति रहते हैं जिनके ८८ करोड़ हाथ होते हैं जब तक हस्तकला उद्योग के कामों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तब तक हमारे भारतवर्ष का उत्थान होना कठिन है। मैं निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष के अन्दर एक तरफ तो काम नहीं है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी योजनायें बन रही हैं। मैं समझता हूं कि यदि हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तो सभी हाथों को काम मिलेगा। हस्तकला की

(श्री जोधसिंह चौहान)

ओर ध्यान जायेगा तो देश की तरक्की होगी। आज दुनियां में बड़े बड़े देशों को देख लो, जापान का उदाहरण ले लो वहां पर हस्त-कला को प्रोत्साहन दिया गया तो आज वह इतना बड़ा देश हो गया। यही कारण है कि हमारे देश के अन्दर जब कि हस्तकला को प्रोत्साहन नहीं मिलता हमारे देश में लोगों को काम नहीं मिलता और यही कारण है कि हमारे यहां पर बेकारी बढ़ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि हस्तकला को प्रोत्साहन दिया जायेगा तो लोगों को काम मिलेगा और बेकारी दूर होगी। इससे देश की उन्नति होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां उदयपुर के अन्दर बहुत हस्तकला उद्योग हैं। हमारे विदेशी मुद्रा के लिए वास्तव में देखा जाये तो, उदयपुर और गिरवा क्षेत्र में ऐसे कई हस्तकला उद्योग हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाये-वहां पर कई टूरिस्ट्स लोग आते हैं और हाथ की बनी हुई चीजों को खरीदते हैं और मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि उदयपुर में लकड़ी का काम बहुत है और वह इतना बढ़िया होता है कि सभी लोग जो भी वहां जाता है जरूर खरीदता है। उसकी दाखें बन जाती हैं, काजू बन जाते हैं, इलायची बन जाती हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे सारे के सारे उदयपुर नगर में बनते हैं, लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसी तरह से हमारे उदयपुर में छपाई का काम होता है, बुनाई का काम होता है उसको भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उदयपुर में जो स्वर्णकार हैं वे कुन्दन का काम करते हैं और सोने का काम भी बहुत होता है। जो वहां से बाहर भी जाता है, उसमें खास तौर से प्योर सोने से काम होता है लेकिन सरकार से मैंने पहले भी इसके बारे में निवेदन किया था कि जब से हमारे यहां पर स्वर्ण नियंत्रण कानून लागू हुआ है उदयपुर के लोग बेकार हो गए हैं।

उदयपुर एक गरीब शहर है और पिछड़ा हुआ है वहां पर सारे ही स्वर्णकार बेरोजगार हो गए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां के स्वर्णकारों के लिए कुन्दन का काम करने के लिए कोई निर्धारित करें ताकि सोने के वरक बना कर वह सप्लाई कर सकें और कुन्दन का काम बना कर बाहर भेज सकें। यही नहीं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उदयपुर नगर के पास गिरवा क्षेत्र है वहां पर बांस बहुत पैदा होते हैं लेकिन उसका वहां पर कोई उद्योग खोला जाये जैसे टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना और उसको गला कर कागज भी बनाना आदि तो इससे लोगों की वहां आमदनी बढ़ सकती है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हमारे यहां पर जो गरीब आदमी हैं, वनवासी हैं उनको काम मिल सकता है। मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर खास तरह के मटके होते हैं मिट्टी के वह उदयपुर में बहुत ही सुन्दर बनते हैं, बहुत पतले बनते हैं और उनके ऊपर हाथ से बड़ी कारीगरी की जाती है। उसको प्रोत्साहन दें तो इससे भी वहां के लोगों को काफी मदद मिल सकती है। मैं उदाहरण पेश करूंगा, गिरवा क्षेत्र में बड़गांव क्षेत्र है उसका एक गांव बेगला वहां पर पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके मिट्टी लेने की

(श्री जोधसिंह चौहान)

इजाजत लोगों को दी। लेकिन पंचायत समिति ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उनकी जमीन पंचायत ने छीन ली है और वहां से मिट्टी नहीं लेने दी। इस प्रकार से हमारे पंच और सरपंच बाधा पहुंचाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं इनमें इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि यदि लोग चाहें तो बैंकों में अपना सामान रख दें और उनको वहां से रकम मिल जाये। जिससे जो गरीब लोग हैं अगर उसको कुछ रकम मिलती है तो उसको गिरवी रख कर वह कुछ रकम ले सके और अपना काम चला सकें। आज बड़े बड़े सेठ जो व्यापार करते हैं वह बैंकों में जाकर अपनी बिल्टी रख कर रकम ले आते हैं लेकिन गरीब व्यक्तियों को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए। जो वहां पर सुनार का काम करने वाले थे उनको छोड़िया कहते थे वह अपने हाथ से बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसी तरह से नाइयों को नापक कहते थे। आज हमारे यहां हस्तकला का प्रस्ताव पास होने जा रहा है उसको प्रोत्साहन देने का सवाल है जिस प्रकार से हमारे मिनिस्टर्स यहां पर बैठे हुए नहीं हैं वह भी हस्तकला को नीची निगाह से देखना चाहते हैं या प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं इसी लिहाज से वहां सदन में वे बैठे हुए नहीं हैं। अच्छा यह होता कि जिस प्रकार भी हो उनको प्रोत्साहन देते और उनको प्रोत्साहन देना है तो उनको प्यार भी करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए और मैं यही निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन भी करता हूं लेकिन इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि या सारे का सारा स्ट्रिक्ट होना, क्योंकि सरकार सोती रहती है। बड़े बड़े कानून बना रखे हैं लेकिन करना-धरना कुछ नहीं है। साथ में इसमें शीघ्रता बरती जाय तो देश को लाभ होगा और कई करोड़ आदमियों को काम मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देश की तरक्की होगी और देश की तरक्की होगी तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की आजादी कायम रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैंने इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन यह है कि इस सम्बन्ध में आज तक किये गये कार्यों का विवेचन करके सरकार राज्य की हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाये हस्तकला के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि हस्तकला...

श्री उपाध्यक्ष : समय का अवश्य ध्यान रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उद्योग से कितना फोरेन एक्सचेन्ज हमारे राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को प्राप्त होता है, लेकिन यह आंकड़े अवश्य उपलब्ध हैं कि सन् ५४ में ५ लाख के करीब फारेन एक्सचेन्ज टूरिज्म से हमको प्राप्त होता था और आज ६२-६३ में ४३ लाख के करीब फारेन एक्सचेन्ज हमको प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि टूरिज्म से प्राप्त होने वाले इस फारेन एक्सचेन्ज में इस हस्तकला उद्योग का भी बहुत बड़ा हाथ है।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, उद्योग): मेजर पोर्शन में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: बल्कि मैं समझता हूं मेजर पोर्शन यही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कितने लोग इन विभिन्न हस्तकलाओं में राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज भी युग-युगान्तर से चले आ रहे हैं। बल्कि राजस्थान में तो कई ऐसे शहर मौजूद है कि जिनमें हस्तकला हमारी संस्कृति का और एक युग का प्रतीक होकर रह गई है। करीब ६ लाख लोग इन हस्तकलाओं के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं और इन धन्धों के अन्दर लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े सरकारी कागजों में मिलते हैं उनमें कुल मिलाकर यही आंकड़े उपलब्ध होते हैं बल्कि विभिन्न हस्तकलाएं, जैसे रंगाई-छपाई को ले लीजिये उसमें सबसे ज्यादा लोग इन्ट्रेस्टेड हैं और सरकार के दिये हुए आंकड़ों के अनुसार २० हजार के करीब इस छपाई के धन्धे को करते हैं। मैं सरकार के आंकड़ों को लेता हूं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी कोई नहीं है। सरकारी लेखों से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वही कोट कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त मूर्ति-कला में राजस्थान के अन्दर १००० के करीब परिवार इस धंधे में हैं। जूतियों के कार्य के सम्बन्ध में करीब १५०० लोग कार्य करते हैं। राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक पुरानी हस्तकला ऊनी दरियों के सम्बन्ध में मानी गई है। कोई सन् १८४० के अन्दर कराची से एक व्यापारी ने आकर जयपुर के अन्दर ऊनी गलीचों के कारखाने लगाये थे और उसके बाद सारे राजस्थान में ऊनी गलीचों के चार कारखाने चले। राजस्थान के ऊनी गलीचों की अपनी विशेषता है। उनमें फूल और पशु जिस प्रकार से अंकित किये जाते हैं वे भारत वर्ष में कहीं नहीं किये जाते हैं। और राजस्थान को यह भी गौरव प्राप्त है कि समस्त भारत वर्ष के ४० पर्सेन्ट ऊनी गलीचे केवल राजस्थान के अन्दर बनते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा इस दिशा में जो कदम उठाये गये हैं मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि एम्पोरियम्स हैं जिनके द्वारा राजस्थान की इन कलाओं का प्रसार किया गया है। इससे पहले कि मैं उन एम्पोरियम्स के सम्बन्ध में कुछ कहूं मैं हस्तकला के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं सरकार का ध्यान स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स जो महाराजा रामसिंहजी के जमाने से चला आ रहा है, बल्कि सारे राजस्थान में ही नहीं सारे भारत वर्ष में ललित कलाओं और हस्तकलाओं का जो सबसे पहला शिक्षण केन्द्र था, बल्कि एक समय ऐसा था कि सारे भारत वर्ष के अन्दर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

केवल दो संस्थायें थीं, एक कलकत्ता के अन्दर और एक जयपुर के अन्दर जो कि स्कूल आॅफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स के नाम से एक स्कूल था और भारतवर्ष के प्रमुख कलाकारों को शिक्षण प्रदान करने का इस स्कूल को गौरव प्राप्त है। विजयवर्गीय और घोष जैसे कलाकार इन्हीं संस्थाओं से निकले हुए हैं बल्कि शान्ति निकेतन के कुछ कलाकार भी इस संस्था से निकले हुए हैं। २०० वर्ष पुरानी यह संस्था है जिसमें हाथी दांत का काम, चन्दन का काम, पीतल का काम, रंगाई-छपाई का काम, मोठड़े, बन्देज का कार्य, आदि विभिन्न ललित कलाओं का शिक्षण राजस्थान में ही नहीं बल्कि एशिया में अपने रूप से चलाया है। आज जितनी दुर्लक्ष्यपूर्ण हालत इस संस्था की है कि आज उसको अपनी बिल्डिंग से हटा कर जो कि महाराजा रामसिंहजी के समय की निर्मित बिल्डिंग है एक पुरानी बिल्डिंग में कर दिया। अब उस बिल्डिंग के सम्बन्ध में भी कठिनाई पैदा हो गई है। आॅडिट आॅब्जेक्शन से प्रतीत होती है कि १९५८ से इसको एड-हाॅक बेसिस पर ३६०००) रु० बिल्डिंग के किराये के दे दिये गये और ४० हजार रुपये उसमें रिपेयरिंग चार्जेज के लगा दिये हैं, और जो उस बिल्डिंग का मालिक बना बैठा था वह नहीं निकला और दूसरा क्लेमेंट बिल्डिंग का खड़ा हो गया और बहुत जल्दी ही उस स्कूल आॅफ आर्ट्स को युनिवर्सिटी से मान्यता मिले उससे पहले ही उसका उस बिल्डिंग से इजेक्शन हो रहा है और वाकायदा नोटिस इजेक्शन का राजस्थान सरकार को आ गया है। राजस्थान सरकार का उस पर ४० हजार रुपया इन्वेस्ट हो चुका है रिपेयर्स वगैरह पर उनको छोड़ कर लीगल पोजीशन यह है कि यह स्कूल आॅफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स की बिल्डिंग इजेक्ट होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के अन्दर हस्तकलाओं का पोटेन्शल भारतवर्ष के किसी भी स्थान से अधिक है। हमारे भारत वर्ष के एक महान् कलाकार श्री मुल्कराज आनन्द ने भी इस बात को माना है कि आज जितने भी म्यूजियम में हस्तकला के नमूने पड़े हुए हैं और दुनियां के दूसरे म्यूजियम में पड़े हुए हैं उन्होंने भारतवर्ष के लिए ख्याति-प्राप्त की है।

मूर्तिकला में, मैं समझता हूं कि सारे भारतवर्ष में जयपुर अपना एक विशिष्ठ स्थान रखता है। इस सम्बन्ध में मकराना और थाना गाजी की एक विशेष स्थिति हो गई है, भारतवर्ष के अन्दर। खजाने वालों के रास्ते में २०० से ४०० वर्ष पुराने मूर्ति के शिल्पकारों के परिवार आपको मिलेंगे जिनकी अपनी एक विशेष टेक्निक है। भारतवर्ष के कोई भी मन्दिर के अन्दर चले जाइये आपको थानागाजी और जयपुर की बनी हुई देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, बल्कि वृन्दावन की जो मूर्तियां हैं वे एक समय महाराजा जयसिंहजी के समय में वृन्दावन की धाम की मूर्तियों का गौरव जयपुर के मूर्तिकारों को था, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं।

एम्पोरियम्स में से बहुत से एम्पोरियम्स तो लघु उद्योग निगम के सुपुर्द किये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाने के बाद ६२ में बन्द कर दिये गये और जयपुर एम्पोरियम को लघु उद्योग निगम ने २५०००) रु० देकर उसका पुनरोत्थान किया है। बाकी ये एम्पोरियम बिल्कुल घाटे की स्थिति के अन्दर चल रहे थे। जो जोधपुर, नाथद्वारा, कोटा और बीकानेर में थे वे क्लोज़ कर दिये गये। केवल नई दिल्ली और जयपुर के एम्पोरियम्स को पैसा देकर बनाया है। मैं समझता हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा लघु उद्योग निगम को जिनके प्रयत्नों से जयपुर एम्पोरियम का उद्धार हुआ है। उसमें ललित कलाओं के नमूने पहले से अधिक प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही ज़ा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऊनी गलीचों के सम्बन्ध में राजस्थान विशेष स्थान रखता है। ऊनी गलीचे वालों को किसी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। सरकार इस बात का सर्वे करायेगी तो पता चलेगा कि मूर्ति बनाने वालों की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है और सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन देने के लिये कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त छपाई और लाख की चूड़ियां, कांच के नगीने वगैरह से जड़ी हुई जिसके लिये राजस्थान का इतिहास बताता है कि लाख की चूड़ियां मुगल समय से सारे भारतवर्ष में जाती थीं, सुहाग चिन्ह के रूप में इनका विशिष्ट स्थान था। राजस्थान के गांव गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर मौजूद थे। आज भी यह फोरिन ट्रेड के जरिये फोरिन एक्सचेन्ज उपलब्ध करने का साधन हो सकती हैं लेकिन सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है। यदि सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न करे तो हमारा वर्ल्ड फेयर न्यूयार्क शहर में लगा था उसमें भी विशेष स्थान लाख की चूड़ियों को प्राप्त हुआ था और सबसे अधिक सेल लाख की चूडियों का हुआ था। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये था कि सारे विश्व में इन चीजों का प्रसार कैसे कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जूतियें जोधपुर और जयपुर में विशेष तौर से बनती हैं। काफी नाजुक होती हैं, तलवा मुलायम होता है और ऊपर कढ़ाई का काम होता है यह तो जोधपुरवालों की खासियत है कि इतनी कोमल जूतियों का निर्माण किया क्योंकि घरवालियों से डरते थे, होम मिनिस्टरी से डरते थे। लेकिन इससे काफी प्राप्ति हो सकती है। सरकार बन्दोबस्त करे तो इन जूतियों का भी देश में विशिष्ट स्थान हो सकता है।

इसके अलावा बंदेज का मोठड़ा और दूसरी चीजें लहरिया वगैरह हैं वे अपना विशिष्ट स्थान सारे भारतवर्ष में रखती हैं और बहुत मांग है। जिस प्रकार मदुरा की छपाई का अपना स्कूल है, कांजीवरम की साड़ियां प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार जोधपुर, जयपुर और सांगानेर की छपाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है इस सम्बन्ध में आंकड़ों से सिद्ध करें तो कांजीवरम की साड़ियां, त्रिपुरा की छपाई का विशिष्ट स्थान सारे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विश्व में हो चुका है, अमेरिका में ये पोपुलर हो चुकी हैं उसी तरह से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि हमारी सरकार द्वारा प्रयत्न किया जाता तो यहां की छपाई भी पीछे नहीं रह सकती ।

इसके अतिरिक्त जिंक की झारियां, बादले जो हैं वे राजस्थान में अपने ही किस्म के थरमस फ्लास्क हैं । उनमें पानी थर्मस फ्लास्क से भी अधिक ठंडा नेचुरल रूप में रहता है, वह भी गौरव की बात हो सकती है और इनके जरिये फोरिन एक्सचेन्ज का प्रसार किया जा सकता है । राजस्थानी लोग जब यात्रा करते हैं, विशेष तौर से जोधपुर के लोग जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ झारी लाल कपड़े के आवरण-वाली होती है उसमें से एक गिलास पानी पीने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको खरीदने के लिये लालायित नहीं हो । सारे भारतवर्ष में इसका प्रचार किया जाय तो ये बादले, इन झारियों का काफी प्रसार हो सकता है

श्री चन्दनमल वैद : हो सकता ही नहीं, बल्कि 'है' कहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो आप बताइये कितना सेल है ।

श्री मथुरादास माथुर : २२,००४२५) रुपये (२२ लाख चार सो पच्चीस रुपये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जवाहरात के सम्बन्ध में कहूंगा । आज बम्बई में विशेष रूप से जौहरी बाजार के अन्दर राजस्थान के रहने वाले लोगों का एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है । और जवाहरात के कटिंग के सम्बन्ध में, घिसाई के सम्बन्ध में, सारे भारतवर्ष में राजस्थान का और विशेष कर जयपुर के अन्दर जवाहरात की कटाई अपने ही प्रकार से होती है उसका महत्वपूर्ण स्थान है । सारे विश्व में कथाएं और कहानियें कटिंग की मौजूद हैं । कहते हैं कि विश्व के बड़े बड़े कीमती मशहूर नगीने इस जयपुर के बाजार में कटिंग के लिये आये हैं और विशेष रूप से उनकी स्पेशल कटाई यहां पर की गई है । मै निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस दिशा में काम करने वाले लोगों का सर्वे करवा कर देख लीजिये जयपुर के स्लम एरिया में रहते हैं, उनका शोषण होता है । जयपुर के जौहरी बाजार में उनको १) या १॥) मिनिमम वेज से भी कम तनख्वाह में उनको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है । लाखों और करोड़ों रुपयों के जवाहरातों का कटिंग ये लोग करते हैं लेकिन उनकी अपनी स्थिति बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण है, बड़ी गम्भीर है । उनसे बहुत कम पैसों में कटाई करवाई जाती है । यदि उनकी कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उनके उद्धार का काम उठाये तो इस महत्वपूर्ण उद्योग को सरकार डेवलप कर सकती है और काफी फोरिन एक्सचेन्ज सरकार उपलब्ध कर सकती है और सारे विश्व में कटाई का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि जो कारीगरों की क्लास धीरे धीरे माल न्युटरिशन के कारण लुप्त होती चली जा रही है सरकार उनके उद्धार की कोई योजना बनावे और उनके द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करावे ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि आज समय के अभाव में सारे पोइन्ट्स को मैं प्रेस-आउट नहीं कर सकता लेकिन इस बात को कहूंगा कि राजस्थान की सारी हस्तकलाओं का विवेचन पूर्णरूप से नहीं किया जा सका, सरकार एक कमेटी का निर्माण करके हस्तकला का विवेचन करवा कर देखे कि आज क्या कार्य किया गया है और आगे क्या कार्य किया जा सकता है, वह गम्भीरता से सोचे तो राजस्थान भारत में फोरिन एक्सचेन्ज को डेवलाप करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और इसके अतिरिक्त संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, हस्तकला के लिए जो संकल्प है वह सही माने में बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है। आज हम अपने देश की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं और इस तरह के बहुत से साधनों के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि देश के विकास का एकमात्र साधन यदि कोई है तो वह साधन या तो हमारी हस्तकला और गृह उद्योग है। उसको यदि प्रोत्साहन नहीं मिला तो चाहे हम देश में बड़ी से बड़ी इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे दें और उनके जरिये कई लोगों को काम दे सकते हैं लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकार जब तक इन छोटी हस्तकलाओं के लिए हर ग्राम और हर जगह जो भी साधन सरकार उपलब्ध कर सकती है उनको जब इनके पास पहुंचायेगी तो सही माने में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और बेकारी की समस्या का समाधान होगा। गरीब देश में यदि हमने बड़ी इन्डस्ट्री में बहुत पैसा लगा दिया और हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया तो देश बहुत पीछे रह जायगा। जहां तक दूसरे देश इंग्लेंड, अमेरिका, जर्मनी ने बहुत बड़ी पूंजी लगाई है लेकिन हमारे देश में पूंजी का अभाव है इसलिए यदि हमने हस्तकला को किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं दिया तो हम हमारा दूसरा डेवलपमेंट भी किसी प्रकार से नहीं कर सकेंगे। खास करके उद्योग मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज....

एक माननीय सदस्य: सदन में कोरम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: कोरम नहीं है तो घंटी बजा दीजिये, कोरम के अभाव में सारी कार्यवाही अवैधानिक हो जायगी, मैं अवैधानिक रूप से बोलना पसन्द नहीं करता।

(गणपूरक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल: (बैठे बैठे) हस्तकला मंत्री कौन हैं आप में से?

श्री मथुरादास माथुर: (बैठे बैठे) जो जवाब देगा वही।

श्री चन्दनमल बैंद (उप-मंत्री, उद्योग): आपको हस्तकला की बात बताऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं खास कर सरकार का ध्यान

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिए खींचना चाहता हूं कि आज सरकार जो हमारे छोटे उद्योग हैं, हस्तकला है, उनको जो साधन देने चाहिये वे उनको नहीं मिलते। आज रंगाई के बारे में बताया कि १० हजार लोग रंगाई का काम करने वाले राजस्थान में हैं। जहां पक्के रंगों का सवाल है जो कि इम्पोर्ट होकर आते हैं, वहां हमारे यहां पर वैसे रंग नहीं है, उनको ठीक तरह से रंग नहीं मिल पाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी चीजों के मामलों के अन्दर कि जो भी छोटे उद्योगों में रॉ-मेटिरियल मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। आज बीकानेर में तपेली का उद्योग है, पीतल के बरतनों का उद्योग है और दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं उनका सवाल है तो उनके लिए उनको रॉ-मेटिरियल नहीं मिलता है। लेकिन जो रॉ-मेटिरियल मिलता है वह आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं। इस सदन में रॉ-मेटिरियल के बारे में बार बार जिक्र करते हैं कि जो रॉ-मेटिरियल दिया जाता है वह बाहर ही कुछ लोगों को ब्लेक में बेच देते हैं और सही मायने में जिन लोगों को रॉ-मेटिरियल मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता है। इस सिलसिले में गये साल एक सवाल सदन के अन्दर आया था। वह इस बारे में सवाल था, रॉ-मेटिरियल के बारे में सवाल किया गया था कि १९६१ तक जो रॉ-मेटिरियल दिया गया, जो पीतल का कोटा दिया गया, स्टील का कोटा दिया गया, जिंक का कोटा दिया गया, ताम्बे का कोटा दिया गया, वह कोटा कुछ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स लोगों को दे दिया गया और उनके द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और वह कोटा उनके द्वारा बिक चुका है। नतीजा यह हुआ कि जो छोटे छोटे लोग बरतन बनाने वाले हैं, दूसरी चीजें बनाने वाले हैं, लोहे की बाल्टी बनाने वाले हैं, सिगड़ी बनाने वाले हैं, उनको कोटा नहीं दे पाते हैं। कोटा बड़े बड़े लोग ही हजम कर जाते हैं और उसका ब्लेक हो जाता है। गये साल इस सम्बन्ध में एक सवाल उठा था कि यह कोटा १९६१ के आस-पास दिया गया वह किन किन लोगों को दिया गया, उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखी जाय। यह प्रश्न इस सदन में बार बार रखा गया है लेकिन इस प्रश्न के जवाब को सरकार दबाने की कोशिश करती है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने पता लगाया है जिन लोगों को कोटा दिया गया उन लोगों ने वह कोटा ब्लेक में बेचा। जब केन्द्रीय मंत्री महोदय यहां पर एक समय पर आये थे, शाह....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मनुभाई शाह!

श्री मुरलीधर व्यास: मनुभाई शाह! उनके सामने लोगों ने शिकायत की; यह कोटा जो राजस्थान के लिए मिला था, वह जिन लोगों को मिलना चाहिये उन लोगों को मिलता नहीं है और यह कोटा ब्लेक में बिक जाता है और सही आदमियों को वह कोटा नहीं मिलता है। उस समय मनुभाई शाह ने इसकी जांच करने के लिए इन्डस्ट्री मिनिस्टर से कहा। जिस समय यह बात आई तो धारीवालजी ने उस समय क्या किया। धारीवाल ने यह कहा कि इसकी जांच होनी चाहिये कि कोटा किन किन

(श्री मुरलीधर व्यास)

के पास में है और इसका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। तो केन्द्रीय मंत्री के आदेश के मुताबिक उसके बाद में धारीवाल ने इसको पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को जब यह सौंप दिया गया और पुलिस के पास इस प्रकार के मसले गये तो उसने क्या किया कि सबकी इस प्रकार की सूचना थी उन बड़े बड़े लोगों के पास उसने पहूंचना शुरू किया, बम्बई गये, कलकत्ता गये और जिनको भी कोटा दिया था उनके पास गये और छानबीन करके उसकी रिपोर्ट दी। तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोग, इन्डस्ट्रीज के लोग, मुख्य मंत्री के पास पहुंचे या किसी के पास पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार इन्क्वायरी चल रही थी कोटा के दुरुपयोग के सिलसिले में, जिस इन्क्वायरी के लिए किसी प्रकार से ऑडर दिया था धारीवाल ने और पुलिस और सी. आई. डी. के द्वारा जांच हुई थी उसको सरकार ने रुकवाया...

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हस्तकला पर बहस हो रही है या कोटा की बात को कह रहे हैं और चर्चा चलाई जा रही है? उसके लिए मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त विषय नहीं है जिसके ऊपर यहां उठ कर कुछ कह सकते हों।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बिल्कुल हस्तकला के सम्बन्ध में कह रहा हूं। जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं उनको रॉ-मेटिरियल नहीं मिल रहा है। वह बराबर नहीं मिलता है तो जो हजारों लोगों को काम मिल सकता है वह भी नहीं मिलता है। यह इससे सम्बन्धित सवाल है। मैं कह रहा हूं उसके लिए आप यह कहें कि इस प्रकार की बात नहीं हुई है या जो पुलिस ने जांच की थी उसको सरकार ने नहीं रुकवाया है। अगर नहीं रुकवाया है तो आप कह दीजिये कि नहीं हुआ ऐसा। तो जहां ऐसी चीज हो कि लोगों ने कोटा ब्लेक में बेच दिया हो और जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्री कहें और उसके बाद में केस पुलिस को सौंप दिया जाय और उसके बाद में वह समाप्त कर दिया जाय। यह अच्छी सरकार का नमूना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कोटा के मामले में क्या हुआ? बहुत से कांग्रेस के लोग और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के आदमी-यह दोनों मिल कर इस मामले में साजिश करते हैं जिससे कोटा ब्लेक में चला जाता है और कोटा ब्लेक में बेचा जाता है। यह आपके ऊपर मेरा इल्जाम है।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं, इल्जाम हो या नहीं हो। आप कह रहे हैं वह इल्जाम है नहीं। आप जो कह रहे हैं उसमें इल्जाम का सवाल नहीं है। लेकिन इस तरह स्विपिंग रिमार्क कर दें कि कांग्रेस वाले मिल कर सब कुछ करते हैं, मैं समझता हूं, यह एक्सपंज होना चाहिए। या तो आप करेक्ट चीज लायें जिसके ऊपर सरकार कुछ विचार कर सके, आपको उत्तर पेश कर सके। लेकिन इस प्रकार स्विपिंग रिमार्क कर दें तो मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा

(श्री मुरलीधर व्यास)

फर्माया, मैं खुद नहीं चाहता कि इस प्रकार की बात करूं। आपने यह बात रखी है तो मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं ताकि आपको मालूम हो जाय कि किस प्रकार कोटा के अन्दर कुछ लोग मिलकर गड़बड़ी करते हैं। कांग्रेस के लोग और इन्डस्ट्रीज–यह दोनों किस प्रकार से मिल कर साजिश करते हैं, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एक पत्र के द्वारा, आप उसकी जांच करवा लीजिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि ऐसी बातों को रखिये तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जांच कीजिये। मैं पत्र टेबल ऑफ दि हाउस पर रखूंगा, और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जांच करने के बाद जाहिर हो जायगा कि वाकई कुछ लोगों ने इस प्रकार कोटा ले लिया है, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और कांग्रेस के लोगों ने मिल कर कोटा इस प्रकार लेकर मिसयूज़ किया है और इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। आप इसकी जांच करियेगा। तो मैं समझता हूं कि इनसे बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री उद्योग): आप जो पत्र टेबल पर रखते हैं वे झूठे निकल जाते हैं, इसका ख्याल रखिये।

श्री मुरलीधर व्यास: मैंने जो रखा है. मैं मुख्य मंत्रीजी को चेलेंज के साथ कहता हूं कि इस बात को आप स्वीकार करें। मैं जो रखता हूं उसको आप जाने दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): आपको हस्तकला में भी भ्रष्टाचार नजर आता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): हस्तकला में भी भ्रष्टाचार पहुंच गया है!

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो तथ्य रखना चाहें वह थोड़ा संक्षेप में और समय का ध्यान रखते हुए रखें क्योंकि हमारे नियमों के अनुसार भी पन्द्रह मिनिट बोलने का अवकाश रहता है। उस दृष्टि से अब क्योंकि काफी समय हो रहा है इसलिए थोड़ा संक्षेप में रखें और केवल संकेत कर दें। ज्यादा उसमें उलझें नहीं, नहीं तो मूल की बात रह जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास: एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर देश के अन्दर इस प्रकार भ्रष्टाचार हो तो सरकार का ध्यान खींचना हमारा काम है और इसमें जांच करना इनका काम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक पत्र है, यह कलकत्ते से आया है और ज्वालाप्रसाद मूलचन्द, जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट, कलकत्ता-७ से ३०-४-६१ को पत्र लिखा है। इसमें है :

'कारद तुम्हारा आया। समाचार जाने। तुम्हां तारीख २०-४ जयपुर पूगां। पारसल पेली पूगया। शीसरामजी तुम्हारे पूगा पेली परजेन्ट कर दिया लिखा सो जाना। जिनमा ऊपर आपने नावमे स्लीप बगेरे लगा दिया होगा। हमारो अठा से कुछ

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगाव छे नहीं। गोरधनदास जी के जिनसा पसन्द आ गई होगा। फिर उनसे बात हुई होगा लिखना और कोयला वाला काम कोई बात हुआ लिखना। हमा आपने दोनों फेक्टरीयां का एपूवल लाइसेन्स मिल गया होगा जल्दी कराना छे। लाइसेंस मिलने बाद जमीन पॉवर तथा मशीनरी इम्पोर्ट लाइसेंस वास्ते एप्लीकेशन करना छे, सो जानना और तुम्हें आने का लिखा सो जाना। काम हो जावे जना तो पहले जेठ वदी से विदा होकर आ जाना नहीं तो फेर एक महीना और रुकना पड़ेगा !"

श्री फूलचन्द जैन : है क्या इसमें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप सुनिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक नाम आया है शीशराम जी का और जो २०-४ का पत्र है इसमें लिखा है–जो पारसल भेजी उसको प्रेजेन्ट कर दी होगी। और एक नाम है गोरधनदास....

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : यह चिट्ठी अटेस्टेड तो है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ओरीजिनल है।

श्री चन्दनमल वैद : किसने किसको लिखी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : किसको लिखी है ?

श्री चन्दनमल वैद : किसको लिखी है और किसने लिखी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ज्वालाप्रसाद मूलचन्द ने लिखी है।

श्री चन्दनमल वैद : कौन है यह मूलचन्द।

श्री मुरलीधर व्यास : जिसको लिखी है वह नाम मैं प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपना एक आदमी यहां पर छोड़ रखा है और यह......

श्री हरिश्चन्द्र : यह लेटर किसको एड्रेस्ड है, यह आप बतावें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह लेटर गौरीशंकर गुप्त केअर ऑफ शीशराम, एम. एल. ए. गवर्नमेंट होस्टल, रूम नं० १०, जयपुर। यह एड्रेस है और यह चिट्ठी है।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसी प्राइवेट आदमी की चिट्ठी यहां पर रखी है जिसका कोई संबंध नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को इस प्रकार की बातें कहने का मीनीया होगया है और हर वक्त इस प्रकार की बातें कहते.........

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहुत एतराज करता हूं। आप यह कहते हैं कि मीनिया हो गया है। मैं यह कहता हूं कि आपको भ्रष्टाचार को छिपाने का मीनिया हो गया है।

(शोरगुल)

श्री चन्दनमल वैद : आप भ्रष्टाचारी हैं। आपको इस प्रकार से कहने का मीनिया हो गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको भ्रष्टाचार को छिपाने का मीनिया हो गया हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! आप......

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि मीनिया हो गया है ! हर वक्त आप इस प्रकार मीनिये की बातें करते हैं और आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को......

(शोरगुल)

आप सुनना नहीं चाहते। आपको सुनना होगा। बार बार यह कहा जाता है कि मीनिया हो गया, मीनिया हो गया !

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री फूलचन्द जैन : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ....

(शोरगुल)

मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

(शोरगुल)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां पर कौन से पोइन्ट के रेफरेन्स में यह कह रहे हैं और रख रहे हैं। दूसरी बात माननीय सदस्य चुनौती देते हैं, यह हस्तकला का संकल्प है आप इस पर क्यों कहते हैं। आप हस्तकला पर कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं। मंत्री महोदय ने आदेश दिया कि प्रमाण पेश करो और पेश करता हूं तो आप इस पर भी गरम होते हैं। मैं कहूंगा कि यह चीज चल नहीं सकती।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

जो चिट्ठी आपके पास है वह सदन की मेज पर रख दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसको एक्सप्लेन तो करने दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। कोई आदमी चिट्ठी किसी एम. एल. ए. को लिख दे और वह चिट्ठी बीच में ही इन्टरसेप्ट हो जावे और उस पर हम मान लें कि भ्रष्टाचार हो गया, तो यह तो कतई उचित नहीं होगा।

(बीच में एक माननीय सदस्य के बोलने पर)

आप गौर से पहले सुन लें। कोई आदमी यह चिट्ठी लिखे और वह चिट्ठी

(श्री हरिश्चन्द्र)

अन-ऑथोराइज्ड तरीके से कोई उठा ले और फिर आकर कहे कि यह भ्रष्टाचार हो रहा रहा है, क्या यह वाजिब चीज है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य से कहा गया कि भ्रष्टाचार के संबंध में सबूत पेश करें । मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम उनको उनकी बात पूरी कहने तो दी जावे ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

आप अपनी चिट्ठी को मेज पर रख दें । इसके पश्चात् आपका समय भी बढ़ता जा रहा है । मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि आप इसको एक मिनट में या दो मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है ।

इसमें इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टर का नाम दिया गया है । यह पत्र जो भेजा गया है उसमें यह भी लिखा गया है कि एक पार्सल भेजी है । उसका नमूना मैं आपके सामने रखता हूं । पार्सल इन्श्योर्ड है । सोने की चीजें उसमें भेजी हैं ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि डिटेल्स में आप नहीं जावें । जो रिज़ोल्यूशन आपके सामने है उस विषय में आप जो बताना चाहते हैं बतावें कि इस हस्तकला उद्योग में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : लेटर तो पहले समझा दें ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह पार्सल आई है । गौरीशंकर गुप्ता केअर ऑफ शीशराम, एम. एल. ए., गवर्नमेंट होस्टल, रूम नं० १०, जयपुर । कहने का मतलब यह है कि वह एम. एल. ए. के पते से आई है । पार्सल के सिलसिले में..........

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल मेन पॉलिसी पर ही आक्षेप करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने कहा बताने के लिये, मैं बताता हूं । एक पत्र और दूसरा पत्र भी इसके समर्थन में है । इसमें यह लिखा है कि गोरधन जी को...........

श्री फूलचन्द जैन : गोरधनजी कोई भी हो सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे मालूम होता है कि इस मामले को दबाना चाहते है, मगर इस तरह से आप इसको दबा नहीं सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच करा लेना ठीक है । गोरधनजी कौन है ?

Page No 89

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी है। उसका ऑब्जेक्शन किया और वह वेलिड ऑब्जेक्शन है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि सुबूत दो; मैं आपको सुबूत पेश कर रहा हूं। माननीय सदस्य यह कहते हैं इस पत्र में यह लिखा है कि उनको प्रेजेन्ट किया गया वह उनको पसन्द आई, इस पत्र के आधार पर यह लिखा है, दूसरा पत्र यह है कि तुम देर से पहुंचे वह पार्सल शीशरामजी ने प्रेजेन्ट कर दी होगी। उन्होंने कहा कि प्रेजेन्ट कर दी। डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज को व्यापारी से मिल कर...

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें डाइरेक्टर साहब का नाम है, आप इस पत्र को रख दीजिये; मैं देख लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इसकी जांच कराएं। मैं इससे इन्कार नहीं करता....

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नियम में है कि हम सदन के किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी प्रकार के आरोप लगावें तो उससे पहले स्पीकर को इस प्रकार की सूचना देनी होती है कि मैं उन पर इस प्रकार के चार्जेज लगाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य दूसरे सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने हमारे नियमों के अनुसार यह सूचना स्पीकर महोदय को दे दी कि मैं आज यह आरोप लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको निवेदन करूंगा कि साधारणतया रिजोल्यूशन पर बहस चालू रखें। बहस हस्तकला उद्योग पर चालू हुई और इस विषय में आपको यह कहा गया था कि आप तथ्य सामने रखें तो आप रख चुके। मगर हमारे यहां पर रूल्स की धारा २७६ के अन्तर्गत यह जरूर ध्यान रखा जाना चाहिये कि यहां के किसी माननीय सदस्य के विषय में कुछ कहा जावे तो उससे पहले आसन को परिचित कर दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि जो कुछ आपने कहा है, काफी कह दिया है, अब आप अपने भाषण को शीघ्र समाप्त करें ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके और इस रिजोल्यूशन पर जो माननीय सदस्य बोलने के उत्सुक हैं उनको भी बोलने का समय मिल सके।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पत्र रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The matter has finished.

श्री मुरलीधर व्यास : वह इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर हैं उनको प्रेजेन्ट की या नहीं इसका पता लगावें।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने व्यवस्था दे दी है। आप इस चिट्ठी को रखते नहीं हैं। मैंने कहा कि आप चिट्ठी को मेज पर रख दें।

श्री फूलचन्द जैन : आप "अगर-मगर" कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने यह कहा कि हमारे यहां का रॉ-मेटिरियल कुछ लोगों को कुछ तरीकों से मिल जाता है, उससे भ्रष्टाचार होता है, जब यह बात यहां कही जाती है तो कहा जाता है कि प्रमाण रखो और जब प्रमाण रखते है तो उसको नहीं कहने देते, अगर लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार के उदाहरण इस तरह से रखना चाहें तो उन्हें रखने नहीं दिया जाता तो यह लोकतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : औचित्य का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां आकर जवाब नहीं देसकता, चाहे कैसा ही जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसके लिये...

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में संकेत दिया जा चुका है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कहा कि गोरधनसिंह जी को प्रेजेन्ट की गई, ये शब्द प्रोसीडिंग्ज़ से हटा दिये जायं । गोरधनसिंहजी कहने वाले व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा ईमानदार हैं. .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(शोर-गुल)

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री,उद्योग): सदन के माननीय सदस्य के लिये कहा गया है....

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : चोरियों को मत छिपाओ, इससे देश बदनाम होता है....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Now next.

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी आज्ञा से बड़ा खेद है उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग कहते है कि प्रमाण रखो, मैंने प्रमाण रखा, इस मामले की जांच करायें, यह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामला है इसलिये इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय, सदन की मेज पर पत्रों की प्रति रखता हूं और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र : उप-मंत्री महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रूलिंग दे दी है कि रूल २७३ का ध्यान रखा जाना चाहिये और उस ही के अनुसार सारे सदस्यों को भाषण देने चाहिये । इस समय विशेष परिस्थिति हुई, उनको तथ्य लाने पड़े; पर वह अनुचित है ।

श्री चन्दनमल वैद : एक इस सदन के माननीय सदस्य पर बिना सूचना दिये आरोप लगाया गया, जो यहां मौजूद नहीं है, उनके लिये क्या प्रोटेक्शन है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !
That is all Finished.

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में व्यवस्था दी जा चुकी है। हर एक प्रसंग को एक्सपंज किया नहीं जा सकता। इस विषय में दूसरी कार्यवाहियां उठाई जा सकती हैं, पर इस आसन से और दूसरा निर्णय नहीं दिया जा सकता। जो निर्णय दिया जाना चाहिये था वह दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, दोनों संकल्पों के लिये आधा-आधा समय दिया जायगा, इस प्रकार के समय के सम्बन्ध में व्यवस्था माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई थी...

श्री उपाध्यक्ष : पर माननीय सदस्यों की तरफ से समय की व्यवस्था नहीं रखी गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, समय बकायदा निर्धारित हो चुका है, उसके अनुसार ही यह संकल्प चलने चाहिये, पिछली २ तारीख को भी हमारा बिल रह गया, आज फिर इसे रखा जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : Please don't try to explain. समय निर्धारित हो चुका है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हममें से कोई बोला ही नहीं, निर्धारित समय के माफिक नहीं चल सके तो यह हमारा कुसूर नहीं है :

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Now don't take the functions of the Chair in your own hands.

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे तो बोलने की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : No, no.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय,...

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मुरलीधर व्यास : जांच करवा कर यहां रखो तक पता चलेगा।

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मानसिंह महार : स्थान ग्रहण कर लूंगा पर मुझे बोलने की आज्ञा दें...

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार समय की व्यवस्था की है उसे मानते हुए सदन में व्यवस्था कायम रखें।

श्री मानसिंह महार : इस प्रकार सदन की व्यवस्था करना सही नहीं है, ४० आदमियों में से एक भी नहीं बोले, इसलिये मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं चेअर की कद्र करता हूं, मैं आपकी अवहेलना नहीं करता पर हमारे साथ व्यवहार अनुचित है, आप फरमायें तो बैठ जाऊं पर आप व्यवस्था करें, दो–चार आदमी ज्यादा झगड़ा करके बोल लें, वे तो बोल लें और हम लोग आसन से श्रद्धा से बात करें उनको नहीं बोलने दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो दूसरे सब्जेक्ट पर बोलें उनको तो इजाजत दे दी। समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बढ़ाया जायगा। माननीय मंत्रीजी !

श्री मानसिंह महार : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है...

श्री उपाध्यक्ष : It is no point of order.

श्री मानसिंह महार : मैं उस पर थोड़े ही बोल रहा हूं। मैं तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तय किया गया कि दो-तीन दिन हाउस को एक्स्ट्रा चलाया जायगा इसी तरह से हाउस को आधा घंटा बढ़ा दिया जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुरलीधरजी ने कोई बात कही है गलत प्रकार की है, उस पर भी कहना है, बहुत गलत बात कही, एक निहायत ईमानदार आदमी पर आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर दिया गया यदि सदन की यह इच्छा है कि पौन घंटा समय बढ़ा दिया जाय तो मंत्रीजी का उत्तर भी होगा, प्रस्तावक महोदय का भी उत्तर होगा, इस दृष्टि से ४ बजे तक समय बढ़ाया जाता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है, सब पार्टीज के नुमायन्दों ने मिल कर तय किया जिस बिल का डे नहीं था उसको आज रखने के लिये राजी हुए। पिछली दफा भी हमारा बिल था पर एक ही बिल में सारा समय गुमा दिया और आज के दिन जो बिल नहीं था उसको सबसे पहले लेने दिया और अब भी जो समय निर्धारित किया गया अध्यक्ष महोदय द्वारा उसमें आधा समय इसके लिये और आधा समय दूसरे के लिये, दोनों का आधा-आधा समय रहेगा। अब इस तरह की नीति अपनाई जाय कि सारा समय इसे ही दे दिया जाय, यह उचित नहीं है। आपकी मेजोरिटी ज्यादा है, हम तो दो ही आदमी हैं, पिछली बार भी हमारा बिल रख दिया। अब भी चाहते हैं कि यह नहीं आये तो फिर सारे रूल्स को एक तरफ रख दीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया कि दो तारीख को सारा समय गुमाया गया, उन्हें प्रोसीडिंग्स से एक्स्पंज कराया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गोकुलप्रसादजी, ऑर्डर प्लीज !

Page No 93

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया। एक दफा तय हो जाता है, फिर परिवर्तन करने का कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मंशा हमेशा सुप्रीम है। इधर से और उधर से जब कहा गया तो समय ४ बजे तक का इसके लिये बढ़ाया गया। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि यह इस निर्धारित समय में ही समाप्त हो जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन आधा घंटा अधिक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे तक यह बढ़ाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके लिये समय निर्धारित था। अब अध्यक्ष महोदय की उस व्यवस्था को कैसे बदला जा रहा है ? जब एक दफा सारी चीज तय हो गई तो कैसे उसको बदला जा रहा है ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सदन को यह अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट से अधिक समय किसी माननीय सदस्य को नहीं मिलेगा।

श्री मानसिंह महार : पांच से सात मिनट हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी ओर से मान रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो जाती है तो दूसरी हम पर आपके द्वारा यह व्यवस्था क्यों थोपी जाती है ?

(शोरगुल)

श्री फूलचन्द जैन : यह चेयर पर आक्षेप है, इसको वापिस लें।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और अपने चेम्बर में सब की राय लेकर इसको बाकायदा एड्जस्ट किया था, फिर इसमें क्यों परिवर्तन किया जा रहा है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार मेजोरिटी के बल पर सारे रूल्स को एक तरफ रख कर परिवर्तन करते चले जावेंगे व्यवस्थाओं में तो किस प्रकार काम चलेगा ?

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कन्टेम्पट ऑफ हाउस है।

(शोरगुल)

Page No 94

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार प्रपंच रच कर कर रहे हैं...

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय...

(शोरगुल)

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अभी माननीय सदस्य ने चेयर पर सीधा आक्षेप लगाया है कि चेयर कोई व्यवस्था नहीं दे सकी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परिपाटी हाउस में नहीं होनी चाहिये और माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय का आदेश था उसकी भी अवहेलना की जा रही है, एड्वाइजरी कमेटी में और अध्यक्षजी के चेम्बर में यह तय हो गया था फिर इसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता थी ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

जो पोइन्ट माननीय श्री रामानन्दजी ने उठाया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई अध्यक्षीय व्यवस्था इस आसन से होती है तो सदन की राय के अनुसार ही होती है और जो कुछ सदन की राय बनी वही मैं व्यवस्था दे रहा हूं, अपनी ओर से तो मैं कुछ नहीं थोप रहा हूं। चार बजे तक इस पर वाद-विवाद बिल्कुल समाप्त हो जायगा। इसमें माननीय सदस्य सहयोग देंगे। उसके पश्चात् जो कुछ भी रेजोल्यूशन्स हैं उनको ले सकें इसके लिए मैं सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सहयोग प्रदान करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जो राय है वह मंजूर है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट से अधिक नहीं दूंगा।

श्री मानसिंह महार : पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा। बिल्कुल चेयर की आज्ञा का पालन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा हुआ है मेवाड़ से आयी माननीय सदस्या का इसका मैं समर्थन करता हूं। इस प्रकार के प्रस्ताव जरूर सदन में आने चाहिये क्योंकि राजस्थान में हस्तकला को जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिये। राजस्थान में जिस प्रकार की हस्तकलायें हैं उनको हम खत्म कर देते हैं तो यह बहुत गलत चीज होगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी हस्तकलायें

Page No 95

(श्री मानसिंह महार)

हैं उनको रॉ-मेटिरियल नहीं मिलता है; उनको मिलना चाहिये। एक नमूना आपको देता हूं कि आपके यहां पीतल की शीट्स आती हैं। पीतल की शीट्स को आप बड़ी बड़ी फेक्टरियों को दे देते हैं और जो छोटे छोटे ठठेरे लोग होते हैं उनको नहीं देते हैं। उनको स्थिति को आप बहुत बिगाड़ते हैं। क्या होता है कि बड़ी बड़ी फेक्टरियों को हजारों रुपया का रॉ-मेटिरियल दे देते हैं उनसे वे प्रोडक्शन करती है वह सस्ता होता है। बेचारे छोटे छोटे ठठेरे होते हैं वे फायदा नहीं उठा सकते। मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार का रॉ-मेटिरियल होता है वह छोटे छोटे शिल्पकारों को दिया जाय न कि बड़ी बड़ी फेक्टरीज़ को।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि इस सदन में एक पत्र को लेकर बड़ा गरमागरम वातावरण बना। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कागज में लिखा हुआ जो नाम है वह 'गोर्धनदासजी' है। फोटो स्टेट कॉपी भी देखी। इसमें लिखा है गोर्धनदासजी।

(शोरगुल)

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सदस्य जो बीकानेर से आते हैं उन्होंने 'गोर्धनजी' पढ़ कर सुनाया यह सदन के साथ धोखा है।

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैंने गोरधनजी से बात कर ली है। आप पहले जांच तो करें। पहले भी आपने रामरतनजी लिखा था, यह बताया और इन्क्वायरी नहीं करनी चाही और फिर की।

(शोरगुल)

श्री चन्दनमल वैद : प्रोसिडिंग्ज में लिखा हुआ है 'गोर्धनजी' ? जो शब्द आपने कहे। यहां पर है गोरधनदासजी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सदन में गलत पढ़ कर सुनाया और सदन को धोखे में रखा।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज तो इसमें यह है। दूसरी चीज श्री शीशरामजी एम० .एल० ए० का नाम लिया। ऐसी वैसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा एक पार्सल पर शीशराम, एम० एल० ए० लिखा हुआ है। पार्सल कहां की थी ? मेम्बर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर गरमागरम वातावरण एक मेम्बर पर आरोप है, यह कह कर बना तो वह कोई आरोप नहीं है। इस प्रकार का आरोप भी नहीं हो सकता। एक पार्सल है उस पर किसी ने लिख दिया तो क्या। लेकिन फिर भी एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ आरोप लगाया गया है और सदन की मेज पर फोटो और चिट्ठी रखना चाहते हैं तो मंत्री महोदय को उस पर जांच अवश्य करा लेनी चाहिये। इसमें लिखा है कि कोयले का लाइसेन्स मिल गया होगा, फेक्टरी मिल गयी होगी। मैं

(श्री मानसिंह महार)

इसको गलत मान कर चलता हूं कि यह बिल्कुल निराधार चीज़ है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसी बात लिखी है कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिये, क्योंकि किसी ईमानदार आदमी पर आरोप नहीं लगना चाहिये। यह गोर्धनदासजी कौन हैं? डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ तो गोवर्धनसिंहजी थे। गोर्धनजी तो आई० जी० पी० हैं। गोवर्धनसिंहजी नहीं।

(व्यवधान)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आई० जी० पी० तो गोर्धनजी हैं।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टाइम बढ़वाइये...

श्री मानसिंह महार : सरकारी अफसरों पर वेग एलीगेशन्स लगाये तो उनकी जांच होनी चाहिये। क्योंकि यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कोई भी छोटा-मोटा टुकड़ा मिला तो इधर-उधर से जोड़ दिया और लोगों पर आरोप लगा दिये और आरोप भी उन लोगों पर लगाते हैं जो सदन में उपस्थित होकर अपना जवाब नहीं दे सकते। इसलिए उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह कोई घोटाला नहीं है। घबराइये नहीं। यह तो इधर-उधर टुकडों को माननीय सदस्य ने जोड़-जाड़ कर भानमती का कुनबा जोड़ा है लेकिन इसको जोड़ने का खतरा किसी सरकारी अफसर और महकमे को नहीं होना चाहिये किन्तु जानकारी जरूर करना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो सदस्य कहते हैं कि यह गलत कहा है तो मैं उसको साबित करूंगा, जांच तो करिये।

श्री मानसिंह महार : मैं सदन के माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह तस्वीर सदन की मेज पर रख दें। आप तो इस बात के आदी हो गये हैं कि आप कुछ भी लाकर रख देते हैं। इसकी इन्क्वायरी जरूर होनी चाहिये और एक हफ्ते के अन्दर अन्दर मंत्रीजी उसकी रिपोर्ट सदन में दें। हालांकि यह मामला बिल्कुल निराधार है लेकिन कोई सदस्य जोर देता है तो यह परम्परा होनी चाहिये। हमारा फर्ज है हम जो ऐसी वैसी बातें देखते हैं वह सदन में रखते हैं लेकिन सरकार की तरफ से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि जो आरोप लगाये जाते हैं उनकी जांच करने की नीति नहीं होती बल्कि उसको खत्ते में डालने की नीति होती है।

हस्तकला के बारे में मैं कुछ नहीं कहता भीम से आने वाली माननीय सदस्या जो हस्तकला में बहुत माहिर हैं उन्होंने सब कुछ कह दिया है। फिर भी सदन से और खास तौर से मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि इस प्रस्ताव को जरूर मंजूर करें, यह प्रस्ताव आपकी ही तरफ बैठने वाली महिला सदस्या द्वारा आया है एज ए एटीकेट भी महिला सदस्या की बात रखनी चाहिये, एज ए जन्टेलमेन इस चीज को मानना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) ; उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चार बजे तक समय बढ़ाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने हस्तकला को ज्यादा प्रोत्साहन के सिलसिले में प्रस्ताव रखा है । मैं माननीय सदस्या का बहुत आभारी हूं जिन्होंने एक ऐसे विषय को जिसको हम दूसरे महत्वपूर्ण विषयों के कारण न केवल सदन में बल्कि बाहर भी थोड़ा बहुत दर-गुजर करते चले जा रहे थे उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया । इस सदन के अन्दर इस प्रस्ताव के रखने से मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से माननीय सदस्या ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है उससे राजस्थान में चल रहे हस्तकला के उद्योग और इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । हस्तकला को प्रोत्साहन मिलने से हजारों कारीगर जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके की रोजी मिल सकेगी ।

मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने हस्तकला के बारे में अब तक क्या क्या खर्चा किया है और क्या कर रही है । माननीय सदस्या ने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में यह बताया कि हमारे यहां की हस्तकलायें लुप्त होती जा रही हैं, उनकी ट्रेनिंग का इन्तजाम करना चाहिये । माननीय सदस्या व सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य के लिये बहुत पहले से ही जागरूक है और इस बारे में बहुत अच्छा कार्य कर रही है । अभी पिछले साल अक्टूबर ६४ में ,५ रूरल आर्ट एन्ड क्राफ्ट सेन्टर राजस्थान में शुरू किये हैं । जैसा कि माननीय सदस्या ने बतलाया हमारी हस्तकलायें न केवल जयपुर, जोधपुर बल्कि गांवों में और कस्बों में भी फैली हुई हैं । ऐसी हालत में इसके विकास के लिये यह जरूरी है कि न केवल बड़े बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी इसकी ट्रेनिंग का इन्तजाम करें । दूर दूर जो हमारे कारीगर बसे हुए हैं वे उन चीजों में सुधार कर सकें, उनके कार्य में सुधार कर सकें ताकि उनको प्रोत्साहन मिले । इस कार्य के लिये अक्टूबर ६४ में पांच रूरल आर्ट एण्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोले हैं, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही में खोले हैं इनमें १७१ ट्रेनीज शिक्षा प्राप्त कर रहे है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन जानता है जयपुर म जो आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल चल रहा है वह पुराने समय से चला आ रहा है इसके वास्ते सोचा गया कि इसको पुराने ढर्रे पर न चला कर इसको आज के जमाने के अनुसार कुछ फेरफार किया जाय ताकि हस्तकला के क्षेत्र में यह स्कूल ज्यादा सेवा कर सके । इसलिये सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि इसको नया रूप दिया जाय नये ढंग से आज के जमाने की तरह से चलाया जाय इस बारे में विचार हो रहा है आशा है इस

(श्री चन्दनमल वैद)

सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय लिया जायगा। आज जिस ढंग से यह संस्था चल रही है उससे न सरकार को सन्तोष है और न माननीय सदस्यों को। पुरानी चीज है इसको नये ढर्रे से चलाना चाहते हैं इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इन दो ट्रेनिंग स्कीम्स के अलावा दूसरी ट्रेनिंग स्कीम चल रही है, मास्टर क्राफ्ट्स मेन होते हैं, उनके पास विद्यार्थी भेजते हैं। वे उस्ताद उन विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। यह संभव नहीं होता हर एक हुनर के लिये ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोली जा सके। आल-इन्डिया हेन्ड्रीक्राफ्ट बोर्ड द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वहां पर हम अपने विद्यार्थी भेजते हैं. ट्रेनिंग के लिये उन उस्तादों के पास भेजते हैं।

इसके अलावा ट्रेडिशनल पेन्टिंग्ज़ में सवाई रामसिंह चित्रशाला में बहुत अच्छे आर्टिस्ट श्री कृपालसिंह हैं उनके पास ६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इसी प्रकार से ताराकसी का कार्य जो लुप्त होता जा रहा है उसे फिर से जागरूक किया जाय इसलिये जहां पर ट्रेडीशनल आर्ट्स हैं वे लुप्त नहीं होवे, इस वास्ते ताराकसी कार्य के लिये जयपुर में श्री बोस साहब जो माहिर हैं उनके पास भी हमारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं चार विद्यार्थी है। ज्यों ज्यों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते जायेंगे तो जो ताराकसी का कार्य बैक ग्राउन्ड में चला जा रहा है वह रिवाइव होगा और लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे।

डूंगरपुर में पारेवा पत्थर का काम होता है वह पानी में तैर सकता है। वहां के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास ६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिये रख रखे हैं। पारेवा पत्थर का टी सेट बनाया है उनकी न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान में सारी जगह मांग बहुत है। मुश्किल यह है कि डिमान्ड के अनुसार चीजों की सप्लाई नहीं कर पाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख कर इसकी जो मांग है वह पूरी कर सकें।

यह तो मैंने थोड़े संक्षेप में बतलाया है कि हम किस तरह से हस्तकलाओं के ट्रेनिंग का काम जारी कर रखा है। इसके अलावा कस्बों और शहरों के अलावा पंचायत समितियों में डिजाइन एक्सटेन्शन सेन्टर बना रखे हैं जिनका काम नये नये डिजाइन देने का होता है। छपाई और दूसरे कार्य होते हैं हमारे यहां के रहने वाले क्राफ्ट्समेन ज्यादा दिलचस्पी रख सकें, इसके लिये आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। हमने ६४ में १३, १४ नये डिजाइन वहां के क्राफ्ट्समेन को दिये उन पर काम हो रहा है। बेम्बूज बास्केट्स, टेक्सटाइल प्रिन्ट्स, लकड़ी के खिलौने आदि में डिजाइन चल रहे हैं इन चीजों में नये नये, डिजाइन व मेथेड्स इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। देहातों में और कस्बों में और बड़े शहरों में हस्तकला की चीजें बनती हैं जो कारीगर और क्राफ्ट्समेन रहते हैं उनके लिये कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाय, उनको

(श्री चन्दनमल वैद)

नये मेथड्स दिये जांय। अच्छी अच्छी चीजें आज के जमाने के अनुसार हस्तकला में ढाल सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनको प्राप्त हो सकें।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार हस्तकला के क्षेत्र में क्या क्या कर रही है। हम जो ऋण बड़ी बड़ी पार्टीज को देते हैं, हस्तकला के लोगों को नहीं देते हों यह बात नहीं। हस्तकला में कार्य करने वाले इन्डस्ट्रीज एक्ट के अनुसार सस्ते दरों पर ऋण दिया है आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लिये ऋण दिया है।

रा मेटिरियल भी हमने जो आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स में काम करने वाले कलाकार हैं उनको नहीं देते यह बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं भारी बादला जिसकी कम्युनिस्ट सदस्य ने प्रशंसा की जोधपुर में बहुत बनता है। इन भारियों के लिये बादलों के लिये प्रचुर मात्रा में जिंक जो रा मेटिरियल इसके लिये काम आता है, इसका प्रबन्ध किया है इन भारियों और बादलों को हमारे निगम ने बाहर भेजा है जो बाहर के लोगों में बहुत प्रचलित है। और हमारी कोशिश यह है कि ज्यों ज्यों मांग विदेशों में बढ़े वैसे वैसे इसको प्रोत्साहन दें।

पर रॉ मैटीरियल देने में यों नहीं कि अन्धाधुन्ध दे देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको शिकायत होगी कि ब्लैक मार्केट करा रहे हैं।

जयपुर में भी ब्रास के बारे में जब कहा गया तो मैं निवेदन कर दूं यहां भी करीब दस टन कापर और जिंक इन ब्रास वेअर वालों को देते हैं। रोलिंग मिल से शीट दिलाते हैं। इसके अलावा भी दस टन कापर जिंक यहां के डीलर्स को ढालने के लिये भी देते हैं।

इसके अलावा आइवरी के लिये रा-मैटीरियल की पूर्ति डेड लाख की जंजीबार और टंगानिका से करते रहे हैं। आइवरी का काम करने वाले हमारे कलाकार जो हैं, उनमें हम वितरित करते रहते हैं।

अब कुछ नई स्थिति पैदा हुई है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो इम्पोर्ट होगा, वह अब एक्सपोर्ट के अगेन्स्ट में हो सकता है। तो अब हम इसके लिये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बफर स्टाक है, भारत सरकार के पास। उसमें से हिस्सा प्राप्त कर सकें और इसके बाद जो चीजें वे इसकी यहां बनावें उनका बाहर एक्सपोर्ट करें और उसके अगेन्स्ट में आइवरी के इम्पोर्ट का कोटा भी हमें मिलता रहे। इसकी कोशिश कर रहे हैं।

(३.४२ म० उ०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

अब सांगानेरी प्रिन्ट के लिये रंगाई छपाई का रंग बड़ा मंहगा मिलता है इस-लिये कारीगर बाजार से सस्ता कच्चा रंग लेकर छापते हैं इससे इसकी मांग कम होती जा रही है। मैंने इस बारे में सोचा है और

(श्री चन्दनमल वैद)

प्रयत्न अब हम कर रहे है कि हमारा निगम जो है सारे रंग आयात करता है तो वह रंग भी इन कारीगरों की तरफ से वह निगम प्राप्त कर ले और फिर जैसी जैसी जरूरत जिसको हो, उस तरह से कारीगरों को रंग डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के परमिशन पर देंगे। अगर एस० टी० सी० परमिट देगी तो कारीगरों को उतनी आर्थिक सुविधा नहीं हो सकेगी, इसलिए हमारा निगम यह काम हाथ में लेने का सोच रहा है कि एस० टी० सी० से रंग मंगाने का काम स्माल स्केल कॉरपोरेशन कर ले, वह मंगवा ले और डाइरेक्टर के परमिशन की आधार पर उनका कारीगरों में वितरण कर दिया जाये।

इसके बाद यह बताना चाहूंगा कि हम इन चीजों के विकास के लिये और इनको प्रोत्साहन देने के लिये और क्या क्या कदम उठा रहे हैं। इस बारे में इस बात का जिक्र करना उचित समझूंगा कि पिछले साल डेढ साल में राजस्थान लघु उद्योग निगम ने हस्तकला की उन्नति के लिये एग्ज़ीबिशनों में भाग लिया। हालां कि यह आशंका थी कि इसमें घाटा रहेगा। पांच छ एग्ज़ीबिशनों में भाग लिया और इसके कारण हमारी हस्तकला के प्रति दिलचस्पी लोगों की बढ़ी है, जानकारी बढ़ी है और मांग भी बढ़ती जा रही है। एक एग्ज़ीबिशन जयपुर में लगी, थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जलसे के अवसर पर। इसके बाद कलकत्ते में भाग लिया था। अभी एक बम्बई में हुई थी। उसमें भाग लिया था और करीब करीब ८० हजार की चीजें हमारे राजस्थान में बनी हुई बिकीं। इसी तरह न्यूयार्क वर्ल्ड फेयर में भाग लिया था। तो इस तरह इन एग्ज़ीबिशनों में भाग ले कर हम प्रचार करते रहे हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राजस्थान हैण्ड क्राफ्ट की एग्ज़ीबिशन लग रही थी तो पांच हजार का सामान उधार पर दिया और वह सामान प्रदर्शन के लिये माननीय सदस्या को ही सौंपा था ताकि उसका प्रचार हो सके।

अब जैसा उन्होंने बताया हैण्डक्राफ्ट का विशेष नम्बर निकला है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके पिछे भी सारे प्रयत्न हमारे निगम के हैं। पांच हज़ार रुपया उसमें खर्च किया है। केवल इसलिये कि हैण्डी क्राफ्ट के बारे में दूसरों को जानकारी प्राप्त हो और इसके साथ साथ विज्ञापन हो ज्यादा बिके, ताकि हमारे यहां के कारीगरों को ज्यादा माल भेजने से बिकने से लाभ हो। इससे ज्यादा लोगों को रोजगारी मिलेगी।

केवल इस चीज को मद्दे नज़र रखते हुए ये सारे कार्य सरकार या अर्द्ध सरकारी संस्थाएं निगम कर रहा है। जितना हमने पिछले दो सालों में काम किया है वह बहुत काफी है। अगर माननीय सदस्यों के सहयोग से दो साल और इसी तरह कर पाये तो फिर पूरा भरोसा सरकार को है कि जो हस्तकला की स्थिति चार पांच साल पहले थी वह अब अधिक अच्छी होने वाली है। यह मैं आंकड़ों से बता सकता हूं। एम्पोरियम में पहले जो स्थिति होती थी जो सेल

(श्री चन्दनमल वैद)

होती थी वह आज पांच छः गुना बढ़ गई है। इसलिये कि उनके प्रचार की तरफ विज्ञापन की तरफ वस्तुओं का स्टेण्डर्ड और क्वालिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया है। लोग इन वस्तुओं को जितना पसन्द पहले करते थे उससे ज्यादा पसन्द अब करने लगे हैं। विज़ीटर्स और टूरिस्ट भी ज्यादा आने लगे हैं और इनके कारण भी सेल बढ़ी है। हमारी हस्तकला की चीजें पहले से ज्यादा अच्छी बनती है, ज्यादा विज्ञापन और ज्यादा डिसप्ले उनका हो रहा है। ये सारी चीजें सेल बढ़ा रही हैं।

मैं केवल थोड़े से फिगर आपके सामने रख दूं ताकि आपको मालूम हो जाय कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं।

पहले एम्पोरियम में ६१-६२ में ५४-४५०) की सेल हुई, अब ६४-६५ में जाकर ३,५७,०००) तक बढ़ गई। जयपुर का जो एम्पोरियम है उसमें ६१-६२ में ५३,३००) की सेल थी, जब कि ६५-६४ में ३ लाख ७ हजार हो गई। आबू के एम्पोरियम में १६,५०० की सेल हुई ६१-६२ में अब ६४-६५ में ८० हजार की हुई है।

तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि इनकी डिमाण्ड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और सरकार का पूर्ण प्रयत्न है कि न केवल सेल ही बढ़े पर साथ साथ उत्पादन भी बढ़े जो उत्पादन की क्षमता कार्यकर्त्ताओं की आज है कलाकारों की है, वह भी बढ़े और उनको रॉ मेटिरियल और दूसरी चीजें सस्ती दरों पर और सुलभता से प्राप्त हों जिससे वे पूरा मन अपने उत्पादन को बढ़ाने में लगावें।

चन्दन की बात कही गई। मैसूर में सस्ता मिलता है। मैसूर सरकार नो लौस नो प्रोफिट बेसिस पर उनको देती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस रेट पर वह मिलता है, वहां के लोगों को उसी रेट पर हमें भी मिले। पर अगर यह सम्भव नहीं भी हुआ तो हमने इतना निश्चय तो ले ही लिया है कि लघु उद्योग निगम होल सेल रेट पर उसको खरीद कर लावेगा और फिर उसे स्टॉक में रखेगा और उसे अच्छे रेट पर सस्ती रेट पर कलाकारों को देगा ताकि बिचौलिये जो मुनाफा ले लेते थे, वे समाप्त हो जावें। हमारी पूरी कोशिश है कि इन कलाकारों के बीच में और कस्टमरों के बीच में कोई बिचौलिया न रहने पावे। वे धीरे धीरे समाप्त हो जावें। पहले ये एम्पोरियम वाले कारीगर बड़े बड़े दूकानदारों से खरीदते थे और एम्पोरियम भी बड़े बड़े दूकानदारों से खरीदते थे। अब हमने पर्चेज कमेटी बनाई है जो सीधे कलाकारों से उनकी सहकारी समितियों के मार्फत खरीदेगी ताकि कलाकारों को काफी पैसा मिले उनकी मेहनत का और बिचौलिये जो उनकी मेहनत का हिस्सा खा जाते थे, वह न खा सकें अब।

आज सरकार के प्रयत्नों का ही फल है कि हैण्डी क्राफ्ट में दर्जनों ही सहकारी समितियां हैं जो निगम से सीधी सम्पर्क में हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री चन्दनमल वैद)

माननीय सभापति महोदय, मुझे और ज्यादा नहीं कहना है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है। सारे वे उचित कार्य सरकार कर रही है इस सम्बन्ध में जो उचित समझे जा रहे है और जिनके लिये माननीय सदस्य भी निवेदन करते हैं। हैण्डी-क्राफ्ट के बारे में हम जागरूक हैं, चाहे उसका प्रचार हो, विज्ञापन का मामला हो, रा मैटीरियल का मामला हो, ट्रेनिंग का मामला, मैथड सुधारने की बात हो, या डिज़ाइनें सुन्दर और सुरुचिपूर्ण बनाने की बात हो। ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जाये, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड पहले ही बना हुआ है, उसकी बैठकें होती हैं और वह बराबर इसके लिए विचार करता है कि हमारे यहां के हैण्डीक्राफ्ट्स में किस तरह सुधार कर सकते हैं। इसलिए दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि सदन में हैण्डीक्राफ्ट्स के बारे में जो इतनी चिन्ता व्यक्त की गई, मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारे कार्यकर्त्ताओं के लिए और आर्टिस्ट्स के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली चीज हैं कि सदन में इस छोटी सी चीज को लेकर इतना महत्व दिया गया और इतनी चिंता व्यक्त की गई और यह चिन्ता और प्रेम दिखाया गया है यह बहुत बड़ी चीज आर्टिस्ट्स के लिए और क्राफ्ट्समैन के लिए है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसके प्रति जागरूक है और इसके लिए बराबर कार्य करती रही है और करती रहेगी, मैं आशा करता हूं कि मेरे इतने आश्वासन देने पर माननीय सदस्या जिन्होंने यह संकल्प रखा है, उसे वह वापिस ले लेंगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, उप-मंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उससे मुझे बहुत कुछ संतोष हुआ है फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जितना ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिए और भी बहुत देने की कसर है और मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगी कि जो कुछ मैंने सुझाव रखे हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें और उनको अधिक से अधिक जहां तक सम्भव हो लागू करने की चेष्टा करें तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत उचित होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं संकल्प वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(३.५३ म. प.)

राजस्थान की कच्ची बस्तियों के निवासियों की स्थायी निवास व्यवस्था हेतु अशासकीय संकल्प

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैं कच्ची बस्तियों के संबंध में एक संकल्प इस सदन के समक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । संकल्प इस प्रकार है:—

"इस सदन की राय में राजस्थान के विभिन्न नगरों की कच्ची बस्तियों में बसने वाले नागरिकों की अव्यवस्थित स्थिति को स्थायी रूप से व्यवस्थित बनाने के लिए उन्हें अपनी बसावट में कब्जे की जमीन पर बिना किसी प्रकार की कीमत लिये मालिकाना हकूक दे दिये जायें।"

सभापति महोदय, आज अगर हम अपने राजस्थान पर नजर उठा कर देखें तो जो अपने शहर और कस्बे हैं, वहां पर जो हमारी बस्तियां हैं, वहां कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिनमें लोगों के पक्के मकानात हैं, बाकायदा नये जमाने के तमाम ऐशोआराम मौजूद हैं। सड़कें हैं, नल हैं, बिजली हैं और सब तरह की आज की नई जिन्दगी के आराम मौजूद है। दूसरी तरफ उन्हीं शहरों में आपको एक दूसरी तस्वीर देखने को मिलेगी, जहां पर कच्ची बस्तियां हैं। उन बस्तियों में न सड़कें हैं, न लाइट है, न पानी हैं और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति में हमारा राजस्थान बस रहा है और सरकार की ओर से जो फाइव ईयर प्लान्स चल रहे हैं, उन फाइव ईयर प्लान्स का जिस तरीके का असर इन बस्तियों पर हो रहा है, सरकार की कुछ नीतियों के कारण। वह बजाय इसके कि जहां इस तमाम भारी खर्चे से जहां और जनता का विकास हो रहा है वहां इन कच्ची बस्तियों में रहने वालों का भी मुकाबलतन उनका विकास होता चला जाता—इसके बजाय यह स्थिति है कि उन विकास योजनाओं के फलस्वरूप इस जनता पर एक कहर, एक आफतनाजिल होती है और वह इस रूप में कि जैसे जैसे योजनायें आती हैं, जिस जिस तरीके से प्लानिंग करके और नई योजनाएं लागू की जाती हैं। हमारी सरकार की नीति के अनुसार इन कच्ची बस्तियों के ऊपर सबसे पहले यह हुकम नाज़िल होता है कि यह बस्तियां किसी स्कीम में आने वाली हैं और इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड का, टाउन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड्स का उन बस्तियों के बारे में यह रुख होता है कि यह बस्तियां स्कीम में आयेंगी। आज नहीं कल, कल नहीं ५ वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद नहीं तो दस वर्ष बाद आयेंगी, इसलिए इनमें सड़कें क्यों बनावें, इनमें लाइट क्यो लगवाई जाये, इनमें नलों के ऊपर पैसा क्यों खर्च किया जाये और इसलिए इस प्लानिंग का एक तो यह नतीजा हो रहा है सभापति महोदय कि यह जो तमाम म्युनिसिपल फैसेलिटीज़ जो कि इन्सान को आवश्यक हैं और कच्ची बस्तियों की वजह से उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वह लोग पूरी सदियों से पिछड़े हुए रहे हैं और निग्लेक्टेड रहे हैं उनको प्रायोरिटी देकर ज्यादा पैसा खर्च करके, उनको दूसरी बस्तियों की लेवल पर लाया जाता। उसके बजाय हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से यह नतीजा उसके ऊपर होता है कि उन तमाम बस्तियों को उन नार्मल सुविधाओं को भी जो कि और जगह सामान्यतः पहले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से मिली हुई हैं उनसे भी उन बस्तियों को वंचित कर दिया जाता है ।

सभापति महोदय, और दूसरा नतीजा जो इन बस्तियों के इस प्लानिंग से निकल रहा है वह यह है कि सरकार ने यह मान लिया है कि इन लोगों के कोई राइट्स नहीं हैं, इन लोगों के जमीन पर किसी तरीके के लीगल राइट्स नहीं है, अन आथोराइज्ड इनका आकुपेशन है और उन लोगों से यह पूछा जाता है कि तुम्हारे टाइटल डीड्स कहां हैं, तुम्हारे पास कोई बयनामे हैं, तुमने किससे जमीन खरीदी है ? सभापति महोदय, यह सही बात है कि वह वर्षो से रहते आ रहे हैं, उनके पास कोई टाइटल डीड्स नहीं हैं, कोई बयनामे नहीं हैं और इस कारण गवर्नमेंट उनके टाइटल को डिस्प्यूट करती है, अपने उस प्लानिंग से उन लोगों को अनअथोराइज्ड आकुपेन्ट्स मानकर उनको हटाने की स्कीम गवर्नमेंट की आती हैं । इस प्रकार के मन्जर सभापति महोदय, हमको राजस्थान के शहरों में जगह जगह आज देखने को मिलेंगे । यहीं जयपुर को अगर हम देखें तो चाहे सेवाड़ क्षेत्र में चले जायें, चाहे लालकोठी में चले जायें, चाहे नारी के नाके में चले जायें, और चाहे हसनपुरे की बस्तियों में चले जायें, आज भी आप को देखने को मिलेगा कि उन कच्ची बस्तियों के लोग पचास पचास वर्षों से वहां पर बसे हुए हैं । वे जमीनें किसी ने किसी को बेच दी हैं । हमारी सरकार अगर अपनी जमीन क्लेम करती हैं, वह स्कीम बनाती है, प्लॉट बना देते हैं लेकिन बसे हुए लोगों की जिन्दगी को उजाड़ कर सरकार कहती है कि हम विकास करेंगे । लेकिन यह कैसा विकास है कि कुछ लोगों के लिए विकास की बात कह कर जो कि समाज में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल बैकवर्ड हैं, उनके विनाश की योजनायें बनाई जाती हैं, उन लोगों को उखाड़ने की योजनायें बनाई जाती हैं और वह लोग इस प्लानिंग से जो कि वहां पर बसे हुए हैं, उनको उखाड़ने की बात होती है और दूसरों को इस प्लानिंग से बसाने की बात कही जाती है । मुझे सभापति महोदय, यहां पर सेवाड़ क्षेत्र के हरिजन भाई बुला कर ले गये । मैंने देखा वहां पर हरिजनों के घर बसे हुए हैं और जबरदस्ती लोगों ने अपने डंडे बनाये हैं और कहा है कि मैंने यह जमीन खरीद ली । सभापति महोदय, यह बात सही है कि जिस शख्स ने जमीन को खरीदा है वह शायद यह क्लेम करता है कि मैंने पैसा खर्च किया है, इसलिए मुझे यह जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है जो कि सरकार के तय करने का है कि जो लोग इस तरीके से बसे हुए हैं चाहे सरकार जमीन को क्लेम करती हो, चाहे प्राइवेट आदमी की लैण्ड हो, किसी जागीरदार की हो, चाहे किसी बिस्वेदार की हो, प्रश्न यह है कि जो लोग बसे हुए हैं उनको अपने डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के अनुसार अपने कन्स्टीट्यूशन के अनुसार उनको शेल्टर दे, उनको मकान दे, यह सरकार का कर्त्तव्य है. यह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए और जो सरकार सोशियेलिज्म की बात करें, सोशियेलिज्म कायम करने की बात करें, उस सरकार की तो यह निश्चित नीति होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी सरकार इस बात पर विचार नहीं करे और यह कहे कि यह जमीन हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी। इस पर लोग बसे हुए हैं, इनके राइट्स ये हैं और उन राइट्स को कन्फर्म करने के बजाय वह प्राइवेट राइट्स जो कभी किसी तरीके से क्लेम करते हैं उनकी बुनियाद पर उन लोगों की जिन्दगी को इस तरीके की बनाये हुए हैं।

सभापति महोदय, इस तरीके से सिवाड़ क्षेत्र की जो भूमि है, मुझे पता लगा है कि वह किसी जागीरदार की भूमि है। उस जागीरदार ने जागीर एबोलिशन के बाद में जमीन को बेचा है। जब जागीर एबोलिशन ५२ में हो गई और वह जमीन भी रिज़्यूम हो गई, एक्वायर हो गई तो किसी प्राइवेट जागीरदार को किसी जमीन के बेचने का अधिकार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी पॉलिसी की कनसिस्टेन्सी में जिस तरीके से देहातों में हमने, किसानों ने संघर्ष किया, किसानों के अधिकार जिस जमीन पर किसान बसता है उस पर प्राप्त किये। वह जमीन भी जागीरदार की थी लेकिन जमीन किसान काश्त करता है वह जमीन सरकार की थी, लेकिन किसान आन्दोलन हुआ और किसान ने कहा कि जमीन उसकी है जो कि जमीन जोतता है। किसानों को उन पर खून भी हुआ, वे शहीद भी हुए। जागीरदार, राजाओं व उस वक्त की हुकूमत ने किसानों के अधिकार को नहीं माना लेकिन किसानों ने लड़ाई में कुर्बानी की और राष्ट्रीय आन्दोलन ने उस सवाल को अपना सवाल बनाया और उस बुनियाद पर जो ट्रेडिशनल मालिक अपने आपको समझते थे, चाहे जागीरदार थे, चाहे बिस्वेदार थे और पुरानी कन्ज़र्वेटिव सरकारें अपने टाइटल को बड़ा मानती थी और जो लोग जहां पर बसे हुए हैं, उनके टाइटल को कुछ नहीं मानती थीं, उन सबके खिलाफ किसान खड़ा हुआ और किसान विजयी हुआ और किसानों को जमीनों पर अपने अधिकार मिले, खातेदारी हकूक मिले और उसको वह अधिकार मिला कि जिस जमीन पर वह रहता है और जिस पर उसने मकान बनाया है उसको उस मकान का पूरा अधिकार मिला। और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जिस किसान के पास जमीन नहीं है मकान की, उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड नहीं है किसान के पास और घर नहीं है और गांव में किसान की जमीन है तो किसान ने अपने संघर्ष से ये हकूक भी हासिल किये कि जहां पर गांव में जमीन हैं काश्त की उसको आबादी के लिए जमीन भी मिलेगी। सभापति महोदय, यह कामयाबी किसान को हासिल हुई। उसी तरह से उसकी कनसिस्टेन्सी पर, सभापति महोदय, यह होना चाहिए था, सरकार को यह करना चाहिए था कि जो लोग चाहे वे किसान नहीं हों, लेकिन इन्सान को रहने के लिए हरएक को मकान की आवश्यकता है और यह इस सरकार की अपने डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के अनुसार यह नीति होनी चाहिए कि इस तरीके की सुविधाएं, इस प्रकार से आशामस सब लोगों को, सब जनता को जो मिनिमम सुविधाएं हैं वे सब को प्रदान करें। और उसके अनुसार सभापति महोदय, जब किसान को कब्जे की वजह से अपनी जमीन पर खातेदारी हकूक मिल सकते हैं, जब कि किसानों को उस गांव का नागरिक होने के नाते यदि उस गांव में उसका मकान नहीं है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो उसको मुफ्त जमीन मिल सकती है और उस जमीन की ओनरशिप के राइट्स मिल सकते हैं तो उसी दलील के अनुसार जो शहर में मजदूर बसते हैं, हरिजन बसते हैं, मिल में काम करने वाले बसते हैं, रिक्शा खींचने वाले बसते हैं, वे ५०-५० और २५-२५ वर्षों से वहां पर रहते हैं, तो उस जमीन का मालिकाना अधिकार उनको क्यों नहीं मिलें ? उसको यह क्यों नहीं कह दिया जाय कि यह जमीन तेरी है और तेरे बाप-दादा की है, जितना पैसा तेरे पास है और पक्का मकान बना सकता है तो बना ले । दुनियां की कोई ताकत तुझे हटा नहीं सकेगी । म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं सोचती है कि ये भी इन्सान है इनको भी पूरी एमिनिटीज दी जानी चाहिए । इसके विपरीत आज यह हो रहा है कि लोगों को नोटिस मिल रहे हैं । नारी के नाके के लोग मेरे पास आये कि हम लोग यहां ४०-५० वर्षों से रह रहे हैं लेकिन दफा ६१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार ने नोटिस दिया हुआ है कि तुम अपनी जमीन खाली करो और हम इसको किसी और काम में लेने वाले हैं । इसी तरीके से हसनपुरा की बस्ती को गवर्नमेंट ने इन्डस्ट्रियल एरिया करार दे दिया । इन्डस्ट्रीज के एक्स्टेन्शन के लिए उसमें शामिल करने के लिए और वहां पर उस एरिया को रिजर्व करना चाहते हैं । जब वहां पर बस्ती बसी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं । कच्चे मकान भी हैं, कुछ पक्के मकान भी हैं, कुछ कच्चे और कुछ पक्के अधकचरे मकान भी वहां पर बाकायदा बने हुए हैं । वहां इन्सान बसे हुए है, लेकिन उस बस्ती को आप जाकर देखिये तो एक तरफ तो आप का यह चौड़ा रास्ता है. आपकी मिर्जा इस्माइल रोड है जिसमें सारे पक्के ही पक्के हैं और लाइट भी है, बिजली और पानी का इन्तजाम है और वहां पर फर्स्ट क्लॉस रोड्स हैं और फर्स्ट क्लॉस कारें वहां पर घूमती हैं । बड़े बड़े लोगों के जाने की, रहने की जगह हैं । दूसरे, उसी जयपुर के अन्दर हसनपुरा के अन्दर गन्दा नाला बहता है और बेचारे लोग मजदूर उसके दोनों तरफ बसे हुए हैं और गन्दा नाला वहां पर बह रहा है उनके बीच में से । अगर वे कहीं बस्ती वाले सवाल उठाते हैं कि हमारे गन्दे नाले का इन्तजाम करो तो कहते हैं कि तुम लोगों को तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों यहां से जाना पड़ेगा और यहां पर हम पैसा क्यों बरबाद करें । सभापति महोदय, वहां पर जब वोट लेने का वक्त आया तो वहां पर बिजली के खम्भें भेज दिये गये । मुझे आश्चर्य हुआ । जब मुझे बताया गया, जब कि मैं उस बस्ती में गया था, कि वह दो-तीन साल तक वह खम्भें पड़े हुए हैं, लेकिन पिछले ५–६ महीने पहले उन खम्भों को उठा कर यहां मंगवा लिया और इस तरीके की मैंने चिट्ठी देखी वहां पर जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर की यू० आई० बी० के चैयरमैन हैं श्री रामकिशोरजी व्यास को पत्र भी लिखा था कि आप इस क्षेत्र से पहले खड़े हुए थे और यह एक्सीडेन्टल है कि आप नहीं आ सके । आपने स्वयं ने ये खम्भें यहां पर मंगवाये थे और आश्वासन भी दे दिया था लगवाने का । अब आप एक्सीडेन्टली चैयरमैन भी है यू० आई० बी० के तो आपके ही दौरे में वापिस मंगवाये जायं यह उचित नहीं होगा । वहां पर उन्होंने लिखा कि मैंने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं मंगवाये हैं। बिजली विभाग ने अलग मंगवा लिए होंगे और इस तरह से रस्साकस्सी आपस में चल रही है।

मेरे कहने का मुद्दा यह है, सभापति महोदय, कि आज जो इस तरीके की बस्तियां हैं इनमें जो आपकी म्युनिसिपल एमिनिटीज हैं उनसे उनका डेप्रिवेशन है। जो जमीनें हैं उन पर उनके राइट्स के बारे में कोई फैसला नहीं है तो कम से कम उनकी नीति यह हो कि उनके राइट्स हों। अपनी गवर्नमेंट बहुत बेनेवोलेन्ट बनती है, ह्यूमेनिटेरियन पोइन्ट ऑफ व्यू लेती है जैसा कि सुखाड़िया जी ने पिछले साल यहां पर बयान दिया कि हम उसका ह्यूमेनिटेरियन, सिम्पेथिक व्यू लेंगे या आप उनको यह कहेंगे कि हम कहीं न कहीं उनको बसाने की संभव हो सके तो कहीं भी जगह देने की बात करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि आप गम्भीरता से इस बात का विचार करें कि जो लोग इस तरीके से इतने लम्बे अर्से से वहां पर रहते हैं आप पर्मानेन्ट राइट्स उनको उस जमीन का क्यों नहीं देते हैं, आप उनको मालिक उस जमीन का क्यों नहीं मानें। और आपको किसी स्कीम में उस जमीन को लेना है तो एक्वॉयर कीजिये और एक्वीज़िशन की जिस तरीके की प्रोसीडिंग चलती है, मुआवजा दिया जाता है उसी तरीके से उन लोगों को भी दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, यदि हम इस प्रोब्लम की इम्पेनसिटि को देखें तो कितनी व्यापक है। यह प्रोब्लम तो मैंने जयपुर के कुछ मसलों के लिये कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह समस्या कोई जयपुर तक ही सीमित हो जाती है बल्कि जितने भी नगर हैं, उनमें कुल अरबन पोपुलेशन, कुल नगरों में रहने वाले लोगों की आबादी करीब ३२, ८१००० है और उसमें जो वर्किंग क्लॉस है वह कुल पोपुलेशन का एक चौथाई ८, ५२००० करीब लोग हैं। और सभापति महोदय, मेरे नोटिस में यह आया है कि मकानात या हाउसेज जिनमें ये लोग बसते हैं जिनके राइट्स के बारे में अनिश्चितता है कितने हैं? आम तौर से वर्किंग क्लॉस, वरकर्स ही उनमें रहते हैं। मिडल क्लॉस और बड़े लोग तो ऐसों में रहते नहीं हैं। तो तमाम एरिया जिनमें पोपुलेशन हैं आबादी का एक चौथाई मान कर चलते हैं और ३२ लाख के करीब कुल पोपुलेशन मानें तो ८ लाख के करीब ये लोग हैं। यदि हाउस लोड को देखें सभापति महोदय, तो शहरों में कुल मकानात ४ लाख ९९ हजार या ५ लाख के करीब हैं और उसमें यदि इनके मकानात को १।४ भी लगा कर चलें तो करीब डेढ़ लाख मकानों पर असर पड़ेगा और ५ आदमियों की एक फेमिलि के हिसाब से पौन दो लाख फेमिलीज पर इसका असर पड़ रहा है।

सभापति महोदय, यदि हम देखें कि इस तरह से इतनी बड़ी आबादी के ऊपर हमारी इन तमाम नीतियों का असर पड़ रहा है तो लाज़मी तौर से गवर्नमेंट को मानना चाहिये कि यह एक व्यापक समस्या है, गम्भीर समस्या है। नीति के रूप में गवर्नमेंट इसको तय करे। लेकिन जो टाउन प्लानिंग में आज आप नीति अपनाते हैं जो आपकी डिक्लेयर्ड नीति है वह समाजवाद की तरफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़ने की है, समाज में पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ावें, लोगों की जो आर्थिक स्थिति में पाबन्दी है उसको कम करें उसके बजाय जिस तरह से प्लानिंग में आप नीति अपना रहे हैं, वह डिक्लेयर्ड प्रिन्सिपल्स के बिल्कुल उलट नतीजा निकल रहा है। खास तौर से सभापति महोदय, यदि आप देखें तो आपका जो टाउन प्लानिंग आ रहा है, टाउन स्कीम्स आ रही हैं, मास्टर प्लॉन आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर लोगों ने जमीनें खरीदना शुरू किया है। एक तरफ इस स्कीम के अनुसार आप उन तमाम एरियाज़ में जो कच्ची बस्तियें हैं, उनको आप अपनी ज़मीन मान कर उसको प्लॉन में शामिल करते हैं, उनको चाहे आप इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए रिज़र्व करें, चाहे एज्यूकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स के लिए रिज़र्व करें चाहे प्लॉट्स बना कर बेचने के लिए रिज़र्व करें, लेकिन वहां पर बसे हुए लोगों का अधिकार न मान् कर आप इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग की नीतियों के तौर पर समाज का जो सबसे नीचा तबका है उसके लिए तो यह टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान एक कहर बन कर, विनाश का प्लान बन कर आता है। दूसरे लोगों को देखिये जिनमें आप फर्क करना चाहते हैं उनको जब मालूम हुआ कि टाउन प्लानिंग हो रहा है, विकास योजना आ रही है तो उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू की। मुझे अपने शहर का पता है। लोगों ने किसानों को बताया कि जमीन जाने वाली है, बेच दो। जो टाउन इम्प्रवूमेंट ट्रस्ट के मेम्बर हैं उन्होंने फायदा उठाया। टाउन स्कीम्स के जरिये गवर्नमेंट की पॉलिसी का उनको पता चल गया कि कौन से एरिया में क्या करने वाला है। इस तरह से उन्होंने एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से जमीन खरीद ली। एक बीघा में ३०५५ स्क्वायर यार्ड्स होते हैं और उन लोगों ने जमीन खरीद कर प्लॉट्स बना-कर १०)-१०) रुपये गज के भाव से प्लोट बेचे। ३०५५ स्क्वॉयर गज का १०) स्क्वॉयर गज से हिसाब लगावें तो ३०,५५०) में एक बीघा जमीन उठती है। गरीब किसानों से १०००) रु० देकर उन लोगों ने ३०,५५५) रु० कमाये हैं। २९,५००) रुपये का मुनाफा एक एक को मिला। कुछ लोगों ने इस तरीके का अपना धंधा बना लिया है। कुछ वकील साहब जो कानून जानते हैं, गवर्नमेंट की कानूनी कमजोरियों को जानते हैं, मैं नाम लेना ही नहीं चाहता क्योंकि माननीय सदस्य ऑब्जेक्शन उठायेंगे लेकिन आज ही सवेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रीजी ने कुछ बातें बताई थीं उनसे भी साफ जाहिर बात आ गई कि इस तरीके से लोगों ने एक बीघा नहीं पचास पचास बीघा जमीन कितनों ही ने खरीदी है। एक आदमी एक बीघा जमीन पर २९॥ हजार रुपयों का मुनाफा कमाता है तो जिसने ५० बीघा जमीन खरीदी है उसको कितना मुनाफा मिला इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। इस तरह से सभापति महोदय आपकी प्लानिंग से एक तबका इस तरह से फायदा उठाता है।

अब दूसरी पिक्चर लीजिये। दूसरे मुहल्ले और कच्ची बस्तियों को लीजिये। एक मुहल्ला है शिवराजपुरा और दूसरा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है खोहरा। इस खोहरे को सैकड़ों वर्ष बसे हुए हो गये, उसमें पक्के मकान भी बन गये। उन लोगों को दफा ६१ का नोटिस मिला है सरकार की तरफ से और उनको वहां से हटाने की कार्यवाही चल रही है। सभापति महोदय, इस खोहरा मुहल्ले में ५५ परिवार हैं। सरकार की तरफ से जो इन्क्वायरी हुई है उसमें उनको जो तहसीलदार ने रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति सालों से वहां पर आबाद हैं सौ वर्ष से भी ज्यादा समय से। १०० वर्ष के बाद की हिस्ट्री मिलती है पहले की नहीं मिलती। ऐसे २२ परिवार हैं जो मोती डूंगरी पैलेस के नीचे से यहां शिफ्ट किये गये थे। महाराजा की इस जमीन में मोती डूंगरी में बसते हैं ऐसे २४ परिवार हैं और बाद में बसे ऐसे ७ परिवार हैं। इन्क्वायरी करने के बाद सरकार को यह रिपोर्ट की गई। २४ परिवार १९०६ से बसे हुए हैं और २२ परिवार सौ वर्ष से भी ज्यादा समय से वहां पर बसे हुए हैं। कच्चे और पक्के मकान भी बने हुए हैं और उन लोगों को दफा ६१ के नीचे नोटिस मिले हैं। इसी महल के सामने उन वकील साहब की शानदार कोठी बनी हुई है जिन्होंने गरीब किसानों से और मजदूरों से जमीन खरीद कर २६॥ हजार रु० मुनाफा कमाया है और उसी सड़क के दूसरी तरफ सौ वर्षों से बसे हुए गरीब किसान और मजदूर हैं उनको सरकार की तरफ से नोटिस मिले हैं, यह आपको प्लानिंग है।

इसी तरह मुहल्ला शिवलालपुरा का हाल है। शिवलालजी जागीरदार थे। उनकी जागीर की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से मुहल्ला बसा हुआ है और इस सैकड़ों वर्षों से बसे हुए मुहल्ले में रहने वाले लोग दो आना या एक आना साल का किराया देते थे। वह जागीर खत्म हो गई। जागीर एक्वायर हो गई। जागीर एक्वायर होने के बाद उस जागीरदार को किराया लेने का कोई अधिकार नहीं रहा और वहां के बसने वालों ने किराया देने से इन्कार कर दिया, किराया नहीं दिया। जागीरदार ने अदालत में, डिप्टी जागीर की अदालत में दावा किया। डिप्टी कमिश्नर जागीर ने यह होल्ड कर दिया कि यह जमीन जागीर की है इसलिये जागीरदार को अब इस जमीन से कोई वास्ता नहीं, उसको किराया लेने का कोई अधिकार नहीं। अब वे जो वहां पर बसने वाले हैं वे तहसील में जा रहे हैं। पिछले ५ वर्षों से तहसील में जूतियें चटा रहे हैं। तहसीलदार को कहते हैं कि आप किराया ले लो, यह सरकार उस जमीन की मालिक है, जागीरदार की जागीर खत्म हो गई इसलिये सरकार किराया ले ले। हमको इस जमीन पर पूरा अधिकार मिले लेकिन वह किराया जमा नहीं कराया जाता। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर उस जागीरदार का विश्वेदार के तौर पर हक हो या सरकार की भी जमीन हो, लेकिन जो लोग इतने अर्से से बस रहे हैं उनको आपको मिल्कियत के हक देने चाहिए। आपकी इस नीति की वजह से चाहे यह हाथीबाबू का बाग हो, चाहे यह जयपुर के अन्दर कितने ही जागीरदारों को यह जमीन इस तरह छोड़ कर इस तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अनअर्न्ड इन्कम उन लोगों के लिए लाखों और करोड़ों रुपये की दे दी है. इस तरह से जो लोग वहां पर बसे हुए थे उन लोगों को अधिकार मंजूर कर, आज आपने जिस तरह का एग्रीकल्चर लैण्ड पर एटीट्यूड लिया, जिस तरह विलेज में एग्रीकल्चर लैण्ड और आबादी लैण्ड पर एटीट्यूट लिया, जिस तरह से उस जमीन पर काश्तकारों की मिल्कियत का हक माना एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर जिस तरह से खातेदारी हक माना- उसी नीति को आप नगरों में अपनाते तो यह लोग जो बसे हुए हैं-मैं उन लोगों के लिए नहीं कहता जिनके पास कितने ही मकान हैं और जो मकान किराये पर देने के लिए बनाते है--मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इस जमीन पर, इस हिन्दुस्तान में और इस धरती माता पर पैदा हुए हैं और अपना खून-पसीना बहा कर मेहनत करके पैसा कमा कर इस देश की धन-दौलत को बढ़ा रहे हैं, उनको अपने सिर को ढंकने के लिए एक छांह चाहिए, एक मकान चाहिए और किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है उनको इस तरह की सुविधा देने की और जब आपने अपनी नीति के अनुसार देहातों में दिया है तो आप शहरों में क्यों नहीं देते ? लेकिन मैं यह समझता हूं आप क्यों नहीं दे रहे है ? आप अपनी पूंजीवादी नीति को अपनाते हैं, आप उन गरीबों की कीमत पर अपने फाइनेन्सेज को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार गम्भीरता से सोचे कि आपकी इस नीति का इन लोगों के ऊपर क्या भारी असर, किस तरीके से असर पड़ रहा है और किस तरीके से लोग उखड़ रहे हैं। फिर दुबारा मैं आपको हसनपुरा बस्ती की मिसाल दूं। क्यों उनको आप इस तरह से निग्लेक्टेड छोड़ दें ? वे लोग बसे हुए हैं, कोई स्पिनिंग मिल में जाता है, कोई एन० बी० सी० में जाता है और कोई कहीं जाता है। जो रेल्वे आपकी है वह रेल्वे कुछ जमीन ले लेती है और उन लोगों का रास्ता रोक लेती है और रास्ता बन्द कर देती है और उन लोगों को दो मील का चक्कर काट कर वहां से जाना पड़ता है। उनका राइट ऑफ ईजमेंट है, कानूनी तरीके से रेल्वे रास्ते को रोक नहीं सकती। उस रास्ते को एक्वायर होने के बाद भी उन्हें रास्ता देना होगा। अगर रेल्वे यह समझे कि उनको लोको में दिक्कत होती है तो वह पुल बनवा सकती है, लकड़ी का पुल बनवा सकती है ताकि मजदूर उस रास्ते से जायं। उन लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव पास किया है, आपके पास चिट्ठियां भेजी हैं। मैंने इस सम्बन्ध में क्वेश्चन भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन कच्ची वस्ती के तमाम सवालों के बारे में क्या विचार किया है ? क्या आपका फर्ज नहीं है कि उन लोगों को जो दिक्कत पैदा होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, वाजिब तरीके से आप हल करें ? मैंने पहले भी यह निवेदन किया था, आप इन पूंजीपतियों को जमीन देते हैं इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ तौर पर डाइरेक्शन है कि आप इन्डस्ट्रीज बसायें तो कन्जेस्टेड इलाके से दूर बसायें। जब काफी जमीन खाली पड़ी हुई है, जयपुर में कितनी ही जमीन पड़ी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुई है तो जहां लोग बसे हुए हैं, वहां से इन कच्ची वस्तियों के लोगों को क्यों उजाड़ कर इन पूंजीपतियों को कारखाने लगाने के लिए जमीन देना चाहते हैं। मैं, औद्योगीकरण के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करें, राजकीय क्षेत्र में स्थापित करें...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, राज्य सरकार से आशा की जायगी कि उत्तर दिया जाय ?

श्री सभापति : डिबेट खत्म हो जाय तो !

श्री रामनन्द अग्रवाल (अलवर) : जो कारखाना लगाना चाहते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या कह गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस कारखाने को अगर आप राजकीय क्षेत्र में नहीं लगा सकते तो प्राइवेट लोगों को आप सुविधा दें, उसके लिए जमीन दें, उसके लिए मुझे एतराज नहीं है लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थर्ड फाइव ईअर प्लान में डाइरेक्शन है कि कन्जेस्टेड प्लेस से दूर ले जाकर इन्डस्ट्री बसाई जाय जिससे उनके एसपेंशन की गुंजाइश हो। फिर आपने एन. बी. सी. को एक्सटेंशन के लिए हसनपुरा के अन्दर जमीन क्यों दी ? क्यों आपने उस आइरन फाउन्ड्री के उन लोगों को हसनपुरा के अन्दर जमीन दी है ? और वह लोगों को वहां से उखाड़ फेंके।

मैंने, सभापति महोदय, उस रोज भी जिक्र किया था उस आयरन फाउन्ड्री के बारे में, उस आयरन फाउन्ड्री ने यहां तक किया है कि गरीब लोगों के कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसको अपनी बाउन्ड्री में ले लिया है और वहां कुछ दिनों के बाद में अब उसने नो थोरो फेअर का बोर्ड लगा दिया है। उन्होंने बाउन्ड्री बांध दी है। तो इस तरीके से क्यों कन्जेस्टेड एरिया में इन्डस्ट्रियल एरिया बनाते हैं ? जब हसनपुरा वस्ती इस प्रकार बनी हुई है, वहां पर हजारों लोग बसे हुए हैं तो फिर क्यों आप अपने प्लानिंग में इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए उस जमीन को रिजर्व करते हैं ? जयपुर में बहुत खाली जमीन पड़ी है इसलिए थोड़ी दूर ले जाकर आप उसको जमीन दीजिये। आप जमीन जरूर दीजिये, इन्डस्ट्री वहां पर लगाने दीजिये लेकिन उस जमीन को एक्वायर करें तो यह बिल्कुल अनुचित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इस सिवाया क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करूंगा, आप मौके पर जाकर देखें। लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, लोगों की मार पीट हुई और जबरदस्ती लोग उन बसे हुए हरिजनों, मेहतरों को उठाने की कोशिश में हैं। करीब सब कुल मिला कर उस एरिया में पांच सौ परिवार होंगे। तो इस नीति को अपना कर लोगों में आपस में झगड़ा करवाते हैं। लोगों में आपस में तनाजे कराते हैं जिसकी वजह से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुकदमे–बाजी होती है । इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार इन बातों पर गम्भीरता से विचार करके इस प्रकार की जमीन जो जमीन तमाम नगरों के अन्दर है, तमाम शहरों के अन्दर है और जिस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग पर्मानेन्ट तरीके से बसे हुए हैं उन लोगों को आप पर्मानेन्टली राइट्स दीजिये, उन लोगों के पर्ममेंन्ट राइट्स आप स्वीकार कीजिये—इसमें राइट्स देने का सवाल नहीं है—मैं तो कहता हूं कि उनका राइट है; आप उनको डिनाई कर रहे हैं, आप उनके राइट को स्वीकार कीजिये । अगर टेम्प्रेरिली लोग वहां पर बसते, जैसे मान लीजिये यह बिल्डिग बन रही है, वहां पर बाहर की लेबर आ गई, वह कुछ दिन वहां रहेगी और बिल्डिग बनने के बाद चली जायगी । उन लोगों को आप पर्मानेन्ट राइट्स दें—उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं । लेकिन जो पर्मानेन्ट तौर पर बस गये हैं, जिनकी इन्टेन्शन पर्मानेन्टली बसने की है, उन लोगों को उस जमीन पर मालिकाना हकूक दें—यह मुझे आप से कहना है ।

दूसरा नम्बर यह जो आपके टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स हैं, जो म्यूनिसिपल बोर्ड हैं उनकी यह नीति बनी हुई है कि इन बस्तियों को, कच्ची बस्तियों को वह टेम्प्रेरी सटलमेंट मान कर और तमाम विकास की योजनाओं से उन्हें वंचित रखते हैं, तमाम विकास की सुविधाओं से वंचित रखते हैं । उस नीति को आप छोड़िये और उस नीति को छोड़ कर जो उन लोगों का हिस्सा आता है, उसको प्रायोरिटी देकर आप उस जमीन के ऊपर बिजली का इन्तजाम, सड़क का इन्तजाम, ड्रेनेज का इन्तजाम, सैनीटेशन का इन्तजाम—यह सारा का सारा इन्तजाम आप करें । आप यकीन करें, सभापति महोदय, कि इस बात को आज हर गरीब आदमी, हर कच्ची बस्ती में बसने वाला आदमी महसूस कर रहा है । पहले वह शायद अपने हक को नहीं समझता था, वह आपसे खैरात मांगता था, वह आपसे हमदर्दी की बात करता था । वह समझता था कि मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा जमीन के ऊपर क्या हक । लेकिन वह आज इस बात को समझने लगा है कि वह जमीन उसकी है जिस पर वह बसता है और उसको वहां से हटाने की कोशिश करेंगे तो वह उसके लिए लड़ेगा, वह उसके लिए कुर्बानी देगा लेकिन वह अपने आपको पामाल और विनाश नहीं होने देगा ।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर–सु) : सड़क नम्बर दो पर किसानों को प्लॉट दिये हैं, यू० आई० बी० ने प्लॉट दिये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं । किसानों को जमीन के बदले जमीन दी है, वह किसान वहां पर जमीन के मालिक थे, उस जमीन को एक्वायर किया है, उसके बदले के रूप में उन लोगों को जमीन दी है । लेकिन ऐसे लोगों को, जिनका सरकार मालिकाना हक नहीं मानती है, कुछ नहीं दे रही है । इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा जो संकल्प है इसका सदन के माननीय सदस्य समर्थन करके इसको सर्व सम्मति से स्वीकार करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, मेरा इस प्रस्ताव में संशोधन है।

श्री सभापति : आपका संशोधन प्रस्ताव मेरे पास नहीं है। मैं देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों में इस विधान सभा में कोई ऐसा सत्र नहीं निकला होगा जिसमें राजस्थान की इन कच्ची बस्तियों का जिक्र किसी न किसी रूप में न आया हो। हमारी सरकार की ओर से भी हर बार इस बात का आश्वासन देने की चेष्टा की गई कि नगर में इन बसने वाले लोगों को और विशेष कर कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को उस समय तक गैर आबाद नहीं किया जायगा जिस समय तक उनको सरकार आल्टरनेट प्लाट्स नहीं देगी। इन आश्वासन के बावजूद मैं ऐसा समझता हूं कि या तो सरकार की नीति में या सरकारी अधिकारियों के काम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया है जिससे सरकार अपने इन आश्वासनों को पूरा नहीं कर रही है। आज जयपुर शहर में आप किसी भी कच्ची बस्ती में जायेंगे तो लोगों के हाथों में आप देखेंगे कि नोटिस है उनके हाथों में आपको तहसील नोटिस आये हुए मिलेंगे या अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से आये हुए मिलेंगे या म्युनिसिपैलिटी ने जारी किये हों या जमीन के मालिकों ने उन पर मुकदमा दायर करके नोटिस जारी कराये हों वे मिलेंगे। राजस्थान की राजधानी की जनता का एक विशेष समूह लगभग ६५ हजार व्यक्तियों का, ऐसा है जो कच्ची बस्तियों में रह रहा है। उसको इस बात का पता नहीं कि किस दिन नोटिस मिलेगा, किस दिन हमारे मकान सरकार द्वारा तुड़वा दिये जायेंगे और मकान तुड़वाने के बाद हम अपनी रहने की व्यवस्था किस तरह बना पावेंगे। मैं तो समझता था कि जब सरकार आश्वासन दे रही है तब सरकार आश्वासन तक ही सीमित नहीं रहेगी। मगर कच्ची बस्तियों की समस्या का समाधान उचित रूप से करेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर शहर में इन कच्ची बस्तियों की आबादी और विकास करने की दृष्टि से बस्ती के लोगों को किस प्रकार की सहूलियतें मिलनी चाहिये वह आज तक नहीं मिली है और न आज तक कोई इस प्रकार का काम किया गया है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है कि उसने इतना काम किया। वह यह कह सकता है कि पिछले तीन वर्षों में कितने प्लॉट अलॉट किये। मगर मैं यह कहूंगा कि अलॉटमेंट भी चालू हो, मगर जहां पर सरकारी जमीन खाली पड़ी हो या भूमि को ऐसे लोगों को अलॉट किया जो पैसे के बल पर जमीन खरीद सकते हों और जिस समय जमीन की कमी है तब उनको इन बस्तियों से निकाला जाय। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ऑक्शन कराया। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने कभी इस बात

(श्री भैरोंसिह)

पर भी विचार किया कि कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग बड़े हेप हेजार्ड वे में बसे हुए हैं, उनको आपने निश्चित रूप से बसाने की कोशिश की तो कितनी जमीन और प्लॉट्स की जरूरत उनको रहेगी ? क्या आपने यह देखने की चेष्टा की है ? आपने यह देखने की चेष्टा नहीं की।

मैं निवेदन करूंगा कि कच्ची बस्तियों की समस्या को लेकर कितने प्लॉट बंटने चाहिये, उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करते तो कुछ बात समझ में आ सकती थी। सरकार पड़त भूमि को बेच कर उन पैसों के बल पर, सरकारी सहायता के बल पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यह कहे कि हमने यह कार्य किया तो मैं यह कहूंगा कि यह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की काबलियत नहीं, है। उनकी काबलियत का पता चलता यदि वह वहां पर सड़कें बनाते, कोई पाइप लाइन लगवाते बिजली के खम्भे वहां पर लगवाते या और कोई बाकी की जितनी सिविक एमिनिटीज हैं, वे उनके लिये प्रोवाइड करते। मगर ये सारी सहूलियतें उन लोगों के लिये उपलब्ध करने के बजाय यू० बी० आई इसके विपरीत चलता है और उनका ध्येय यह रहा है कि जो सिविक एमीनिटीज़ लोगों को पहले से मिली हुई हैं वे भी उन्हें नहीं मिल पावे। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया था कि जयपुर की आबादी करीब ६ लाख हो गई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आबादी बढ़ी है तो क्या कच्ची बस्तियों में आपने उन लोगों के लिये पानी के नल ज्यादा लगाये हैं, क्या आपने उनमें वृद्धि की है और की है तो कितनी ? बिजली के खम्भे लगे हैं उनमें कितनी वृद्धि की है और जो वहां के लोगों को सिविक एमिनिटीज आज से १० साल पहले मिली हुई थी उसमें आपने क्या परिवर्तन किया है ? आपने कोई इनमें परिवर्तन नहीं किया। वस्तु स्थिति यह है कि आज कई व्यक्ति इन सिविक एमिनिटीज का लाभ उठाते हैं और कई लोगों को अभी भी एक दो फर्लांग से पानी लाना पड़ता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था उनके लिये कौन करेगा ? इस व्यवस्था को लेकर सरकार ने अपना उत्तरदायित्व अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और म्युनिसिपेलिटीज़ पर डालने की चेष्टा की। मैं यह कहूंगा कि आज की नगरपालिका और चैयरमैन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को जयपुर के सफाई आदि की कोई चिन्ता नहीं है। शहर में सफाई नहीं हो इसकी आपको चिन्ता नहीं, गटरों में बच्चे गिर कर मर जायें उसकी आपको चिन्ता नहीं, गन्दगी के कारण शहर में चेचक का प्रकोप फैल जाय उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं, मगर उनको इस बात की चिन्ता है कि जिस आदमी का मकान वह तुड़वाना चाहती है तुड़वा देती है। और जिसको इजाजत दिलवाना चाहती है वह दिलवा देती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा म्युनिसिपेलिटी ने जयपुर में मकानों को तुड़वाने और जयपुर शहर को गन्दा करने के अलावा कौनसा विकास का काम किया ? मैं यह कहूंगा कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और म्युनिसिपेलिटज़ ने इसके सिवाय कोई काम नहीं किया है। जब

(श्री भैरोंसिंह)

कभी भी किसी का मकान तुड़वाना चाहते हैं तो नगरपालिका के सब कर्मचारी एक ट्रक में भर कर जाते हैं और उस व्यक्ति का मकान तोड़ कर, उसको तहस नहस कर के चले आते हैं। मैं यह कहूंगा वह दृश्य जब वे मकान को तोड़ने के लिये ट्रक में बैठ कर जाते हैं और मकान को तोड़ते देखें तो वह दृश्य देखा नहीं जा सकता। कोई विधान सभा का सदस्य उसे अपनी आंखों से देखे तो उसको मालूम होगा कि किस प्रकार से उन गरीब लोगों का सामान, कपड़े, आटे के पीपे, बाहर फेंके जाते हैं और उनके मकान को तहस नहस कर दिया जाता है। इस प्रकार के विनाशकारी कार्य करके वे लोग इस प्रकार खुश होते हैं जैसे मानों हम कोई शेर का शिकार करके आये हों। मैं नहीं समझता कि आज इस प्रकार की कार्यवाही क्यों होती है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की हकूमत से आज कोई यह समझ कर चले कि हम कच्ची बस्तियों के लोगों को उठा कर फूंक देंगे, यह सरकार मान कर चले कि हम अपनी ताकत से उनको उठा देंगे तो मैं कहूंगा कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों को इस प्रकार से हटाया नहीं जा सकता और नहीं जायगा चाहे कोई भी ताकत क्यों न हो। ये लोग यहीं रहेंगे कहीं नहीं जायेंगे। चाहे सरकार जा सकती है। मगर कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग कहीं नहीं जा सकते। अब यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें आबाद करें। लोगों को जमीनें जिस समय एक्वायर करने की बात हुई उस समय आपने १) रु० या १।।) रु० गज में एक्वायर कर के दी और अब जब कच्ची बस्तियों के लिये अलॉटमेंट का प्रश्न आता है तो सरकार कहती है उनको १०) रु० या १२) और १५) रु० गज में दी जावेगी और नाम यह लिया जाता है कि यह विकास के लिये किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये गरीब लोग १०) रु० १५) रु० गज के भाव से जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि ये लोग कोई पुलिस विभाग के सिपाही हैं या कोई मजदूर वर्ग के लोग हैं या कोई फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं और ये गरीब और मजदूर लोग इतनी कीमतें देकर जमीन नहीं ले सकते हैं क्या. इन गरीबों से आप यह उम्मीद करते हैं कि ये लोग १०) या १५) रु० गज के भाव से जमीन खरीद लेंगे? उनके लिये इतनी महगी जमीन खरीदना असंभव है। वे कभी इतनी मंहगी जमीन नहीं खरीद सकते।

हमारे इसी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने मुझे हराने के लिये और चुनावों में कांग्रेस केन्डीडेट को जिताने के लिये प्रोविजनल बेसिस पर तीन तीन रुपया गज के हिसाब से प्लाट्स का अलॉटमेंट कर दिया। आज उन्हीं प्लाट्स के कीमतों के लिये उन लोगों को कहा गया है कि यदि तुम्हें पट्टे लेने हैं तो ६) रुपया गज के हिसाब से दो, ६) रुपया गज के हिसाब से तुमसे चार्ज किया जायगा। कहां तीन रुपयों में दिये और कहां अब ६) रुपया चार्ज कर रही है? सरकार इतनी बड़ी धोखा धड़ी कर सकती है। राजस्थान सरकार इस प्रकार का धोखा कर सकती है, इसका इससे ज्यादा प्रमाण और नहीं हो सकता।

मैं निवेदन करना चाहता था कि ये शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री भैरोंसिंह)

लोग जो मजदूरी पेशा करके उस जगह आवाद हैं, उनको सरकार क्यों हटाना चाहती है ? हमारी सरकार को भारत सरकार ने हाउसिंग कोलोनीज़ बनाने के लिये, मकान बनाने के लिये, लोन देने के लिये, स्लम क्लीयरेन्स के लिये पैसा दिया । भारत सरकार के आवास मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि स्टेट्स को काफी रुपया दिया है पर स्टेट्स इतनी निकम्मी हैं कि, उस रुपये को वे काम में नहीं ले सकीं, वह अमाउन्ट लेप्स होता है । स्लम क्लीयरेंस के लिये आज तक आपने जयपुर में क्या किया, आप कोई रेकर्ड नहीं बता सकते कि राजस्थान की हुकूमत ने स्लम क्लीयरेंस के लिये जयपुर में यह काम किया । सरकार कहती है, नगरपालिका करेगी, नगरपालिका कहती है विकास मंडल करेगा और जहां आदर्शनगर का सवाल आता है तो नगरपालिका और विकास मंडल दोनों ही कहते हैं कि रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट करेगा, यह सरकार के लिये शोभाजनक नहीं है और उन लोगों के लिये एक बड़ी भारी परेशानी का कारण है ।

टिनेन्सी एक्ट में सब लोगों को अपनी खातेदारी लेंड में मकान बनाने का अधिकार है पर हमारी सरकार ने सक्यूं लर निकाल दिया कि जयपुर के १२ माइल के एरिया में कोई भी तहसीलदार को बिना पूछे मकान नहीं बना सकता । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में सरकार ने कब जांच की कि बिना इजाज़त के मकान बना लिये गये, कच्ची बस्तियों में रहने वालों ने नहीं, बड़े बड़े लोगों ने एग्रीकल्चरल लेंड पर मकान बना रखे हैं, सरकार उन मकान को तुड़वा नहीं सकती । राजस्थान सरकार के मंत्री मण्डल के सदस्य, नगरपालिका की भूमि पर कब्जा कर लें, नगरपालिका उनको नोटिस दे, उसके बाद भी मकान बना ले, और नगरपालिका मकान तुड़वाने की कार्यवाही करे तो सरकार को उसके अगेन्स्ट में कार्यवाही करनी चाहिये पर मकान तुड़वाने के मुकदमे में कम्पाउन्ड किया गया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई आपका मकान तुड़वाये तो आपकी क्या हालत होगी, आपका बंगला तहस - नहस करे और एक गरीब की झोंपड़ी को तहस नहस करे तो उसमें दोनों की भावना में क्या अन्तर आता है ?

जिस क्षेत्र में मंत्री का गांव आता है, वहां लोन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है तो भी उसको लोन दिये जाने की श्रेणी में शामिल किया जाय....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मुझे आपने कहा आपके मंत्री ने म्युनिसिपैलिटी की जमीन में मकान बना लिया, मेरी जानकारी में तो ऐसी बात आई नहीं है, तो आप साफ कहें ।

श्री भैरोंसिंह : साफ कहने में सकोच नहीं, मैं ऐसा जानता था कि आपकी जानकारी में होगा । मैं बतांऊ वाली शहर है...

श्री मथुरादास माथुर : पाली ?

श्री भैरोंसिंह : बाली शहर में हमारे उपमंत्री श्री दिनेशराय डांगी रहते हैं । वाली में श्री दिनेशराय डांगी ने नगरपालिका में

(श्री भैरोंसिंह)

दरख्वास्त दी, दरख्वास्त की पूरी की पूरी सर्टिफाइड कापी मेरे पास है, उसका एक रिलेवेन्ट पोर्शन मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

"I have already started the construction work of my house on 29-2-64, for which the Government loan under the M. I. G. H. scheme has already been sanctioned, which I got extended to Bali."

इसका मतलब यह है कि बाली में एम. आई. जी. एच. में लोन नहीं मिलता, लेकिन मंत्री को लोन देने के लिये वहां इस स्कीम को एक्स्टेन्ड किया....

श्री मथुरादास माथुर : यह कहना तो अन्याय होगा। अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में रहने वाले लोगों को लोन दिलाने के लिये अगर मंत्री उस स्कीम को अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में एक्स्टेन्ड कराये तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां मंत्री रहता है इसलिये उसने अपने लिये स्कीम एक्स्टेन्ड कराई। वहां कोई सड़क बनती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मन्त्री वहां रहता है इसलिये उसने अपने लिये सड़क बनाई।

बाली काफी बड़ा कस्बा है, इसलिये यह स्कीम एक्स्टेन्ड की गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : लोन और भी किसी ने लिये होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : और लोगों ने भी लिये हैं, वकीलों ने लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं कहता, उपमंत्री महोदय ने खुद ने कहा है खुद ने स्वीकार किया है कि लोन लेने के लिये मैंने उस स्कीम को एक्स्टेन्ड करवाया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह नहीं है, फिर पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह : Government loan under the M. I. G. H. has already been sanctioned, which I got extended to Bali. This scheme was extended to Bali. इसलिये यह स्कीम वहां एक्स्टेन्ड हुई।

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार की तरफ से मीडियम ग्रुप के लोगों को लोन देने का पहले बड़े बड़े शहरों में ही था, फिर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स में हुआ, फिर उसे टाउन्स में एक्स्टेन्ड कर दिया जाय और उसके तहत लोग कर्जा ले तो इसमें गुनाह क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : गुनाह यह हुआ कि बाली के लोगों ने पहले बहुत कोशिश की थी इस स्कीम को वहां एक्स्टेन्ड कराने के लिये। इसी विधान सभा में उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, बाली को इस स्कीम में शामिल करने के बारे में तो सरकार ने जवाब दिया था कि बाली को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जायगा। डांगी साहब को लोन दिलाने के लिये इस स्कीम को वहां एक्स्टेन्ड किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त बाली इस स्कीम में नहीं आ सका, अब इस

(श्री मथुरादास माथुर)

स्कीम को एक्स्टेन्ड कर दिया, अब यह स्कीम दूसरे शहरों में जायगी, खाचरियावास में भी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आगे बढ़िये। आगे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर लिया। नगरपालिका इनको जो नोटिस देती है वह भी सुन लीजिये।

उपरोक्त विषय में जरिये हाजा आपको सूचना दी जाती है कि आपकी ओर से आपके नगरपालिका की बिना परमिशन निर्माण कार्य कराना धारा १७० राजस्थान टाउन म्युनिसिपलिटीज एक्ट की खिलाफवर्जी है, जो एक अपराध है, अतः उसके लिए क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसका जवाब १०-५-६४ तक पेश करें। तो फैसला निर्माण कार्य अविलम्ब बन्द रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अरे कहां तो कच्ची बस्ती वालों की हमदर्दी कर रहे थे और कहां अब खिलाफत कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : वही कह रहा था कि इन कच्ची बस्ती के लोगों को ही रियायत मिलनी चाहिये, इसकी एडवोकेसी करते हुए भी मंत्री किस प्रकार की सुविधा प्राप्त करते हैं, बाकी उन्हीं की जाति के लोग जयपुर में कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके मकान तोड़े जाते हैं, इन दोनों की तुलना कीजिये।

नगरपालिका ने डांगीजी के खिलाफ एस० डी० ओ० के कोर्ट में धारा १७० भाग (११) के अन्तर्गत चालान किया, राजस्थान के उप-मंत्री का चालान। चालान के बाद सभापति महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि एक तरफ एस० डी० ओ० के कोर्ट में मुकदमा चलता है और दूसरी तरफ वाली की नगरपालिका भंग होती है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है, वही एस० डी० एम० साहब जिनके कोर्ट में इनका मुकदमा था नगरपालिका के एड्मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जाते हैं, जो एस० डी० एम० कहते हैं कि बगैर नाम की जमीन है, इसमें तुम अधिकार नहीं कर सकते, वही एस० डी० एम० साहब एड्मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये जाते हैं और वे ही इनको मकान बनाने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार मकान बनाने की अनुमति दे दी गई। मकान बनाने की अर्जी पढ़ूं, डांगीजी के दस्तखत हैं। माथुर साहब सुन लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपके मन्त्री किस प्रकार की अर्जियां लिखते हैं। वे लिखते हैं, "श्रीमान् जी, मुल्जिम दिनेशराय डांगी की तरफ से निम्न निवेदन है :

श्री मथुरादास माथुर : मुल्जिम इसमें नहीं है, आपने बोल दिया है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें है, सर्टिफाइड कापी है मेरे पास।

श्री मथुरादास माथुर : सदन की मेज पर रखें।

श्री भैरोंसिंह : सदन की मेज पर रखवा लेना।

"श्रीमानजी,

मुलजिम दिनेशराय डांगी की तरफ से निम्न निवेदन है :

१. यह है कि उक्त मुकदमो में मुलजिम को असालतन या वकालतन तलब किया गया जो मुलजिम की तरफ से वकील हाजिर हो गये। आयन्दा मैं पर्सनल अटेन्डेन्स को डिस्पेन्स विथ करने के सम्बन्ध में दरख्वास्त पेश है।"

आगे लिखते हैं :—

२. यह है कि मुलजिम के खिलाफ जुर्म है वह ट्राइबल केस है। प्रोसिक्युशन म्युनिसिपल ऑफेन्स के सम्बन्ध में है ऐसे मामलों में मुलजिम की पर्सनल अटेन्डेन्स डिस्पेन्सविथ किया जाना कानूनन एवं इन्साफन न्यायोचित है।

आगे मुलजिम महोदय लिखते हैं :—

३. यह है कि मुलजिम का मौजूदा निवास स्थान जयपुर है। मुलजिम को पेशी पर आने से काफी एक्स्पेन्स एवं इनकन्वीनियेन्स होगा। जयपुर से आने जाने में मुलजिम को तीन दिन अपनी ऑफिस का काफी काम सफर होगा मुलजिम उप-मंत्री पद पर है। उक्त सरकमस्टान्स में अदालत वाला के सामने मुलजिम की पर्सनल अटेन्डेन्स इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ जस्टिस जरूरी नहीं है। यह राज सेक्रेटेरियेट में फाइल्स निकालते हों वे मुलजिम उप-मंत्री महोदय कहते हैं कि काम खराब होता है।"

यह मैं नहीं लिखता हूं। डांगीजी लिखते हैं।

"४. यह है कि मुलजिम की तरफ से कुल पैरवी वकील श्री फूटरमल जी जैन करेंगे जो कुल पैरवी मुलजिम को मंजूर होगी।

अत: दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि मुलजिम की पर्सनल अटेन्डेन्स डिस्पेन्सविथ फरमावें अपने नियुक्त वकील द्वारा पैरवी स्वीकृत फरमावें।" इति ८-६-६४

एस डी० दिनेशराय डांगी"

यह है मुलजिम उप-मंत्री। यह मुलजिम उप-मंत्री जमीन पर कब्जा कर ले, यह मुलजिम उप-मंत्री स्कीम एक्स्टेन्ड करा ले, यह मुलजिम उप-मंत्री बिना आज्ञा मकान तामीर करवा ले उस मुलजिम उप-मंत्री का चालान हो जाय और एडमिनिस्ट्रेटर और एस. डी. ओ. दो पद पर रहने वाला एक ही व्यक्ति है वह इस मुकदमें को खत्म करवा दे यहां पर यह कहा जाता है कि यह मामला तो सबजुडिस है इसलिए यहां पर इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि एस. डी. ओ. के सामने मामला है, जब एस. डी. ओ. होकर एक फैसला देता है और एडमिनिस्ट्रेटर होकर उसको साफ कर देता है तो उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये। डांगीजी इतना ही नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर की मार्फत मकान की तामीर होती है, तरमीम होती है है और सब कार्यवाही होती है जिसके फोटोज चाहें तो मेरे पास मौजूद है जिसमें सब दर्शाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर उसमें है...

श्री मथुरादास माथुर : कच्ची बस्ती से पक्की बस्ती पर आ गये हो।

श्री भैरोंसिंह : कच्ची बस्ती से डांगीजी पर आ गया हूं। डांगीजी को छोड़ कर मैं बाकी के लोगों से पूछना चाहूंगा सरकार के मंत्रियों से खास तौर पर राजस्थान में कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसा बता दीजिये कि जिसका बंगला नहीं है। राजस्थान में कोई मंत्री ऐसा नहीं है नये का मैं जिक्र नहीं करता, राजा महाराजाओं का मैं जिक्र नहीं करता, बाकी के मंत्री बता दीजिये जिसने यहां पर दूसरी जगह प्लॉट खरीद कर मकान नहीं बना लिए।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : कइयों ने नहीं बनाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके हैं इसलिए नहीं बनाया। किसी के उदयपुर में बंगला है, किसी के जोधपुर में और अजमेर में है, दा साहब ने अजमेर में बंगला बना लिया है कौल साहब ने अजमेर में मयो कॉलेज में बंगला बना लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपको क्यों ईर्ष्या होती है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। मैं आपके मकान के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपका मकान पुराना है इसलिए नहीं गिरा। मुझे खुशी है कि मंत्री मकान बनाये।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री बनने के पहले मकान बना लिया हो तो क्या मंत्री बनने के बाद उसको गिरा दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है। मंत्री रह कर पानरवा हाउस बनाये तो उसकी जांच होनी चाहिये। इस प्रकार के हाउसेज की जांच की आवश्यकता है। 'पानरवा हाउस' आपत्ति जनक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में है। सी स्कीम में है आप उसकी तारीफ कर चुके हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): नाले के पास है।

श्री भैरोंसिंह : नाले के पास है। आप ने उसको देखा है। उसको देख कर जलन भी होती होगी।

मैं खास तौर से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर मंत्री लोग इन कच्ची बस्तियों के बारे में क्या दृष्टिकोण रख कर चलना चाहते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जयपुर शहर के विकास की योजना बना रहे हैं या उसके विनाश की योजना बना रहे हैं जयपुर शहर में इन्डस्ट्रियल एरिया कहां हो, किस जगह हो, इसमें नीतियों में बार बार परिवर्तन आता है। किस कारण से जयपुर शहर के चारों तरफ आपने इन्डस्ट्रियल एरिया बनाया जो व्यक्ति इन्डस्ट्री लगाना चाहे तो वह उस में बना सकता है। आज

(श्री भैरोंसिंह)

जो स्थिति जयपुर शहर की भयंकर बन रही है यह जयपुर शहर के लिए घातक होगा। हमारी सरकार मास्टर प्लान की आड़ लेकर जयपुर के विकास की बात कह रही है। मैं आज कहता हूं कि मास्टर प्लान जयपुर शहर के लिये अभिशाप होगा। इसलिये होगा कि न कच्ची बस्तियों को राइट्स को माना गया है न उसको प्लाट्स अलॉट किये जावेंगे। लेकिन लोगों का वहां से सफाया किया जा रहा है और किस तरह से फिर बाई ऑक्शन करके प्लॉट्स दिये जा सकते हैं, उसके आधार पर यह मास्टर प्लान चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर उन लोगों ने दोष क्या किया है? जयपुर की अजमेरी गेट, सागानेरी गेट और घाट गेट के पास और जिस तरह आप लोगों के बंगले बने हुए हैं इस भूमि पर ये लोग आबाद थे और जिस समय सरकार ने और भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर के विकास की योजना बनायी थी उसके अन्तर्गत उन लोगों को हटा कर कई लोगों को नारी के नाके, आदर्शनगर की तरफ, हसनपुरा की तरफ गंगाटाकीज़ के पीछे बस्ती में इन लोगों को गैर आबाद करके बसाया गया था। इनका २०–२५ वर्ष से नहीं किन्तु ७०-८० साल पुराना उन जमीनों पर कब्जा है या उनको हटा कर विकास के नाम पर दूसरी जगह आबाद किया और आज उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा कब्जा दस साल से पांच साल से है तुम इसको प्रूव करो। नगरपालिका की ओर से किराये की रसीद नहीं दी जाती, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड की ओर से कोई उनको जगह ऑलट नहीं की जाती, सेटलमेंट की ओर से उनको पट्टा नहीं मिलता तहसील से कोई अनुमति नहीं, आज उनको नोटिस देकर कहा जाता है कि प्रूव करो कि इतने वर्षों का कब्जा है। वे इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे और सरकार की ओर से आदेश होंगे कि इनके मकान तुड़वाये जायं, मैं समझता हूं यह घोर अन्याय है और बाकी की कुछ बस्तियां हैं उनके साथ भी अन्याय होने वाला है।

अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही करते हैं। उदाहरण के लिये एक चीज़ बताना चाहता हूं। एम. एल. ए. क्वार्टर्स हैं। कई बार निकलते हैं आप। उसके सामने कच्ची बस्ती है उसको एक्वायर करने की बात शुरू की। उसके बाद में आजाद बस्ती को एक्वायर करने की बात शुरू की। उसके पास में दूदू ठाकुर साहब का बाग आता है उसको एक्वायर करने की बात चली। लेकिन उसके आगे आहाता आता है जो शहर के एक प्रमुख वकील का है उन्होंने वहां पर झोंपड़ी बना कर रहने वाले ठाकुरों से १२) १२) लिया है और जो जबरन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के मेम्बर रहे हैं उनकी जमीन को एक्वायर नहीं किया इसलिये कि सरकार के अन्दर उनकी पत्त है। इसलिये कि कांग्रेस में उनका असर है। गरीबों की जमीनें जरूर एक्वायर कर ली जायेगी लेकिन ऐसे लोगों की जमीन एक्वायर नहीं जा सकती।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आदर्शनगर की बस्तियों और भूतपूर्व

(श्री भैरोंसिंह)

जागीरदारों की जमीनों में बसने वालों की वस्तियों के लिये जिक्र किया था। आज उन लोगों के लिए नरक की समस्यायें बनी हुई हैं। उनको पानी नहीं दिया जाता। उनको बिजली का खंभा अपने प्राइवेट खर्चे से लगा कर लेना चाहे तो नहीं लेने दिया जाता, उनको जबरदस्ती पुलिस के जरिये निकालने की बात की जाती है।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को छोटी न समझें। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

नगरपालिकायें इस काम को नहीं कर सकतीं। हमें एक न्याय के रूप में सिद्धान्त के रूप में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(५. म. प.)

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

क्या सदन की अनुमति है कि समय को बढ़ाया जाय !

(विराम)

दो रास्ते हैं या तो अनुमति सारे संकल्प पर जब तक विचार न हो जाय सरकारी जवाब न हो जाय, और प्रस्ताव कर्ता का भाषण न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ाया जाय। इसके अलावा दोनों पक्षों के सदस्य भी बोलना चाहेंगे। इस तरह से कम से कम सात बजे तक बैठना हो तो इसको ले लिया जाय। नहीं तो अभी बन्द कर दिया जाय ताकि यह केरी ओवर हो जाय। क्या राय है सदन की ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आज तो इतने लम्बे समय तक बैठना नामुमकिन है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार जब तक सदन बैठना चाहे बैठने के लिये तैयार है और सरकार अपना जवाब देने के लिये पूरी तरह तैयार है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो इसके लिये सात आठ बजे तक भी हम बैठने के लिये तैयार हैं समस्या गम्भीर है महत्वपूर्ण है सरकार इसको पूरा महत्व देना चाहती है और सरकार जवाब भी देने के लिये तैयार है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): फिर तो हो जाय।

श्री सभापति : निश्चित राय सदन की नहीं आ सकी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): कन्सर्न मिनिस्टर भी नहीं है और माननीय मंत्री महोदय को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं होगी।

श्री मथुरादास माथुर : पूरी जानकारी है। आखिर मैं योजना मंत्री हूं एक एक बस्ती की हालत को जानता हूं। जो भी सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब दूंगा और आपको तसल्ली करा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह आप एक ही प्रश्न का जवाब दे दें जयपुर में जिस समय फ्लड आया था जो जो स्कीम्स उस समय बनायी थी उसके सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह इम्तिहान और ये मास्टर, यह क्या तमाशा बना रखा है ? आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

एक माननीय सदस्य : दसवीं क्लास का पर्चा भी निकाल कर बता दीजिये।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक १२ अप्रेल १९६५ के ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५. ७ बजे दिनांक १२ अप्रेल, १९६५ के म. प. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३८ का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

(१) बांड	रुपया ६। ४ आना	प्रति एकड़
(२) लिफ्ट	रुपया ३।१२ आना	,,
(३) पिलोवा	रुपया २। ८ आना	,,
(४) कछ	रुपया ३। २ आना	,,
(५) कछार	रुपया १।१४ आना	,,

सूची (ब)

वर्ष	क्षमता (१० लाख घन फुट)	सिंचाई पेटा	फलों	कुल एकड़
१	२	३	४	५
१९५४-५५	—	३६	—	३६
१९५५-५६	९०७-००	३१५०	३२२५	६३७५
१९५६-५७	९०७-००	३१०२	४१५४	७२५६
१९५७-५८	९०७-००	२५९०	५०११	७६०१
१९५८-५९	५३-१५	३५७	३०५	६६२
१९५९-६०	९०७-००	२५२२	५७४७	८२६९
१९६०-६१	३५-६८	१७६	४८	२२४
१९६१-६२	९०७-००	२६५१	५७८७	८४३८
१९६२-६३	२२४-२९	७१२	९३४	१६४६
१९६३-६४	—	—	—	—

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न-काल में **न लिये** जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चित्तौड़गढ में गाड़िया लौहारों को बसाने के लिए प्लॉट्स

८६६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में गाड़िया लौहारों को बसाये जाने बाबत स्टेशन पर प्लॉट्स रिजर्व किये गये और उन्हें बसाया गया है ? अगर हां, तो कितने परिवारों को घर दिये और कितने परिवार बस चुके है ?

(२) क्या यह सही है कि इन प्लॉट्स में से कुछ प्लॉट्स नीलाम भी कर दिये गये ? अगर हां, तो कितने और कितने नीलाम होने बाकी हैं ?

उत्तर

(१) जी हां । २८ परिवारों को जमीनें दी गई थी । दो परिवार बस चुके हैं ।

(२) नगरपालिका द्वारा कोई प्लाट नीलाम नहीं किया गया है ।

सफाई कर्मचारियों को वर्दियां एवं सफाई के औजार

८४०. श्री हरिराम घारू (सिवाना—सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज में सफाई कर्मचारियों को सालाना वर्दियां व सफाई करने के औजार व सामान नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को सालाना वर्दियां देने हेतु नियम बना दिये है। जहां तक जानकारी है, सफाई करने के औजार व सामान पालिकाओं द्वारा दिया जाता है ।

चूरू, राजगढ़ व तारानगर जल सप्लाई योजना

८४१. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चूरू, राजगढ़ व तारानगर जल सप्लाई योजना के द्वारा जनता को पीने का पानी दिया जाना आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्रमशः किन किन तारीखों से ?

(२) क्या यह सही है कि इन कस्बों में जो पाइप लाइन बिछाई गई है उनमें एयर वाल्व नहीं होने की वजह से ज्योंही पानी छोड़ा जाता है पाइप लाईनें जगह जगह से टूट जाती हैं और पाइप लाइनों में पानी के स्थान पर गैस आती रहती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(श्री रावतराम)

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में बराबर निवेदन किया गया है कि पाइप लाइन्स में एयर वाल्व लगा दी जावे लेकिन अधिकारी-गण सुस्ती वरत रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि एयर वाल्व सम्बन्धित स्थानों पर आई हुई पड़ी है परन्तु फिर पाइप लाइन्स में लगाई नहीं जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, अप्रेल ६४ अगस्त ६४ व जुलाई ६३ से।

(२) जी नहीं, सवाल नहीं उठता।

(३) क्योंकि इन कस्बों में उचित स्थानों पर एयर वाल्व फौरन ही लगा दिए गए है इसलिए इस सम्बन्ध में किसी भी किस्म की सुस्ती वरतने का सवाल ही नहीं उठता।

(४) उचित स्थानों पर एयर वाल्व लगाए जा चुके हैं। इसलिए आगे कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

तहसील गढ़ी में स्थित अढाई व भगोरा तालाबों का निर्माण

८४२. **श्री नाथूराम** (बागीडौरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित अढाई व भगोरा तालाबों के निर्माण के लिये स्वीकृति हुई है ? अगर हां, तो कब हुई है और इनके निर्माण सम्बन्धी क्या प्रगति है ?

उत्तर

जी हां अड़ाई की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ६-१-६५ को हो चुकी हैं एवं तकनिकी स्वीकृति दी जा चुकी है व भगोरा की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक ६-६-६३ को राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है एवं तकनिकी स्वीकृति शीघ्र दी जाने की आशा है जिसके बाद दोनों योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२६ का उत्तर देखिये)

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

बीकानेर

क्रम संख्या

श्री कलेक्टर

बीकानेर,

विषय :—अनाज के राशन को डेढ़ किलो करने का विरोध ।

प्रिय महोदय,

आप के व डी० एस० ओ० बीकानेर द्वारा सस्ते नाज का राशन बावजूद दो किलो के सरकारी आदेश के डेढ़ किलो किये जाने का संसोपा तीव्र विरोध करता है पार्टी ने आप के इस कदम के विरुद्ध कल से आपके दफ्तर के आगे भूख हड़ताल करने का कदम उठाने का फैसला किया है संसोपा की ओर से साथी हीरालाल आचार्य कल सुबह साडे दस बजे भूख हड़ताल पर बैठेंगे :

बीकानेर की अनाज की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी पार्टी की आप से निम्नलिखित मांगें और हैं ।

(१) सस्ते अनाज का आटा ६१ न० पै० किलो के बजाय ५४ पैसे किलो में बिकवाने की व्यवस्था की जाय ।

(२) ५२ पैसे प्रति किलो में खरीदा हुआ चना आम जनता को ५४ पैसे किलो मे वितरण करवाया जावे ।

(३) मोटे अनाज व मोठ की निकासी राजस्थान से तुरन्त बन्द की जाये ।

अतः आप से हमारी मांग है कि आप अपने डेढ़ किलो के आदेश को आज ही तुरन्त वापस ले लें तथा हमारी अन्य मांगें भी पूरी करें अन्यथा उक्त कदम उठाने के लिये हमारी पार्टी मजबूर होगी । जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-८ शुक्रवार दिनांक, ६ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८४०३	६	श्रो	श्री
८४०६	१०	मैं	में
८४१६	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
८४१६	१४	श्री जोधसिंह् चौहन	श्री जोधसिंह् चौहान
८४२०	४	श्री प्रभुलाल मैंटर	श्री प्रभुलाल सेंटर
८४२७	अन्तिम	चाहए	चाहिए
८४२८	अन्तिम से ५	स्पष्ठ	स्पष्ट
८४३२	,, ,, ६	किस कस	किस किस
८४३४	११	श्री अब्दुलजब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
८४३६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	,,	-६ अप्रल, ६५-	-६ अप्रेल, ६५-
८४४३	अन्तिम से १०	रहा	रही
८४४८	१३	वीकानेर	बीकानेर
८४५३	शीर्षक	अप्रॅल	अप्रेल
८४५२	अन्तिम से ५	(सादुलपुर)	(सादूलपुर)
८४६०	१६	अध्यअ	अध्यक्ष
८४६४	अन्तिम से ७	,,	,,
८४६७	शीर्षक	-६ अप्रॅल, ६१-	-६ अप्रेल, ६५
८४७१	१८	अघिकारी	अधिकारी
८४७३	३	ओर	और
,,	१६	कम्युनिस्ट	कम्युनिस्ट
,,	अन्तिम से ३	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
८४७५	३	की।	की
८४७६	४	व्यवस्था	व्यवस्था
,,	२०	बामपथी	वामपंथी
,,	अन्तिम से ११	जों	जो
,,	,, ,, ७	विरोघी	विरोधी
८४७७	शीर्षक	वामपथी	वामपंथी

१	२	३	४
८४८२	६	अग्रवाल	अग्रवाल
,,	१५	दें; तो	दें तो
८४८३	शीर्षक	वक्तव्य	वक्तव्य
८४८४	अन्तिम से ७, ६, ५	(विराम)	(विराम)
		[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए : श्री चौसरसिंह बाबेल	श्री चौसरसिंह बाबेल [इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :
८४८७	५	वियधेक	विधेयक
८४८९	७	विघान	विधान
८४९०	२	इच्छा	अच्छा
८४९२	११	भारी	भारी
८४९३	२	व्ववस्थ	व्यवस्था
८४९७	७	घर्म	धर्म
८४९९	शीर्षक	(संशोघन)	संशोधन
८४९९	११	वहा	वहां
८५००	अन्तिम से १३	धर	घर
८५०३	१३	घर्म	धर्म
८५०९ से ८५३८	शीर्षक	वक्तव्य	संकल्प
८५०७	१	मिर्घा	मिर्धा
८५०८	अन्तिम से ७	भूरी-भूरी	भूरि-भूरि
८५१०	अन्तिम से १५	प्रात्साहित	प्रोत्साहित
८५११	९	बर्ष	वर्ष
८५१२	१२	बहुत होता अच्छा है	बहुत अच्छा होता है ।
८५१७	७	एमकोर्स्ड	एम्ब्रोस्ड
८५१७	१५	तारक शी	तारकशी
८५१९	८	वहुत	बहुत
८५१९	अन्तिम से २	श्री	श्री
८५२१	शीर्षक	हस्नकला	हस्तकला
८५२५	१७	व्यवसाय । कहते हैं ।	व्यवसाय कहते हैं ।

१	२	३	४
८५२८	अन्तिम से ११	मी	भी
,,	अन्तिम से ७	गावों	गांवों
८५३३	अन्तिम से ५	कांपर	कॉपर
८५३४	७	फूलचन्द्र	फूलचन्द
८५३७	अन्तिम से ३	श्री म ी	श्रीमती
८५३८	१६	सशोधन	सशोधन
८५३६	अन्तिम से १२	ग्ररो	और
८५४१	६	कब्द	शब्द
८५४३	अन्तिम से ४	काल	काम
८५४६	५	होना	होता
८५५०	अन्तिम से ७	मूर्तिया	मूर्तियां
८५५१	१४	संतोषजतक	संतोषजनक
,,	अन्तिम से ११	सवे	सर्वे
८५५५	शीर्षक	संदंधी	संबंधी
८५५६	अन्तिम से ५	सम्बन्घ	सम्बन्ध
८५६६	शीर्षक	हन्तकला	हस्तकला
८५७१	१३	देसकता	दे सकता
८५७३	अन्तिम से २	श्री उनघ्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
८५७४	अन्तिम से ७	श्री उपान्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
८५७६	अन्तिम से १५	आधां-आधा	आधा-आधा
८५८४	अन्तिम से ५	मजूर	मंजूर
८५६०	३	काफर	कॉपर
८५६१	१३	डाकटर के	डॉक्टर की
८५६१	१३	परमिशन की	परमिशन के
,,	अन्तिम से ६	हालां कि	हालांकि
,,	अन्तिम से ५	ग्रा	जा
८५६२	१४	पिछे	पीछे
८५६३	अन्तिम से १०	६५-६४	६४-६५
८५६७	शीर्षक	वस्तियों	बस्तियों
८६००	१४	ग्रपगे	ग्रपने
८६०१	शीर्षक	६ अप्रल	६ अप्रेल
८६०२	अन्तिम से ८	अशामस	आशायश

१	२	३	४
८६०३	शीर्षक	वस्तियों	बस्तियों
८६०६	अन्तिम	आपको	आपका
८६१०	७	एकवावर	एक्वायर
,,	१६	जमान	जमीन
८६११	३	की	का
८६१३	१३	श्री रामनन्द	श्री रामानन्द
८६१५	अन्तिम से ५	सटलमेंट	सेटलमेंट
८६१७	शीर्षक	निबासियों	निवासियों
८६२३	शीर्षक	निबास	निवास
८६२४	१	मकान	मकानों
,,	अन्तिम से ७	कहत	कहते
,,	अन्तिम से २	वाली	वाली
८६३०	अन्तिम से ८	उस	उसे
८६३१	२	वस्ती	बस्ती
८६३३	८	को	के
८६३४	१२	प्रसुख	प्रमुख
८६३४	८	एक्यायर	एक्वायर
८६३५	शीर्ष	श्री भैंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
८६३७	६	श्री भैंरोंसिंह आप	श्री भैंरोंसिंह : आप